खण्ड-310, अंक-5
मंगलवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1896
(30 जुलाई, 1974 ई0)

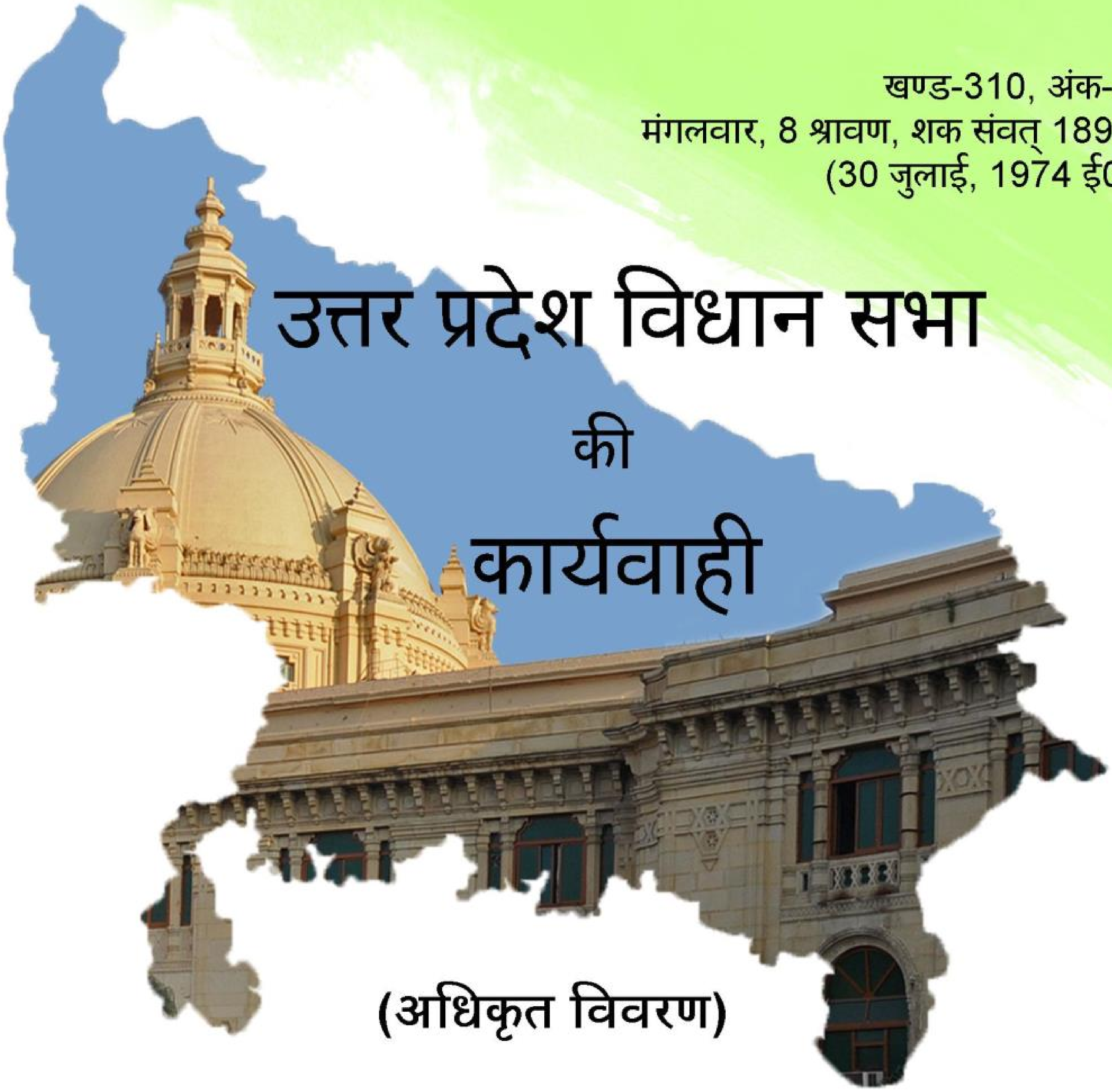

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 310 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० जुलाई, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८४

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीप प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसा अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जपुर)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)

प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल बर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलतान सिंह यादव, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मेघ नाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी

रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल सेन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री उर्फ नब्बन
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रताप मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० जुलाई, १९७४

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बी० जे० फार्मा कानपुर को ड्रग कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत लाइसेन्स दिया जाना

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० जे० फार्मा, कानपुर को ड्रग कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत जब लाइसेंस दिया गया था, उस वक्त ड्रग कंट्रोलर कौन था ? क्या यह सच है कि इस फर्म को लाइसेंस देने के लिये तत्कालीन सभापति विधान परिषद् ने तत्कालीन ड्रग कंट्रोलर को लिखा था ? यदि हां, तो पत्र क्या था और क्या लाइसेंस उक्त ड्रग कंट्रोलर के हस्ताक्षर से जारी किया गया था ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

जब बी० जे० फार्मा, कानपुर को लाइसेंस दिया गया था उस समय ड्रग कंट्रोलर डा०जी०पी० चक्रवर्ती थे ।

ऐसा कोई पत्र ड्रग कंट्रोलर के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है अतः प्रश्न का अन्य भाग नही उठता ।

लाइसेंस ड्रग कंट्रोलर के हस्ताक्षर से जारी किया गया था ।

सारा मामला जांच अधीन है अतः अभी किसी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जिस चिट्ठी के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उपलब्ध नहीं है वह कल के नेशनल हेराल्ड में छपी है, वही चिट्ठी डी० आई० जी०, सी० आई० डी० के पास भी है, और हाईकोर्ट में भी उसे दाखिल किया गया है तो क्या मंत्री जी यह पता लगायगे कि यह चिट्ठी वही है जिसे माननीय सभापति, विधान परिषद् ने लिखा है, या कोई अन्य है ।

श्री राज मंगल पांडेय—

क्योंकि यह सभी अभिलेख आदि अनुसंधान विभाग के सी० आई० डी० के पास हैं । अभी यह पता नहीं चल सका है कि यह पत्र भी उसमें है या नहीं । इस तरह की भी सूचना मिली है कि जब पुलिस ने रेड किया था तो कुछ पेपर्स अपने कब्जे में कर लिये थे । हो सकता है उसमें इस तरह का कोई पत्र हो ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

२९ जुलाई के नेशनल हेराल्ड में इस चिट्ठी की फोटोग्राफ कापी छपी है जिसमें लिखा है—

"My Dear Chakravarti,

With reference to my phonic conversation with you this month, I am asking, as desired, Sri S. K. Seth, a Senior Lecturer in the D. A. V. College, Kanpur, with which I am associated as the Head of the Management, to see you personally. Kindly help and oblige."

तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह चिट्ठी पेपर वालों को मिल गयी, और जगह दाखिल भी हो गयी, तो क्या आपके अधिकारियों ने इन लोगों से कान्ट्रेक्ट किया कि यह चिट्ठी उनके पास कहां से आ गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जो चिट्ठी पढ़ी गयी उससे हम अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । जसा मैंने अभी कहा कि जब पुलिस ने रेड किया तो कुछ पेपर्स अपने अधिकार में ले लिये । वे फाइल से मिसिंग हैं ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, हैं वही पदेन ड्रग कंट्रोलर हुआ करते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार किसी पूर्ण दायित्व वाले व्यक्ति को इस पद पर नियुक्ति करने का विचार कर रही है ?

क्या सहायक ड्रग कन्ट्रोलर श्री निरंजन प्रसाद ही वास्तव में इस काम को देखा करते थे ?

श्री राजमंगल पांडे—

यह बात सही है कि पहले डायरेक्टर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ही इसके पदेन ड्रग कन्ट्रोलर हुआ करते थे। बाद को एक एडीशनल डायरेक्टर इस काम को देखा करते थे। असिस्टेंट ड्रग कन्ट्रोलर के पद पर निरंजन प्रसाद काम करते थे और उनके रिकमेन्ड करने पर एडीशनल डायरेक्टर उसकी फार्मल सैंक्शन देते थे।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बी० जे० फार्मा को लाइसेंस देने से पहले ड्रग इंस्पेक्टर श्री मित्तल ने इसके खिलाफ सिफारिश की थी? और अगर खिलाफ सिफारिश की थी तो उन्होंने क्या सिफारिश की थी?

श्री राजमंगल पांडेय—

वह पूरा अभिलेख सामने नहीं है लेकिन यह बात सही है कि श्री मित्तल ने दो आब्जेक्शन्स किये थे। एक तो यह कि बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है लिहाजा लाइसेंस न दिया जाय क्योंकि बिजली न उपलब्ध होने से मैन्फेक्चरिंग का काम कैसे हो सकेगा। दूसरे यह कि मिसेज गार्गी जो वहां केमिस्ट थीं उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं हो सका था। मिसेज गार्गी जो इनडिपेंडेंस से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से एम० एस-सी० की डिग्री लेकर आयी थीं, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट से अटेस्टेड कापी का वेरिफिकेशन नहीं हो सका था। ये उनके दो मेन आबजेक्शन्स थे और इसके अलावा कोई खास आबजेक्शन नहीं था।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इसी विषय पर मुख्य मंत्री जी ने यहां पर एक घोषणा की थी कि इस बी० जे० फार्मा और इस ग्लूकोज कांड से सम्बन्धित जितने लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनको बख्शा नहीं जायेगा, उनको छोड़ा नहीं जायगा। दूसरी बात यह है कि कल के नेशनल हेराल्ड में जो चिट्ठी निकली है बिलकुल वही चिट्ठी है जिसका कि मैंने जिक्र किया था और वह श्री चक्रवर्ती की फाइल में है। किसी तरह से वह चिट्ठी छप गयी है। तीसरी बात यह कि गुप्तचर विभाग ने जो अपनी जांच करके रिपोर्ट दी, उनका कहना है कि डेट एक्सपायर कर गया था और ग्लूकोज में कोई दूषित किस्म का पदार्थ नहीं था। गुप्तचर विभाग तो इस काम को कर नहीं सकता, तो मानी हुई बात है कि सारी जिम्मेदारी एक तरह से डाक्टरों पर डाल दी, जब कि असलियत यह है कि इंसपेक्टर ने इस बी० जे० फार्मा को लाइसेंस देने पर आपत्ति की थी कि इसको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिये, फिर भी सिफारिश करके लाइसेंस दिलवाया गया। सिफारिश किसने की, यह चिट्ठी से साबित है। तो क्या सारे मामले की जांच मुख्य मंत्री जी की घोषणा के मुताबिक करायेंगे और इस लाइसेंस के दिलाने में और अन्य जितने भी दोषी लोग हैं उन सब पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय देहलवी जी ने जो उल्लेख किया कि लाइसेंस खतम हो गया था, ऐसी बात नहीं है लाइसेंस तो ३१-१२-७४ तक था। यह सही है कि सीनियर इंसपेक्टर ने आब्जेक्शन किया था लेकिन इंसपेक्टर ने इस बी० जे० फार्मा को लाइसेंस देने के लिये रिकमेन्ड किया था। सीनियर इंसपेक्टर ने केवल दो आब्जेक्शन किये थे। एक तो बिजली का कनेक्शन उपलब्ध न होना, दूसरे मिसेज गार्गी के अटेस्टेड सर्टिफिकेट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट से वेरिफिकेशन न होना। यही दो मेन आब्जेक्शन उनके थे। अब नेशनल हेराल्ड में जो निकला है, मेरी समझ में नहीं आता कि उसमें क्या ऐसी बात है। उसमें तो उन्होंने केवल एक्सपेडाइट करने को लिखा है कि सीनियर लेक्चरार जो हमारे कालेज से संबंधित हैं, आप उनसे बात कर लें। तो इस किस्म के रिकमेंडशन तो रोजमर्रा होते रहते हैं। ऐसे ही किसी की मोटिव पर शक करना नहीं चाहिये। ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ कर कि बी० जे० फार्मा वाले कोई फ्राड कर रहे हैं जिसकी मदद कर रहे हों।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बी० जे० फार्मा, में कौन-कौन से भागीदार हैं, और क्या उन लोगों के बारे में ग्लूकोज कांड से संबंधित कोई जांच हो रही है। दूसरे क्या इस कांड में जिम्मेदार कर्मचारी कुछ और भी हैं जिनकी वजह से यह ग्लूकोज कांड हुआ ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, बी० जे० फार्मा में दो ही लोग भागीदार हैं एक बी० के० सिंह, और दूसरे श्री जे० चोपरा, जो मिसेज गार्गी के हसबैंड हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर मंत्री जी बड़े ही भोले भाले हैं और बड़े भोले पन से उत्तर भी देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र कंट्रोलर के कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है अतः प्रश्न नहीं उठता। पत्र अखबार में छपा है। पर इतना जरूर है कि उसमें डायरेक्टर ने एक सेठ के बारे में कुछ करने को लिखा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पत्र उनकी नालेज में नहीं है, लेकिन क्या इस बात की भी जानकारी है कि ३–५–७३ को जो आपके चक्रवर्ती साहब हैं उनकी फाइल में यह नोटिंग है कि माननीय वीरेन्द्र स्वरूप जी से टेलीफोनिक वार्ता हुयी। यह पत्र में है। लिहाजा इस पर फौरन कार्यवाही की जाय।

दूसरे क्या मंत्री महोदय को विदित है कि डाक्टर निरंजन प्रसाद, ए०डी०सी० को लिखा गया कि प्लीज सी टू द केस एण्ड एक्सपेडाइट ऐक्शन, श्री वीरेन्द्र स्वरूप, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल.....। इस पत्र की जानकारी है और वह कहते हैं कि जानकारी नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जो तथ्य हैं उनको देने की कृपा करें ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि अभिलेखों में यह हमारे पास नहीं है। लेकिन यह सही है कि इस किस्म की चीज हो सकती हैं। सी०आई०डी० के जो अभिलेख हैं उनमें यह नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि जब पुलिस की रेड हुयी थी तो जो इंटरेस्टेड थें, उन्होंने एक आध पेपर्स निकाल लिये हैं। यह उनके पास होंगे।

मेरी समझ में नहीं आता है कि इसमें कौन सी खास बात है। १० दिन से मामला पड़ा हुआ है एक पत्र लिख दिया है कि इसको एस्पेडाइट करें। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गयी है।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। और मंत्री जी कह रह हैं कि सिफारिशी पत्र का कोई महत्व नहीं है। मुझे भी इस संबंध में कुछ जानकारी मिली है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस संदर्भ में जो तथ्य अखबारों में छपे हैं, प्रश्न हुये हैं, क्या उसकी जांच करायेंगे कि इस फार्मास्यूटिकल में वीरेन्द्र स्वरूप जी का हित है और वह भी हिस्सेदार हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे यह पता लगे कि वह हिस्सेदार हैं या नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इस संबंध में जो तथ्य दिये गये हैं उनके देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे व्यक्ति इन्वाल्व्ड हैं जिनकी रेपूटेशन का प्रश्न है। तो सरकार का यह कार्य है कि जांच करावे

अगर वह स्वच्छ हैं तो यह पब्लिक के सामने आ जाय। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि १० मई को एक मीटिंग में कहा गया कि इस फार्मास्कूटिकल को लाइसेंस दिया जाय और उसके पहले इंसपेक्टर ने रिपोर्ट दी कि यह इसके योग्य नहीं है कि, लाइसेंस दिया जाय। तो क्या जनहित में ऐसे व्यक्तियों की सफाई के लिये, इनके हित में सभी संबंधित कागजात १ हफ्ते के अंदर सदन के सामने रखे जायं। थोड़ी देर के लिये इनको सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ताकि सभी चीजों की जानकारी हो सके ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, माधव बाबू तो स्वतः बड़े वकील हैं। मामला सी०आई०डी० में है। सी० आई० डी० छानबीन कर रही है। इस मामले को सदन में लाने से और टीका टिप्पणी करने से बाद में केस की मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। मुकदमें का फैसला होने के बाद यह पब्लिक डाकूमेंट हो जायगा। इस संबंध में अगर आप उस समय चाहेंगे कि इसके अन्दर जो है उसकी सूचना दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि डा० चक्रवर्ती को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, क्यों वारंट नहीं जारी किया गया क्योंकि उनके आदेश से लाइसेंस दिया गया है ? डा० चक्रवर्ती के अलावा कितने लोगों को सस्पेंड किया गया और कितने को जेल भेजा गया ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

मैं पहले ही कह चुका हूं कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर, श्री निरंजन प्रसाद की जब रेकमेन्डेशन हो जाती है तो वह ड्रग कंट्रोलर के पास आती है। उस रेकमेन्डेशन पर डा० चक्रवर्ती ने दस्तखत कर दिया। तो उनको किस आधार पर सस्पेंड किया जाय।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, डा० विरेन्द्र स्वरूप ने पत्र लिखा और जो कि पेपर में प्रकाशित भी हो चुका है। लेकिन उन्होंने इन्कार किया कि हमने कोई पत्र नहीं लिखा है। यह मामला सी० आई० डी० के अधीन जांच में है। तो क्या मंत्री जी डा० विरेन्द्र स्वरूप के इस मामले को भी सी० आई० डी० के जांच के लिये सुपुर्द करेंगे ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

मान्यवर, इसको सुपुर्द करने का सवाल नहीं है। इस संबंध में जो भी व्यक्ति संबंधित होंगे उनकी सी० आई० डी० जांच कर रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मैं अपना पहला रेफरेन्स दूं कि एक पत्र लिखा गया और जिसके तथ्य स्पष्ट हैं। २५ जुलाई, को नेशनल हेराल्ड में न्यूज है कि श्रीमती चोपड़ा को कालेज से स्तीफा देकर निकलना पड़ा। इनके संबंध में मंत्री जी ने कहा कि उनका कन्डक्ट सस्पीशस है। इस तरह हर मामले में बड़े आदमियों को बख्शा जाता है। डा० विरेन्द्र स्वरूप ने रिकमेन्डेशन किया तो भी बड़े आदमियों को छोड़ दिया गया और अरोरा को सस्पेंड कर दिया गया। तो मान्यवर, इन मामलों को अहम मामला मानकर क्या मंत्री जी फिर से लिखेंगे कि डा० विरेन्द्र स्वरूप के खिलाफ इंक्वायरी की जाय ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जांच हो रही है। मेरे लिखने का प्रश्न नहीं उठता है। यदि इनको कोई जानकारी है तो उनके संबंध में लिखकर दे दें, और यदि सी० आई० डी० से जांच चाहते हैं, तो मैं उस पत्र को सी० आई० डी० को फारवर्ड कर दूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की रिपोर्ट के आधार पर ड्रग कंट्रोलर ने लाइसेंस दिया। तो ड्रग कंट्रोलर ने अपने आपको उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड किया कि नहीं। यह क्या सही है कि उसने सेटिस्फाइड अपने को नहीं किया ? इसलिये असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से मिलकर उन्होंने भी यह फ़्राड किया।

श्री राज मंगल पान्डेय—

मान्यवर, दो तरह की चीजें होती हैं। एक यह कि जिसको मख्य कार्य करने का अधिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा किसी को मुख्य कार्य नहीं करना होता है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। यदि डाक्टर किसी को सर्टिफिकेट दे देता है तो सी० एस० भी उसको सर्टिफाइड कर देता है। यदि दस्तखत कर दिया और काउन्टर सिगनेचर भी कर दिया तो.....।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, यह गलत काम करने के लिये साजिश की गई है। यह गलत रिपोर्ट आई है। उन्होंने क्यों नहीं अपने को सेटिस्फाइड किया कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ने जो रिपोर्ट दिया वह सही है कि नहीं ? इसलिये वह भी सजा के भागीदार हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, यह तो विषय की बात है। यदि मैं इनकी बात को मान भी लेता हूं तो डा० चक्रवर्ती असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर की रिकमेन्डेशन जब हो गई, तो उनके विषय का क्या कारण हो सकता था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मुख्य मंत्री जी का नारा स्वच्छ प्रशासन देने का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हैं और मेरी सूचना है कि सी० आई० डी० पर दबाव डाला जा रहा है, तो क्या यह मामला सी० बी० आई० के सुपुर्द किया जायगा ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सी० आई० डी० ने इस संबंध में जो कार्यवाही की है उसने किसी को बख्शा नहीं है। आपका प्रश्न दो व्यक्तियों के बारे में है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि इन दो के बारे में कोई बात नहीं है।

श्री मोती लाल बहलवी—

अभी कह रहे थे कि सी० आई०डी० जांच कर रही है और अब कहते हैं कि सी०आई०डी० ने किसी को बख्शा नहीं है। तो यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

श्री वीरेन्द्र स्वरूप नैपाल में एक बारात में गये थे तो एक लाख का तस्करी का सामान खरीदा था....

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मंत्री जी जवाब द रहे हैं।

श्री राज मंगल पांडेय--

सी० आई० डी पर अविश्वास करने का कोई कारण होगा तो सी० बी० आई० को यह मामला दिया जावेगा। यहां पर केवल दो व्यक्तियों के बारे में सदन में कहा गया है। तो माननीय सदस्यों को जो जानकारी हो उसे सी० आई० डी० को दे दें या मुझे दे दें। इसमें सी० बी० आई० का प्रश्न कहां उठता है। अगर सी० आई० डी० की जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो सी० बी० गाई० को देंगे।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह मामला इतना गंभीर है और इसमें एक बहुत बड़े आदमी की प्रतिष्ठा इन्वाल्व है, तो उनकी पोजीशन साफ करने के लिये क्या यह मुनासिब नहीं है कि यह मामला सी० बी० आई० को जांच के लिये दिया जाय ? उससे लोगों का ससपिशन दूर हो जावेगा और कोई सुबहा नहीं रहेगा।

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, अब तक सी० आई० डी० के खिलाफ मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है। यह तो आप प्रीजम्पशन पर बात कर रहे हैं। सी० बी० आई० को जांच के लिये लिखने में उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार को लिखना पड़ेगा जिसमें बहुत बिलम्ब होगा। एक तरफ तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि कार्यवाही में जल्दी की जाय और दूसरी तरफ डिले करवा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मंत्री जी ने कहा कि इस केश के सारे कागजात सी० आई० डी० के पास हैं, तो सदन में उत्तर उन्होंने किस आधार पर दिया है, क्या उनके पास कागजात कोई हैं ?

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मैंने जो जवाब दिया है उसका तो आधार मेरे पास है, लेकिन अभिलेख मेरे पास नहीं है। कहा गया कि अभिलेख गायब हो गये हैं तो हो सकता है कि कुछ पेपर्स गायब हो गये हों।

श्री जटाधर बाजपेयी (जिला कानपुर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह जितने सार्वजनिक जीवन में एम० एल० एज० हैं या मंत्री हैं, उन सभी की जांच कराने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई सवाल नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, कुछ लोग इस बात को इनसिस्ट करते हैं कि इधर के भी लोग इनवाल्व हैं। अतः मेरा आग्रह है कि पहले इस बात की जांच हो जाय तब उसकी जांच हो।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी लगातार इस बात की रट लगा रहे हैं कि सी० आई० डी० से जांच हो रही है। लेकिन मान्यवर, सी० आई० डी० इस बात की जांच कर रही है कि वह ग्लूकोज सही था या गलत, मुकदमा बनता है कि नहीं, आदि-आदि। इसमें वीरेन्द्र स्वरूप जी का क्या रोल है, उसकी जांच नहीं हो रही है। अतः इस बात को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी सी० बी० आई० से जांच करायेंगे और नहीं तो उसमें कौन सी कठिनाई है। इसमें हर्ज क्या है कि वीरेन्द्र स्वरूप जी की भी पोजीशन साफ हो जाय और माननीय सदस्यों को भी संतोष हो जाय और प्रदेश की जनता को भी जो आशंका पैदा हो गयी है, वह भी दूर हो जाय ? तो सी० बी० आई० से जांच कराने में क्या कठिनाई है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, सी० आई० डी० सारे पहलुओं पर जांच कर रही है कि लाइसेंस देना ठीक था कि नहीं, मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट की रिक्विजिट क्वालीफिकेशन थी कि नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इस पर आध घंटे की चर्चा दी जाय।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इस पर २ घंटे की चर्चा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर जैसा आपने कहा, कोई लिखकर दे देगा तो आध घंटे की चर्चा हो जायगी।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सिफारिशी पत्र वीरेन्द्र स्वरूप जी ने लिखा था, ये फाइल में मौजूद है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर काफी समय लग गया, हम आगे चलते हैं।

बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ के नाले की सफाई

*२—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ में गोमती नदी का बन्धा बनते समय पेपर मिल की दीवाल से मिला हुआ जो नाला १९७३ में बनाया गया था उसकी सफाई तब से आज तक नहीं कराई गयी है जिसके कारण बरसात में बस्ती के अन्दर गन्दा पानी बहने का खतरा रहता है साथ ही साथ जनता क स्वास्थ्य एवं जनधन की हानि होने की सम्भावना है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नाले को पक्का बनाने के पश्चात् उसकी सफाई करा दी गयी थी। परन्तु उसके बाद नगर महापालिका ने इस नाले के रख-रखाव की जिम्मेदारी नही ली कि उसकी बराबर सफाई होती रहती। अब नाले की सफाई कराई जा रही है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या माननीय मन्त्री जी, जो इस नाले का दूसरी तरफ को बहाव नहीं है, तो उसकी कायदे से व्यवस्था करायेंगे और साथ ही जो उत्तर दिया है कि उसकी सफाई का कार्य हो रहा है, तो वह कार्य कब शुरू किया गया?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इसमें स्वायत्त शासन विभाग ने यह कहा कि इसको लखनऊ कारपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाय और लखनऊ कारपोरेशन को इस कार्य को करने में कुछ हिचक थी। बाद में गवर्नमेन्ट ने (एल० एस० जी० डी० ने) यह तय कर दिया कि यह कार्य लखनऊ महापालिका को ट्रांसफर कर दिया जाय, और वह उनको स्थानान्तरित कर दिया गया। अब इस नाले की सफाई का कार्य हो रहा है और १० दिन में पूरा हो जायगा।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, एल० एस० जी० डी० ने इस नाले में पानी की निकासी के लिये जो नाली बनाई है वह ६ इंच चौड़ी है, उससे पानी का बहाव ठीक से हो नहीं सकता। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसमें पानी के समुचित निकास के लिये उचित व्यवस्था की जायेगी?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, बहाव के बारे में अभी तक कोई शिकायत आई नहीं। शिकायत तो सफाई की आई थी। लेकिन अगर पानी का लेबिल ऐसा है कि पानी बह नहीं रह है, तो उसके लिये महापालिका से कहा जायगा।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, एक प्रश्न की और इजाजत दे दें।

मान्यवर, सफाई का बन्दोबस्त लम्बे अर्से से नहीं हो रहा है। क्या सरकार वहां पर बजाय वह खुली नाली रहे, वहां पर बन्द लाइन या पाइप लाइन की व्यवस्था करेगी, ताकि वहां पर सड़ान और गन्दगी की स्थिति न पैदा हो?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं समझ नहीं सका।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

पाइप लाइन अगर बन्द है तो नाली की व्यवस्था करायेंगे ताकि गन्दगी पैदा न हो?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इंजीनियर स्वतः देखेंगे कि पानी का बहाव रुका तो नहीं है। अगर रुका है तो उसका प्रबन्ध करेंगे ताकि पानी का बहाव न रुके।

*३—श्री कल्याण सिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ९वें मंगलवार में प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर महापालिका, लखनऊ के क्वार्टरों को बेचने का आदेश

*४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव), श्री राम सेवक यादव, श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत) तथा श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के अन्तर्गत पेपर मिल कालोनी तथा दालदा रोड कालोनी में बने हुए नगर महापालिका के क्वार्टर्स को बेचने के आदेश नगर महापालिका, लखनऊ को अभी हाल में दे दिये हैं? यदि हां, तो क्यों और इनकी बिक्री किस प्रकार की जायेगी?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

(१) जी हां।

(२) नगर महापालिका को वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु।

(३) जहां तक बिक्री का सम्बन्ध है, यह मामला विचाराधीन है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

लखनऊ महापालिका के प्रशासक ने समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित की थी कि महापालिका के ये जो फ्लैट्स हैं वे मार्केट रेट पर बेचे जायेंगे और मन्त्री जी यह बतला रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है तो कौन सी बात सही है ? आया यह मामला विचाराधीन है अथवा वे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर सरकार इन फ्लैट्स को बेचने के सम्बन्ध में तय करने जा रही है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

ये ६ हजार आवासीय मकान हैं जिनके किराये की वसूली में महापालिका को बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिये शासन ने यह सोचा कि कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लिहाजा कारपोरेशन को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह उन मकानों को बेच दे ताकि वह ऋण का भुगतान कर सके। इस कार्यवाही से कारपोरेशन का भला हो जायगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जायगी।

श्री भगवती सिंह विशारद--

नगरमहापालिका के ये जो फ्लैट्स बने हुए हैं ये मध्यम श्रणी के लोगों से सम्बन्धित हैं। इसमें प्रश्न करने अथवा उत्तर देने में कोई उतावली का सवाल नहीं है। मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं मिला। माननीय मन्त्री ने उत्तर में कहा कि इन क्वार्टर्स का किराया बाकी है उसकी वजह से सरकार उनको बेचने का निर्णय लेने जा रही है। मेरा प्रश्न यह है कि प्रशासक ने एक नोटिस समाचार पत्रों में छपवाया था कि ये फ्लैट्स बाजार रेट पर बेचे जायेंगे और मन्त्री जी उत्तर में यह बतला रहे हैं कि यह मामला विचाराधीन है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे कौन से मुद्दे हैं जिनके आधार पर इन फ्लैटों की बिक्री होगी और क्या यह बात सही है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

इसमें कई चीजें हैं। पहली बात यह है कि अगर ये मकान बेचे जायें तो उनकी एक किस्त हो अथवा इंस्टालमेंट हो। दूसरे जो ट्रेसपासर्स हैं अथवा सब टेनेन्ट्स हैं उनका क्या किया जाय ? इस प्रकार बहुत से मसले हैं जिनको तय करना है। इन मसलों पर पहले विचार हो रहा है कैसे इन मसलों का निबटारा किया जाय।

श्री भीखालाल--

प्रशासक ने यह बयान दिया कि बाजार भाव पर ये फ्लैट्स बेचे जायेंगे और सरकार कह रही है कि मामला विचाराधीन है यह बात माननीय मन्त्री के उत्तर से साफ नहीं हुई। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान नगरमहापालिका अधिनियम, १९७२ में संशोधन करके जो धारा १५९ (क) बनाई है उस में जो प्राविधान किया गया है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह प्राविधान है कि नगरमहापालिका एल० आई० सी० अथवा बैंक जैसे संस्थान से कर्ज लेकर फ्लैट्स बनायेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि पहले भारत सरकार जो नियम बनायेगी उनका पालन करना पड़ेगा और भारत सरकार ने लो इनकम ग्रुप के लिये जो नियम बनाये हैं उसमें प्राविधान इस प्रकार है :--

The house so built by the local bodies etc. shall be sold or let out as the case may be ; but it will be done on no profit no loss basis.

नो प्राफिट नो लास बेसिस पर जो मकान नगरमहापालिका बनायेगी वह कर्ज ले कर बनायेगी और उनको वह रेट पर देगी अगर बेचेगी तो नो लास नो प्राफिट बेसिस पर बेचेगी। तो मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटर ने बताया है कि १० साल पहले जब ये मकान बने थे उस समय इनकी कीमत कम थी और अब और भी कम हो गई होगी। तो क्या ऐसी पाबन्दी उन मकानों के एलाट करने या बेचने में की जायेगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इन मकानों की परिस्थिति भिन्न है। इनमें कुछ मकान ऐसे हैं जिनमें से कि बहुतों का किराया वसूल नहीं हुआ है और इसके लिये जो ऋण लिया गया था उसका सूद भी बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें कन्सीडरेशन में हैं। उसके बाद ही यह प्रश्न उठेगा।

श्री रामसेवक यादव—

माननीय मन्त्री जी क्या बतलायेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि उन मकानों में कुछ लोगों ने बहैसियत सब-टेनेन्ट के कब्जा कर रखा है तो मैं जानना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में ऋण देते समय करार हुआ है कि उस करार पर सरकार कायम रहेगी और निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिये ही ये मकान बनाये गये थे और बाद में हर चीज के मूल्यों के नियन्त्रण की बात सोचते हैं खासतौर से ये मकान गरीबों के रहने के लिये ही बनाये गये थे तो उनकी सुख-सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगी और यहां पर आश्वासन देगी कि बाजार भाव से ये मकान न बेचे जायें क्योंकि बाजार भाव से बेचे जाने पर ये मकान गरीबों के हाथ से चले जायेंगे? यदि सरकार आश्वासन देने में असमर्थ है तो जो किरायेदार इन मकानों में रह रहे हैं वे बेदखल न हों, ऐसा आश्वासन सरकार देगी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इन मकानों में निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोग ही हैं। इन मकानों के रख-रखाव, सूद, किराया एवं मार्केट रेट आदि सब चीजों को ध्यान में रख कर ही निर्णय लिया जा सकेगा। हम कोई मुनाफा इसमें नहीं लेना चाहते हैं लेकिन जो किराया बाकी है और जो फर्क आता है जब तक वह पूरा न हो तब तक कम धनराशि में हम उन्हें नहीं बेच सकते।

श्री धीरेन्द्र सहाय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से जो ऋण मिला है और जो किराया आपने वसूल किया है वह कितना किराया वसूल किया है और कितना ऋण की शक्ल में केन्द्रीय सरकार को वापस किया है?

श्री राजमंगल पांडय—

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार करीब-करीब डेढ़ करोड़ रुपया ऋण का था उसमें से ४५,३१,००० रुपया मार्च १९७३ तक वापस करना था और ५८ लाख ९० हजार इस वर्ष १९७४ में वापस हुआ है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, जैसा कि विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है, मैं सरकार से इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जब ये मकान पहले बेचे गये थे तो नगरमहापालिका ने ८/१० हजार रुपये में बेचे थे। तो क्या सरकार पुनः यह आश्वासन देगी कि जिस प्रकार या जिस कीमत पर ये मकान पहले बेचे गये थे उसी को ध्यान में रखते हुए ऊंची दर देने वाले तथा सत्ता एवं सुविधा प्राप्त सामाजिक वर्ग को ये मकान नहीं बेचे जायेंगे और मध्यम और निम्न आय वाले लोगों को ही बेचे जायेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, ये मकान करीब-करीब उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं जो कि मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के हैं। जो ऋण लिया गया है, उसका सूद, रख-रखाव का खर्चा, किराये की धनराशि तथा मार्केट रेट आदि सारी चीजों को देखने के बाद ही हम निर्णय लेंगे। वैसे जैसे मैंने कहा कि हम कोई मुनाफा नहीं लेना चाहते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९४८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी में वरुणा नदी पर रामेश्वर के पुल की जीर्णावस्था

*१—श्री ऊदल—

क्या पंचायतीराज मन्त्री को जानकारी है कि जिला वाराणसी में पंचकोशी सड़क में वरुणा नदी पर पड़ने वाला रामेश्वर का पुल एकदम जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो इसको अब तक न बनवाने का कारण क्या है?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

यह सही नहीं है कि रामेश्वर का पुल जर्जर हो गया है। केवल वर्षा के कारण पुल के अप्रोच की कुछ मिट्टी नष्ट हो गई है परन्तु आवागमन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है।

साधारण मरम्मत की आवश्यकता है जिसका अनुमान-पत्र बनाया जा रहा है।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि पुल के उत्तरी तरफ पंचकोशी सड़क पर कुछ दिनों में काफी ट्राफिक होगी, काफी ट्रकें और बसें उस पर आने वाली हैं और पुल का उत्तरी हिस्सा जितना पक्का है, उसके बाद का हिस्सा नदी के बहाव से काफी कट गया है, रास्ता खराब हो गया है, जांच कराकर किनारे से पक्का बना कर उस पर मिट्टी या कंकड़ बिछवाने की कृपा करेंगे, ताकि मलमास में आने वाले मेले के समय सवारियां ठीक से चली जाएं ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

यह पुल जिला परिषद् का है। सार्वजनिक निर्माण विभाग और जिला परिषद् के अभियन्ता ने रिपोर्ट दी है कि इसके दोनों तरफ की मिट्टी बह गई है, जिसके लिये उन्होंने एक आंकलन ४७५६ रुपये का बनाया है। अब उसकी मरम्मत होगी और उनका कहना है यह पुल अभी यातायात के लिये ठीक है।

सहकारी संघ, रामपुर, गोंडा के सुपरवाइजर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच) तथा श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी संघ, रामापुर, विकास खण्ड कटरा बाजार, जिला गोंडा के सुपरवाइजर के खिलाफ यूरिया खाद चोर बाजारी में बेच लेने तथा अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतें किसानों द्वारा दिनांक ३ जनवरी, १९७३ को जिला नियोजन अधिकारी, गोंडा, दिनांक २२ फरवरी, १९७३ को जिलाधिकारी गोंडा, ३१ अगस्त, १९७३ को उप निबन्धक, सहकारी समितियां मण्डल, फैजाबाद, नवम्बर, १९७३ को राज्यपाल के सलाहकार और जनवरी, १९७४ को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को प्रार्थना पत्र देकर की गई ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना पत्रों पर जांच कराई गई अथवा नहीं ? यदि कराई गई तो क्या परिणाम निकला?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

जी हां। जांच कराई गयी। शिकायतें निराधार पायी गईं।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतें क्या और कितनी थीं, एवं किन अधिकारियों द्वारा किन तारीखों में उसकी जांच कराई गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

शिकायत यह रही कि खाद भीग गई थी और भीगने से उसका वजन बढ़ गया था और सुपरवाइजर ने २ किलो से ४ किलो तक के ज्यादा दाम लिये ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---

५ शिकायती पत्र हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सब पर एक ही वक्त जांच की गई या अलग-अलग तथा एक ही अधिकारी ने जांच की या अलग-अलग अधिकारियों ने इनकी जांच की? और साथ यह भी मन्त्री जी बताने की कृपा करें कि शिकायत करने वालों से जांच करने वालों ने सम्पर्क स्थापित किया या नहीं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जितनी शिकायतें मार्च, ७३ के पहले आई थीं, उन पर तो वहां के सहायक निबन्धक ने जांच किया, उनकी रिपोर्ट में भी यही आया और उसके बाद शेष सभी पर वहां के जो डी० सी० ओ० थे, उन्होंने जांच किया और उनकी रिपोर्ट में भी वही आया कि यह सारी शिकायतें जो हैं, निराधार हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जो शिकायतकर्ता थे, उनसे भी पूछताछ की गई या अपने आप घर पर बैठे-बैठे रिपोर्ट लगा दी गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जी हां, उनसे भी सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की गई लेकिन सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में पौड़िया के कम्युनिस्ट पार्टी के मन्त्री श्री राधेश्याम द्विवेदी से भी सम्पर्क स्थापित किया गया और उन्होंने चाहा कि अप्रैल की तारीख हटाकर जून में कर दी जाए, किन्तु उस पर भी जून में भी वह मिल नहीं सके । अतः अन्त में ६ जुलाई, १९७४ को जांच कर दी गई है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या यह बात सही है कि यह जो जांच की गई है, वह शिकायतें मिलने के एक वर्ष बाद की गई है जब सब के सब सबूत नष्ट हो गये ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

श्रीमन् जब पहले निवेदन किया । पहले जो शिकायतें मिली, उन पर ९ मार्च, ७३ को जांच हुई थी और बाद में जो शिकायतें आयीं, उन पर १४ अप्रैल, ७४ जांच की तारीख रखी गई, फिर जून में रखी गई, किन्त फिर बाद में जुलाई में उसकी जांच पूरी हुई थी ।

कोंच तहसील, जालौन में सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें

*३---डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)---

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में कोंच तहसील के अन्तर्गत ग्राम भेंड़ तथा कस्बा कोंच में शराब की दो दूकानें सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैन्ड पर, ठीक स्कूल के दरवाजे पर खुली हैं ? किसके स्थानान्तरण के लिये स्थानीय जनता ने जिलाधीश से प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इस वर्ष जिला जालौन में ग्राम रनवां में एक नयी देशी शराब की दुकान और कोंच कस्बे में एक अतिरिक्त देशी शराब की नई दुकान खोली गयी हैं। ग्राम रनवां में उचित स्थान प्राप्त न होने के कारण रनवां की देशी शराब की दुकान का अस्थायी प्रबन्ध ग्राम भेंड़ में किया गया है। ग्राम भेंड़ में शराब की दुकान जालौन--कोंच रोड पर ग्राम की अन्य दुकानों के बीच स्थित है जहां सड़क पर बसे रुकती हैं। कस्बा कोंच में खोली गई दुकान बस स्टैण्ड से १७० फीट तथा स्कूल से ३० फीट की दूरी पर है। इन दोनों दुकानों के स्थानान्तरण के लिए स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी से प्रार्थना की है। जिलाधिकारी ने अनुज्ञापियों को आदेश दे दिये हैं कि वे अपनी दुकानें अन्य स्थानों पर ले जायें।

डाक्टर मलिखान सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने उत्तर में लिखा है कि कोंच कस्बे में खोली गयी दुकान बस स्टैन्ड से १७० फीट तथा स्कूल से ३० फीट की दूरी पर है, इंचों में गिनती क्यों नहीं लिखी? स्कूल के बिलकुल दरवाजे पर शराब की दूकान खुली है, जिसकी शिकायत की गयी लेकिन स्कूल के दरवाजे से आज तक नहीं हटायी गयी। भेंड़ में दुकान ठीक बस स्टैन्ड पर बनी है। वहां पर लोग शराब पी कर औरतों, बच्चों को तंग करते हैं, लेकिन जिला अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया। यह जो कहा गया है कि जिला अधिकारी ने आदेश कर दिया है, तो कब आदेश कर दिया है, और वह दूकानें कब हटा ली जायेंगी?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

आदेश दे दिये गये हैं। चूंकि उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है इसलिये देर लग रही है। चूंकि सरकार की दो लाख रेवेन्यू का सवाल है, हम दूकानों को बन्द नहीं कर सकते। ज्योंही उपयुक्त स्थान मिल जायगा उस आदेश का पालन हो जायगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि शराब की दूकान कहां खोली जाय उसमें नियम है, जब ठेका दिया जाता है तो बता दिया जाता है कि उस नियम की अवहेलना न हो, पब्लिक प्लेस पर दूकान खोल कर सरकारी कंट्रैक्ट की अवहेलना की है, इसलिये इस व्यापारी का लाइसेन्स रद्द करके, सारा पैसा जब्त करके, दूसरे व्यक्ति को लाइसेन्स देने की कृपा करेंगे?

श्री राजमंगल पांडेय--

चूंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस बात का फैसला किया कि दूकानें बढ़ें, दूकानें बढ़ाने के सम्बन्ध में वहां भी दो दूकानें बढ़ीं। जब वे दूकानें बढ़ीं तो कोई उनका विरोध नहीं हुआ। अब विरोध हो रहा है। चूंकि विरोध हुआ है जिला अधिकारी ने आदेश कर दिया है। ज्योंही उपयुक्त स्थान मिल जायगा दूकानें हट जायेंगी।

श्री रामसेवक यादव--

मन्त्री महोदय ने कहा कि नयी दूकानें खुल रही हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय इस व्यवस्था की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, स्टेशनों पर, बसों पर, कोका कोला की बोतलें जैसे बिकती हैं, वहां भी इस तरह की व्यवस्था करने का विचार है?

(प्रश्न के उत्तर के लिये सम्बन्धित मन्त्री को नहीं बुलाया गया।)

डाक्टर मलिखान सिंह--

मैंने एक प्रश्न पूछा कि जिला अधिकारी ने दूकानें हटाने के लिए आदेश किस तारीख को किया, और निश्चित अवधि नहीं बतायी कि वे दूकानें कब तक हट जायेंगी?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

सारी शिकायतें ३० अप्रैल, १९७४ को प्राप्त हुई हैं। जिला अधिकारी के आदेश की तारीख मेरे पास नहीं है, याद नहीं है, उसके बाद ही उन्होंने लिखा है कि ये दूकानें हटा ली जायंगी, मई वगैरह में कहीं लिखा होगा।

नगर महापालिका लखनऊ की १९७१-७२ की आडिट रिपोर्ट में दिखाई गई अनियमिततायें

*४---श्री मुहम्मद असरार अहमद, श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) तथा श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ की आडिट रिपोर्ट वर्ष १९७१-७२ में बहुत जबरदस्त अनियमिततायें दिखाई गयी हैं और मुख्य लेखा परीक्षक ने कोई रिपोर्ट सरकार को इस सम्बन्ध में भेजी है, यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री राजमंगल पाण्डेय---

मुख्य लेखा परीक्षक, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा शासन को नगर महापालिका को वर्ष १९७१-७२ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भेजा गया है। इस प्रतिवेदन में २६२ विशेष एवं १६५५ साधारण आपत्तियां दर्शाई गई हैं। इन आपत्तियों के समाधान हेतु नगर महापालिका को आवश्यक आदेश दिये गये हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी कि मन्त्री जी ने पिछले दिन कहा था कि सूचना इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन आज जो सूचना उन्होंने दी है वह उस दिन दे दी थी। मैंने कहा था कि प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी जाय। इसमें २६२ विशेष और १६५५ साधारण आपत्तियां हैं तो जब तक रिपोर्ट न आये तो कैसे समझा जाय। सरकार जानबूझ कर छिपा रही है। आज जो सूचना मांग रहे हैं वह कब देंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय---

श्रीमन्, प्रतिवेदन की कापी मेरे पास है। आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो विशेष आपत्तियां हैं उनका विवरण देने के लिये तैयार हूं। इसके बाद क्या प्रश्न उठता है यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

उस दिन कहा था कि कापी दे देंगे और नगर महापालिका ने क्या कार्यवाही की उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ कहा है कि भेज दी गई है। क्या क्या आपत्तियां हैं इसकी जानकारी नहीं है और नगर महापालिका ने क्या कार्यवाही की है, कुछ नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस सवाल को स्थगित करें और रिपोर्ट दिलायें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

किसी अनियमितता की तरफ ध्यान नहीं दिलाया गया जब किसी अनियमितता की तरफ ध्यान दिलायेंगे तो मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि विशेष आपत्तियों में से मुख्य-मुख्य कौन हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

उनका सवाल तो यह है कि अनियमिततायें हैं तो जब तक वह नहीं बतायेंगे तब तक कैसे ध्यान दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय काशीनाथ जी, आप सवाल पढ़ लें । उसमें यह है कि मुख्य लेखा परीक्षक न कोई रिपोर्ट सरकार को इस सम्बन्ध में भेजी है, यदि हां तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ।

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, किराये की साइकिल को निजी साइकिल का शुल्क लेकर छोड़ दिया जाना । इससे २५ रुपये २५ पैसे की क्षति हुई है । विद्युत देयक को जो देने से छूट आदि से १२ रुपये १२ पैसे की हानि हुई है । श्री जी० पी० सिंह द्वारा अवकाश अवधि में ट्रेजरी से वेतन न लेकर विकास निधि से वेतन लेना इसमें ८४७ रुपये ८१ पैसे की हानि हुई है । श्री एच० डी० असरानी सहायक अभियन्ता को मोटर एलाउन्स का अधिक भुगतान । इससे १९ रु० ६५ पसे की हानि हुई है । कुछ पकड़ी गई साइकिलों को पूर्ण छानबीन किये बिना लाइसेन्स दिया गया । इससे १३० रुपये ५० पैसे की हानि हुई है । सीमा कर विभाग की आमदनी को महापालिका कोष में जमा न किया जाना । इससे २८ रुपये की हानि हुई है । बिना आज्ञा लाउड स्पीकर बजाना । इससे १८ रुपये ८० पैसे की हानि हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहुत लम्बी है ।

श्री रामसेवक यादव--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि इसमें २६२ विशेष और १६५५ साधारण आपत्तियां हैं । विशेष आपत्तियों में से उन्होंने कुछ को पढ़ कर सुनाया तो इनमें जिन की जिम्मेदारी है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई और जो रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं तो इस किताब को सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं ।

श्री रामसेवक यादव--

तो रख दीजिये ।

(सदन के पटल पर किताब रख दी गई)

श्री राजमंगल पांडेय--

मैंने बता दिया कि जो २६२ विशेष आपत्तियां हैं उनके लिये एक कमेटी बना दी गई है जो छानबीन कर रही है । इससे कुछ मामलों में गबन का शक होता है । जैसे कार्य कीपर के यहां १०२४.०६ के विक्रय फार्म का लेखा-जोखा न होने के कारण १८३ रुपये ३ पैसे की गबन होने की आशंका है । इसका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । इसके बाद इसके ऊपर समुचित कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव--

इन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, यह कब मांगा गया ?

श्री राजमंगल पांडेय—

एक समय बताना कठिन है। इसके लिये जो कमेटी है, सारी आपत्तियों के निवारण में सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ करती है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

श्री अध्यक्ष—

किसी विशेष परिस्थिति के बारे में प्रश्न करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित करें। उस दिन माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि साइक्लोस्टाइल रिपोर्ट है और आज छपी हुई है। मैं कौन सा सवाल करूं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैंने कहा कि प्रतिवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

यह तो छपता ही है। इसे रख दिया गया है। देख लें।

देवरिया नगरपालिका द्वारा लगाया गया टैक्स

*५—श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि देवरिया नगरपालिका ने टोल टैक्स, तहबाजारी टैक्स, ठेला, गुमटी टैक्स, पथकर यात्रा-कर एवं मोचियों पर टैक्स लगाया है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का टैक्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त टैक्सों की वसूली को तुरन्त बन्द करायेगी?

श्री राजमंगल पांडेय—

नगरपालिका देवरिया में टोल टैक्स (पथकर) लगाया जाता है और तहबाजारी भी वसूली जाती है। ठेलों, गुमटियों और सड़क के पटरियों पर दुकान लगाने वाले लोगों से उक्त नगरपालिका द्वारा तदर्थ बनायी गयी उपविधियों के अनुसार तहबाजारी वसूली जाती है। यह टैक्स सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त लगाये गये हैं। यात्री कर नहीं लगाया जाता है।

गोरखपुर, वाराणसी तथा फैजाबाद मण्डल की नगरपालिकाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश की अधिकतर नगरपालिकाओं में उक्त कर तथा तहबाजारी लगती है।

नगरपालिका द्वारा लगाये गये पथकर तथा तहबाजारी की वसूली को समाप्त किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकेवल—

माननीय मंत्री जी के जवाब के सम्बन्ध में, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद में जो मई मास में मोची, ठेला, गुमटी वालों से और तहबाजारी की शक्ल में जो धन वसूल हो रहा है वह प्रति दिन कितना हो रहा है? दूसरा राज्य सड़क परिवहन निगम में जो ३० पैसे से ४० पैसे देवरिया नगर में प्रवेश करने के लिये लगता है। बस पर जो लोग जाते हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है, तो क्या मंत्री जी इसको समाप्त करेंगे? तीसरा, गोरखपुर,

---

नोट :—नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

वाराणसी या फैजाबाद को देखते हुये जो मोची, ठेला और गुमटीवालों से टैक्स वसूल किया जा रहा है वह नगरपालिका देवरिया अधिक ले रही है, तो क्या उसको कम करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजमंगल पान्डेय—

वहां की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वहां की म्युनिसिपैलिटी ने कमिश्नर को लिखा और कमिश्नर ने उसकी स्वीकृति दी। मान्वर, तहबाजारी की फीस की पुरानी और नयी दरें इस प्रकार हैं। छत वाली दुकानें या छतों वाले ढांचे पुरानी एक मंजिल १ रु० वास्ते ८ फिट × ८ फिट इसको अब १.२० रु० कर दिया गया है। इसी से आप अन्दाजा कर लें कि कितनी बढ़ोत्तरी हुई है जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यह आर्थिक स्थिति के कारण किया गया है।

शामली डिस्टिलरी जिला मुजफ्फरनगर की आडिट रिपोर्ट

*६—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपर दोआब शुगर मिल, शामली, जिला मुजफ्फरनगर की डिस्टिलरी की दिनांक ९ फरवरी, १९७४ और २० फरवरी, १९७४ की आडिट रिपोर्ट में क्रमशः पैरा नं० ३ और पैरा नं० १ से ५ तक में यह कहा गया है कि उपरोक्त डिस्टिलरी में सन् १९७१ व १९७२ में हजारों लीटर स्प्रिट और हजारों क्विन्टल शीरे की कमी पाई गयी है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

शामली डिस्टिलरी जिला मुजफ्फनरगर के आडिटरों ने ९–२–७४ एवं २५–२–७४ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करीं। २०–२–७४ की कोई आडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

९–२–७४ की आडिट रिपोर्ट के पैरा ३ के अनुसार मिल के शीरे के स्टाक में २९–४–७१ को १०,१७२ कुन्लत शीरा और ३–५–७२ को १६,००० कुन्तल शीरा की कमी पाई गई। इस रिपोर्ट में स्प्रिट की कमी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

दिनांक २५–२–७४ की आडिट रिपोर्ट में न शीरा और न स्प्रिट की कमी के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख है।

प्रारंभिक विभागीय जांच के उपरान्त इस मामले की विस्तृत जांच हेतु इकनामिक इन्टेलीजेन्स विंग अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई को निर्देश दे दिये गये हैं।

विकास खण्ड खुनियावां जिला बस्ती में रबी १९७३–७४ में खाद का वितरण

*७—श्री रामरेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में विकास क्षेत्र खुनियावां के अन्तर्गत रबी १९७३–७४ के लिये किस मात्रा में खाद किन-किन काश्तकारों को दी गयी, कितनी प्राइवेट एजेन्सियां इस विकास क्षेत्र में खाद की हैं, उनसे कितनी खाद किन-किन काश्तकारों को दी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

विकास क्षेत्र खुनियावां, जनपद बस्ती के अन्तर्गत रबी १९७३–७४ में कुल २,६१४ कृषकों में १३२–७६८ मी० टन नत्रजनिक उर्वरक, ६१–०१३ मी० टन फास्फेटिक उर्वरक तथा २४–५१९ मी० टन पोटैसिक उर्वरकों का वितरण किया गया। कृषक वार सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

इस विकास क्षेत्र में प्राइवेट एजेंसियों के ११ विक्रेताओं एवं उप-विक्रेताओं के माध्यम से कुल ८४८ कृषकों में २७–५६० मी० टन, नत्रजनिक, २२–२८५ मी० टन फास्फेटिक एवं १४–८७८ मी० टन पोटैसिक उर्वरकों का वितरण किया गया है। विक्रेताओं तथा कृषकों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

जिला हरदोई में पिहानी–कुल्हापुर सड़क का निर्माण

*८—श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद हरदोई में पिहानी से कुल्हापुर होते हुये सीतापुर जाने वाली सड़क को गत वर्ष की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु रखा गया था, यदि हां, तो सड़क का निर्माण हुआ या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद हरदोई में पिहानी से कुल्हापुर घाट तक सड़क का निर्माण त्वरित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था, किन्तु धनाभाव के कारण इस योजना के अन्तर्गत इसको छोड़ दिया गया। अब इस सड़क का निर्माण सम्पर्क मार्ग की योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

पौड़ी-गढ़वाल व चमोली जिलों में पेय जल योजनायें

*९—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल तथा चमोली जिले में सन् १९७१ से सन् १९७४ तक कुल कितनी पानी की योजनायें स्वीकार की गईं और उनमें कुल कितनी ऐसी योजनायें हैं जो रुपया स्वीकृत होने के बाद भी कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से और कब तक योजनायें पूर्ण हो जायेंगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

पौड़ी गढ़वाल में १९७१ से १९७४ तक ८३ पेयजल योजनायें स्वीकृत हुईं, जिनमें से ५५ योजनायें पूर्ण कर दी गई हैं, २१ योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, तथा ७ योजनाओं पर जल श्रोत पर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण कार्य करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

चमोली जिले की ६७ योजनायें स्वीकृत हुईं, जिनमें स ५१ पूर्ण हो गईं, १५ पर कार्य प्रगति पर है, १ योजना का जल श्रोत विवादग्रस्त है।

पूर्ण योजनाओं से जनता को पेयजल दिया जा रहा है और जिन पर कार्य प्रगति पर है, उन्हें शीघ्र पूरा करने का प्रयास हर स्तर पर किया जा रहा है।

गोरखपुर मण्डल में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार विदेशी यूरिया खाद का वितरण

*१०—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९७३–७४ में एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, उ० प्र० के अन्तर्गत माह जनवरी–फरवरी, १९७४ में फैजाबाद से गोरखपुर मंडल को ३६,००० बोरी (छत्तीस हजार) विदेशी यूरिया खाद भेजी गई ? यदि हां, तो उसमें से कितनी-कितनी खाद गोरखपुर मंडल के किन-किन जिलों में किस अधिकारी द्वारा परमिटों के द्वारा जारी की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां, केवल ३१,७१० बोरी विदेशी यूरिया खाद माह जनवरी-फरवरी, १९७४ में फैजाबाद से गोरखपुर मण्डल को भेजी गयी।

उक्त यूरिया खाद गोरखपुर मण्डल के निम्नलिखित जनपदों में निम्नलिखित मात्रा के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अधिकृत मांग-पत्रों के आधार पर वितरित की गयी:---

१---बस्ती	..	७,४०० बोरी
२---आजमगढ़	..	८,७६० बोरी
३---देवरिया	..	७,२७० बोरी
४---गोरखपुर	..	८,२८० बोरी

*११---श्री शिव प्रसाद---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त खाद का स्टाक जो फैजाबाद से गोरखपुर भेजा गया था, वह प्रत्येक मंडल के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार था या उसके अतिरिक्त था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

उक्त खाद जो गोरखपुर भेजी गयी थी, प्रत्येक मण्डल के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही थी।

मिठवल ब्लाक, जिला बस्ती में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

*१२---श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती, ब्लाक मिठवल, ग्राम जीवा में रजत जयन्ती के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में सरकार ने कोई सम्पर्क रोड बनवाया है ? यदि हां, तो कितनी लागत पर ? क्या यह सही है कि ईंट प्रथम श्रेणी की न होकर तृतीय श्रेणी की लगी है जिससे सड़क बेकार हो गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जिला बस्ती के मिठवल ब्लाक में पिछले दो वर्षों में संपर्क मार्ग बनवाया गया, इस पर रु० १८३११.०४ की लागत आई।

यह सही नहीं है कि इसमें ईंट प्रथम श्रेणी की न होकर तृतीय श्रेणी की लगी है तथा सड़क बेकार हो गई।

दिनांक ३० जुलाई, १९७४ के लिय निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१---श्री कल्याण सिंह---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १४वें मंगलवार में प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२---श्री कल्याण सिंह---

[पुनर्विचार पर निरस्त]

टाउन एरिया सैदपुर, बदायूं के लिए पेयजल योजना

*३---श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री मूल चन्द राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया सैदपुर, बदायूं में पेय जल की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ताकि वहां के निवासियों को परेशानी न हो सके ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

टाउन एरिया, सैदपुर, जिला बदायूं की जल सम्पूर्ति योजना स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा बनायी जा चुकी है। नगर क्षेत्र समिति का प्रस्ताव इत्यादि प्राप्त होने के बाद योजना स्वीकृत करने पर शासन द्वारा विचार किया जायगा।

यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा बेचे गये ट्रैक्टर

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ में १ जुलाई, १९७३, १ जनवरी, १९७४ एवं २४ जून, १९७४ को किस-किस मेक के ट्रैक्टर मौजूद थे और इन अवधियों में कितने-कितने ट्रैक्टर बेचे गये तथा ट्रैक्टर बेचने की क्या प्रणाली है ? उनकी कीमत क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यू० पी० स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० लखनऊ, में १ जुलाई, १९७३, १ जनवरी, १९७४ एवम् २४ जून, १९७४ को मौजूदा एवम् बेचे गये ट्रैक्टरों तथा उनको मूल्य का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। ट्रैक्टर की बिक्री, ट्रैक्टर कन्ट्रोल आर्डर, १९७१ तथा समय-समय पर हुए इसमें संशोधनों के अन्तर्गत निर्धारित प्रणाली के अनुसार की जाती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ..६३७...पर।)

नगर महापालिका, इलाहाबाद में पेयजल का संकट

*५—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले स्थानों तथा मकानों में अप्रैल, मई व जून, १९७४ में सार्वजनिक नलों तथा गृहों में जो नल लगे हुये हैं में पेय जलों का घोर संकट पड़ने का क्या कारण है ? संकट के लिये उत्तरदायी कौन है, और इसके सुधार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

माह अप्रैल, मई तथा जून, १९७४ में इलाहाबाद में पेयजल का कोई घोर संकट नहीं था।

*६—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

प्रदेश में कुछ रोगियों की संख्या

*७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुष्ठ (लेप्रोसी) रोगियों की संख्या कितनी है ? तथा कुष्ठ रोग पर नियन्त्रण करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

चूंकि कुष्ठ रोगियों का पूर्ण सर्वेक्षण राज्य में नहीं किया गया है अतः वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है।

पडरौना चिकित्सालय, देवरिया के लिये एक्सरेप्लान्ट

*८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना (देवरिया) के राजकीय नेत्र व पुरुष चिकित्सालय के लिये १९६९ में जो एक्सरे प्लान्ट स्वीकृत हुआ था वह अभी तक चिकित्सालय को नहीं प्राप्त हो सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पांडेय—

कथित अस्पताल के लिये वर्ष १९६९ में एक्सरे प्लांट की स्वीकृति नहीं दी गयी थी अतः चिकित्सालय को एक्सरे प्लांट न भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीनियर ड्रग इन्सपेक्टर, मेरठ का निलम्बन

*९—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन सीनियर ड्रग इन्सपेक्टर, आगरा (अब मेरठ में इसी पद पर नियुक्त) के विरुद्ध आगरा के दो न्यायालयों द्वारा स्ट्रिक्चर पास किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

संबंधित अधिकारी को निलंबित करने के आदेश जारी हो चुके हैं ।

वाराणसी जिले के पिंडरा व सिधोरा अस्पतालों का निर्माण-कार्य

*१०—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दो पत्र तारीख ६ अप्रैल, १९७४ का जिसमें वाराणसी जिले के पिंडरा अस्पताल में बिजली, पानी, चारपाई, दवा आदि तथा सिधोरा में एलोपैथिक अस्पताल व जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

माननीय सदस्य के दिनांक ६ अप्रैल, १९७४ के कथित पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं, वरन् उनके ५ अप्रैल, १९७४ के इस आशय के दो पत्र प्राप्त हुये हैं । पत्रों में निहित तथ्यों के संबंध में जांच करायी गई । जांच के परिणामस्वरूप जो स्थिति ज्ञात हुई उसका विवरण संलग्नक में दिया हुआ है ।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६३८ पर ।)

ग्राम फतेहपुर-जसौदा, जिला फर्रुखाबाद में जच्चा-बच्चा केन्द्र के भवन का निर्माण

*११—श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिला के विकास खंड, जलालाबाद के ग्राम फतेहपुर जसौदा में जच्चा-बच्चा केन्द्र का भवन बनकर तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो पूरा भवन निर्माण कब पूरा हो जायगा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

कथित ग्राम में जच्चा-बच्चा केन्द्र का कोई भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है बल्कि परिवार नियोजन उप-केन्द्र के भवन का निर्माण हो रहा है, जिसके वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ।

विरांवकोट अस्पताल, वाराणसी के कम्पाउन्डर का कार्यकाल और कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन

*१२—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, विरांवकोट, वाराणसी में कम्पाउन्डर १६ वर्ष से एक ही स्थान पर रह रहे हैं और क्या इनका ट्रान्सफर इस अवधि में कई बार किया गया और रोका गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

एलोपैथिक अस्पताल विरांव कोट, वाराणसी में कोई भी कम्पाउन्डर १६ वर्ष से तैनात नहीं है।

*१३—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि विरांवकोट अस्पताल, वाराणसी के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उक्त अस्पताल के कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त हो रहा है।

*१४—श्री काशी नाथ मिश्र—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*१५—श्री भीखा लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बाराबंकी के सहकारी सुपरवाइजरों का कार्य-काल

*१६—श्री राम सेवक यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी में सहकारिता विभाग में कितने ऐसे सुपरवाइजर हैं जो एक ही स्थान पर ७ वर्ष से कार्यरत हैं, और उनमें से कितनों ने अपने कार्य-क्षेत्र में अपने, अपनी पत्नी या किसी सम्बन्धी के नाम पद का दुरुपयोग करके खेती की जमीन हासिल की है, मकान बनाया है या भट्ठा जैसा व्यवसाय कर लिया है या ठेकेदारी के कार्य में लगे हैं ? यदि हां, तो उनका नाम व कार्य-क्षेत्र क्या है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

८ सुपरवाइजर एक ही स्थान पर ७ वर्षों से हैं। उपलब्ध सामग्री के अनुसार शेष सूचना शून्य है।

बलिया के सहकारी पर्यवेक्षकों का तबादला

*१७—श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया), श्री गिरजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) तथा श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बलिया के सहकारी पर्यवेक्षकों का तबादला फरवरी सन् १९७३ से अब तक कितनी-कितनी जगहों के लिये कितनी बार हुआ है और क्यों किया गया है और अब तक उनको रिलीव न करने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'ग' आगे पष्ठ ६३९–६४०.....पर)

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां, सीतापुर के चुनाव का स्थगन

*१८—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री दिनांक १८ जून, १९७४ के अतारांकित प्रश्न सं० १८ के सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि किन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण २५ दिसम्बर, १९७३ को सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां, जिला सीतापुर का चुनाव स्थगित किया गया था ? उपरोक्त बैंक में रिटर्निंग आफिसर ने जब एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी थी तो उसे किस कोआपरेटिव ऐक्ट की धारा या विधि का प्रयोग करके सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां, जिला सीतापुर का चुनाव स्थगित किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९—श्री भारत सिंह चौहान—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*२०—श्री काली चरन—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जिला परिषद् गोरखपुर के भूतपूर्व विकलांग वैक्सीनेटर द्वारा पेंशन की मांग

*२१—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के जिला परिषद् से स बन्धित कितने वैक्सीनेटर हैं जिन्होंने सन् १९७२ से मई, १९७४ तक बराबर ऐसी सूचना लिखित रूप में दिया है कि वे सेवाकाल में ही विकलांग हो गये और उन्हें पेंशन मिलनी चाहिये ? सरकार ऐसे विकलांग कर्मचारियों के विषय में क्या कर रही है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उल्लिखित अवधियों में केवल एक भूतपूर्व वैक्सीनेटर ने जो १९६८ में ही अशक्त होन पर सेवामुक्त किया गया था एक बार लिखित सूचना दी थी कि उन्हें पेंशन दी जाय । वर्ष १९७२ में लागू किये गये नियमानुसार केवल उन्हीं कर्मचारियों को पेंशन देय है जो १ जनवरी, १९७१ अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त हुये हों । जिला परिषदों के लिये विकलांग कर्मचारियों को पेन्शन देने का इन नियमों में कोई प्राविधान नही है ।

नगरमहापालिका, लखनऊ के अधिकारियों का कार्य-काल

*२२—श्री सत्य वीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करगे कि लखनऊ नगर महापालिका में कितने अधिकारी और अभियन्ता हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से लगातार उसी जगह पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण अब तक न किय जाने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस समय नगरमहापालिका, लखनऊ में ६९ अधिकारी अभियन्ता हैं जो तीन वर्ष से अधिक समय से नगरमहापलिका में कार्यरत हैं। इनके स्थानान्तरण को आवश्यक नहीं समझा गया और न कोई ऐसा नियम नगरमहापालिका पर लागू है कि तीन वर्ष के बाद कर्मचारियों को तबदील कर दिया जाय।

ब्लाक ककवन, जिला कानपुर के बी० डी० ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत तथा उसकी जांच

*२३—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के ब्लाक ककवन के भू० पू० बी० डी० ओ० के विरुद्ध दिनांक १० अप्रैल, १९७४ को गंभीर भ्रष्टाचार युक्त सर्व सम्मति से पारित निन्दा प्रस्ताव की प्रतिलिपि २३ अप्रैल, १९७४ को शासन को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। जिलाधिकारी कानपुर को जांच करने हेतु लिखा गया। जांच अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है।

*२४—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ए० डी० एम० प्लानिंग के कार्यालय कानपुर में प्राप्त भू० पू०, बी० डी० ओ०, ककवन के विरुद्ध पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि पर कई दिनों तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और प्रश्नकर्त्ता द्वारा कहने पर उन्होंने बी० डी० ओ० के विरुद्ध बी०डी० ओ० के मित्र से ही जांच करा डाली? यदि हां, तो क्या वह जांच रपट सदन के पटल पर रखेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ए० डी० एम० (प्लानिंग) को सूचना मिलने पर उनके द्वारा मामले पर तत्काल कार्यवाही की गई। यह सत्य प्रतीत नहीं होता है कि जांच अधिकारी बी० डी० ओ० का मित्र था। चूंकि जांच अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है अतः उसे सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२५-२६—श्री ख्याली राम शास्त्री—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

टाउन एरिया मलिहाबाद, जिला लखनऊ की तहबाजारी संबंधी बाईलाज बनाने का आदेश

*२७—श्री भीखा लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या ४९/इक्कीस/तह बाजारी नं० क्षे०लि०, दिनांक २८ मार्च, १९७३ द्वारा अध्यक्ष, नगर क्षेत्र मलिहाबाद को यह आदेश दिया था कि वह तह बाजारी के संबंध में बाई लाज बनायें और यदि इस आदेश का पालन ६ महीने के अन्दर न किया गया तो कमेटी को सरचार्ज किया जायगा? यदि हां, तो क्या उक्त बाई लाज बन गये हैं अथवा नहीं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां।

बाईलाज बनाने का मामला डी० जी० सी० (सिविल), लखनऊ को कानूनी सलाह के लिये भेजा गया है। जैसे ही उनकी कानूनी सलाह प्राप्त होगी अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, मलिहाबाद को तह बाजारी बाईलाज लागू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा भेजे जायेंगे।

*२८---श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन---

[९वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा संघ, फैजाबाद के अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*२९---श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद), श्री निसार अहमद अंसारी (जिला फैजाबाद), श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती), श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद), श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद) तथा श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फैजाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा संघ के अधिशाशी अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के विरुद्ध व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें विधायकों एवं जनता के माध्यम से शासन को १९७३-७४ में प्राप्त हुईं? यदि हां, तो अब तक उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां। जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच करायी जा रही है तथा जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। तब तक दोनों सहायक अभियंताओं को दूसरे मंडलों में स्थानान्तरित कर दिया गया है तथा अधिशासी अभियंता को उनके मूल सिंचाई विभाग को वापस करने के आदेश हो चुके हैं।

गाजियाबाद सुधार मण्डल द्वारा आवासिक प्लाटों का आवंटन

*३०---श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद सुधार मंडल ने पिछले कई वर्षों से आवासिक प्लाटों के आवंटन में एक मुश्त रकम देने वालों को ही प्राथमिकता दी है? यदि हां, तो इस प्रथा को अपनाने का कारण क्या है और इससे गाजियाबाद निवासियों की आवासिक समास्यायें हल होने में क्या सहायता मिली है?

श्री राजमंगल पांडेय---

(१) २१ अप्रैल, १९७१ से एक मुश्त प्रीमियम देनेवालों को आवासिक प्लाटों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है।

(२) इस प्रथा को अपनाने से प्रीमियम का भुगतान एक मुश्त प्राप्त होने से सुधार मंडल, गाजियाबाद हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा शासन से प्राप्त ऋणों का भुगतान समय से कर सकता है और इस प्रकार अधिक ऋण प्राप्त करके सुधार मंडल, गाजियाबाद अधिक मकान बनाने में समर्थ हो सकता है।

कानपुर के राजकीय कृषि फार्म के अधीक्षकों के स्थानान्तरण की मांग

*३१—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिलान्तर्गत ऐसे कौन से कार्यरत राजकीय कृषि फार्म के अधीक्षक हैं जो अपने वर्तमान पदों पर ३ वर्षों से अधिक समय से नियुक्त हैं और उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। सर्वश्री मौजी लाल, हरवंश सिंह, शिव दास सिंह सेंगर तथा कृपाल सिंह कटियार वे शोध कार्य करते हैं अतः उनका समयबद्ध स्थानान्तरण जनहित में अनिवार्य नहीं है।

सामुदायिक विकास निदेशालय खोलने के संबंध में जानकारी

*३२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक विकास निदेशालय स्थापित किये जाने के संबंध में विधान सभा सदन में दिनांक ३० मार्च, १९७३ को यह कहा था कि इसके गठन के संबंध में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। की गई कार्यवाही के संबंध में जो सूचना विधान सभा सचिवालय में भेजी गई थी उसकी प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४१.....पर)

गोरखपुर जिले के सहकारी साधन समिति, पंचरुखिया एवं हरपुर महंत में गबन और अन्य सहकारी साधन समितियों में गबन की जानकारी

*३३—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री हरिकेवल तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के घुघली ब्लाक के सहकारी साधन समिति, पंचरुखिया एवं हरपुर महंत के जून, १९७३ के आडिट रिपोर्ट में लाखों रुपयों का गबन प्रकाश में आया है ? यदि वहां, तो जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ने इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गोरखपुर जिले के घुघली ब्लाक के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति, पंचरुखिया और हरपुर महन्त की जून, ७३ की कोई आडिट रिपोर्ट नहीं है।

इन समितियों की वर्ष १९७१-७२ से संबंधित आडिट रिपोर्ट जो जून, १९७३ तक पूरी होनी चाहिये थी वह पंचरुखिया समिति के संबंध में अक्तूबर, १९७३ में हरपुर और महन्त की अगस्त, १९७३ में प्राप्त हुई। इन रिपोर्टों से पंचरुखिया में ५२,९०८.३६ रु० और हरपुर महन्त में ४२,०७५.८० रु० के अपहरण, दुरुपयोग और अनियमिततायें प्रकाश में आईं।

जिला सहायक निबन्धक के स्तर से दोनों मामलों में पुलिस कार्यवाही करने के लिये औपचारिकतायें पूरी कर ली गई हैं, और बहुत शीघ्र ही दोनों मामले पुलिस को सुपुर्द कर लिये जायेंगे।

*३४—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में और कौन-कौन सी साधन सहकारी समितियां हैं, जहां गबन की शिकायत प्रकाश में आई है और इनके संबंध में सहायक जिला निबन्धक सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ने कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति, कमालगंज जिला, फर्रुखाबाद के संचालक मंडल का निलम्बन

*३५—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद, कमालगंज क्षेत्रीय सहकारी समिति का संचालन मंडल अभी तक निलम्बित है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इसे शीघ्र बहाल करने के आदेश देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । क्षेत्रीय सहकारी समिति, कमालगंज का संचालक मंडल समिति में व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं के कारण निलम्बित किया गया था ।

संचालक मंडल को बहाल करने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर नगरमहापालिका के केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों का कार्य-काल

*३६—श्री श्याम मिश्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका में सेन्ट्रलाइज्ड सर्विसेज के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कितने अधिकारी हैं जो गत तीन वर्षों से अधिक समय से कानपुर में ही तैनात हैं और नियमानुसार उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

केन्द्रीयित सेवा के १२९ अधिकारी / कर्मचारी ३ वर्ष से अधिक समय से कानपुर महापालिका में कार्यरत हैं । इनके स्थानान्तरण को आवश्यक नहीं समझा गया और न कोई ऐसा नियम महापालिका पर लागू है कि तीन वर्ष के बाद कर्मचारियों को तबदील कर दिया जाय ।

*३७—श्री हरिकेवल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

वाराणसी नगरमहापालिका की भूमि पर स्थानीय क्लार्क होटल का कब्जा

*३८—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगरमहापलिका की किसी जमीन पर स्थानीय क्लार्क्स होटल ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कब से और सरकार न इस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पांडेय–

स्थानीय क्लार्क होटल ने होटल के ठीक सामने नगरमहापलिका की भूमि पर कब्जा कर रक्खा है। यह अनधिकृत कब्जा १९६५ से चला आ रहा है। १९६५ में ही महापालिका द्वारा कब्जा हटाने का निर्णय ले लिया गया था किन्तु क्लार्क होटल का प्रार्थना-पत्र उनको १९६६ में प्राप्त हो गया था कि प्रश्नगत भूमि को उन्हें पट्टे पर दे दिया जाये, उस पर अब तक नगर महापालिका ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

नगरपालिका, बुलन्दशहर के अधीक्षकों का स्थानान्तरण

*३९—श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका, बुलन्दशहर के कार्यालय अधीक्षक तथा पथकर अधीक्षक कितने समय से उस स्थान पर कार्यरत हैं और क्या यह सही है कि पिछले आठ वर्षों से इनके स्थानान्तरण किये गये परन्तु रद्द कर दिये गये? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका बुलन्दशहर में कार्यालय अधीक्षक तथा पथकर अधीक्षक क्रमशः दिसम्बर, १, १९६६ तथा अप्रैल, १, १९७१ से कार्यरत हैं। कार्यालय अधीक्षक का तीन बार तथा पथकर अधीक्षक का एक बार स्थानान्तरण किया गया था परन्तु पुनः विचार पर स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये।

स्वायत्त शासन अभियंत्रणा विभाग के सिविल शाखाओं का विद्युत् और यांत्रिक शाखाओं में परिवर्तन

*४०—श्री बांके लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री राम अधार (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश की उन तेरह शाखाओं में जो कि आज कल विद्युत एवं यान्त्रिक के तकनीकी कार्य देख रहे हैं प्रत्येक शाखा में अलग-अलग कितने-कितने लाख रुपये का कार्य-भार है या निकट भविष्य में स्थानांतरित होने वाला है और उसी विभाग के शेष सिविल शाखाओं में कितने-कितने का कार्यभार है या रखा जावेगा? क्या सम्बन्धित विभाग में सिविल एवं विद्युत और यान्त्रिक की शाखाओं के कार्य-भार को समान रखने के लिए कुछ अन्य सिविल शाखाओं को विद्युत एवं यान्त्रिक शाखाओं में परिवर्तन किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रदेश सरकार द्वारा गत मई, १९७४ में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में १२ सिविल निर्माण शाखाओं को विद्युत एवं यांत्रिक कार्य के सम्पादन हेतु विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं के चार्ज में दे दिया गया है। एक शाखा (तृतीय शाखा, कानपुर) पहले से ही विद्युत/यांत्रिक अभियन्ता के चार्ज में है।

कार्यों के हस्तांतरण को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इस विभाग में विद्युत/यांत्रिक शाखायें सिविल शाखाओं के २० प्रतिशत के अनुपात में रहेंगी और आगे के लिए भी इसी आधार पर वर्कलोड को विभाजित किया जायगा।

*४१—श्री बांकेलाल तथा श्री राम अधार—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत किन-किन सिविल शाखाओं द्वारा अब भी विद्युत एवं यान्त्रिक तकनीकी कार्य कराये जा रहे हैं और उनके द्वारा ऐसा कार्य किए जाने का कारण क्या है ? क्या उपरोक्त विभाग में विद्युत एवं यांन्त्रिक शाखाओं को पूर्णतया उन मण्डलों के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया है जो कि विद्युत एवं यान्त्रिकी का कार्य देख रहे हैं और नहीं तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

प्रश्न का प्रथम भाग—

विभाजीकरण के आदेश मई, १९७४ के अन्त में जारी हुए थे इसलिए विभाजन प्रक्रिया अभी जारी है ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

केवल गाजियाबाद शाखा को छोड़कर शेष शाखाओं को विद्युत एवं यांत्रिक मंडलों के अधीन कर दिया गया है । इस शाखा को सिविल मण्डल के अधीन रखने का मुख्य कारण यह है कि इस शाखा द्वारा दिल्ली जल सम्पूर्ति योजना, जोकि एक बड़ी योजना है, का विद्युत/यांत्रिक साज-सज्जा का कार्य एवं रख-रखाव का कार्य इसी शाखा द्वारा किया जाता है ।

छोटे कृषकों एवं हरिजनों को देने हेतु उर्वरक का अलग से स्टाक

*४२—श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष खरीफ की फसलों में उर्वरक (खाद) छोड़ने के लिये प्रदेश के छोटे किसानों एवं हरिजनों को देने हेतु सरकार ने कोई स्टाक रक्खा है ? और क्या यह भी सत्य है कि प्रायः उन्हीं लोगों को खाद दी जा रही है जो लोग सरकार को गेहूं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्या हरिजनों को खाद दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार कोई प्रयास कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस वर्ष खरीफ की फसलों के लिये छोटे कृषकों एवं हरिजनों को उर्वरक देने हेतु सरकार ने कोई स्टाक अलग से नहीं रखा है परन्तु छोटे कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर उर्वरक दिए जाने के आदेश हैं ।

गेहू देने अथवा न देने से खाद वितरण का अब कोई सम्बन्ध नहीं है । हरिजनों को अलग से खाद दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय के प्राविधिक सहायकों के पदों के लिये साक्षात्कार

*४३—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ३/४ नवम्बर, १९७३ को अतिरिक्त कृषि निदेशक ने प्राविधिक सहायक पदों के लिये साक्षात्कार किया था ? यदि हां, तो इस साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें हरिजनों की संख्या क्या थी और इनके लिए किस योग्यता के लोगों से आवेदन-पत्र मांगे गये थे और क्या साक्षात्कार के फलस्वरूप नियुक्तियां हो गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

कुल अभ्यर्थियों की संख्या—३९१, हरिजन अभ्यर्थियों की संख्या—३६ ।

न्यूनतम योग्यता : बी०एस-सी० (एजी०), द्वितीय श्रेणी वरीयता : एम०एस-सी० (एजी०) ।

जी नहीं, उक्त साक्षात्कार के विरुद्ध अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–२ के कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में स्थगन आदेश पारित होने के कारण ।

नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा मेंहदी टोला, लखनऊ के जल निकासी हेतु नाले का निर्माण

*४४—श्री शिव पाल सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा मार्च, अप्रैल १९७४ में मेंहदी टोला, अलीगंज में अलीगंज चुंगी से हीवेंट पालीटेक्निक को जाने वाली सड़क के किनारे, मेंहदी टोला के पानी की निकासी के लिए नाला खुदवाने का टेन्डर लिया गया था ? यदि हां, तो टेन्डर किसके नाम का मंजूर हुआ और क्या वर्षा से पूर्व सरकार इस नाले का निर्माण कराने की कृपा करेगी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

प्रश्नगत क्षेत्रों में पानी के निकासी के लिए एक नाला खुदवान के टेन्डर नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा दिनांक १३–६–७३ को आमंत्रित किए गये थे । सर्वश्री एस० सी० बंसल तथा हरीकृष्ण निगम के सर्व निम्न टेन्डर स्वीकृत किये गये थे और उन्हें कार्य संचालन पत्र १–६–७४ को दिया गया । कार्य वर्षा के बाद आरम्भ किया जाएगा ।

*४५–४६—श्री झाम लाल अहिरवार—

[१० वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

नगरपालिका, बांदा के कर्मचारियों का निलम्बन और नई नियुक्तियां

*४७—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बांदा में वर्ष १९७२–७३, १९७३–७४ तथा १९७४–७५ में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा कितनी नई नियुक्तियां की गयीं ? क्या नियुक्तियां स्वीकृत पदों से अधिक पदों के लिए की गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगरपालिका, बांदा में वर्ष १९७२–७३, १९७३–७४ तथा १९७४–७५ (२०–७–७४ तक) में क्रमशः ३६, २० तथा ६ नियुक्तियां की गईं । इसी प्रकार उक्त वर्षों में क्रमशः ४२, १९ तथा २७ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया । जी हां, स्वीकृत पदों से अधिक पदों के लिए नियुक्तियां की गईं क्योंकि विभागीय कार्य की अधिकता के कारण अतिरिक्त नियुक्तियां आवश्यक हो गई थीं ।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भवन निर्माण हेतु दिया गया ऋण

४८—डाक्टर प्रकाश नारायण गुप्ता (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब से आवास एवं विकास परिषद् का गठन हुआ है तब से आज तक कितने व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये अथवा जमीन खरीदने

के लिय ऋण दिये गये ? इन व्यक्तियों में से शैड्यूल्ड कास्ट, शैड्यूल्ड ट्राइब तथा अल्प-संख्यकों के कितने व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिनकी आमदनी प्रदेश की औसत आमदनी (जो परकैपिटा इनकम के आधार पर निकाली जाती है) से कम है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के गठन (१९६६) से अब तक (३०-६-७४) कुल १,०६९ व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु ऋण दिया गया है, जिसमें ५ शैड्यूल्ड कास्ट, १ शैड्यूल्ड ट्राईब तथा ५० अल्प संख्यकों के व्यक्ति भी शामिल हैं। भूमि तथा मकान खरीदने के लिए किसी व्यक्ति को कोई ऋण नहीं दिया गया है और न प्रदेश की औसत आमदनी से कम आमदनी वाले किसी व्यक्ति को कोई ऋण दिया गया है।

बुन्देलखण्ड तथा बांदा में बाल-बचत अभियान के अन्तर्गत संग्रहीत धनराशि

*४९—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखंड तथा बांदा में बाल बचत अभियान के अन्तर्गत कब-कब और कितना धन संग्रहीत हुआ था और अब तक वह धन कितने पासबुकों को वापस किया गया है और कितनों का शेष है ? क्या इस स्कीम का रिकार्ड है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिविल लाइन्स, मथुरा स्थित नजूल प्लाट नं ५२ के लीज की अवधि

*५०—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजूल प्लाट नं० ५२, सिविल लाइन्स, मथुरा की लीज अवधि दिनांक ३० सितम्बर, १९६३ में समाप्त हो जाने पर भी आज तक एक शिकमी किरायेदार अनधिकृत रूप से काबिज है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

सिविल लाइन्स, मथुरा स्थित नजूल भूखण्ड संख्या ५२ की लीज अवधि ३०-९-६३ को समाप्त हो चुकी है। पूर्व पट्टेदार ने अनधिकृत रूप से उक्त भूमि को मेसर्स बर्मा शेल कम्पनी तथा मेसर्स बिहारी लाल एण्ड सन्स को शिकमी रूप में उठा रक्खी है। इसके विरुद्ध शासन द्वारा दायर किया हुआ मुकदमा सिविल जज, मथुरा के न्यायालय में विचाराधीन है।

वाराणसी नगरमहापालिका के प्रशासक के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्री राम सेवक यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, १९७४ में वाराणसी नगरपालिका के प्रशासक के विरुद्ध इस आशय की शिकायत शासन को की गई है कि उन्होंने दो उप नगराधिकारियों तथा तीन सहायक नगराधिकारियों से काम न लेकर किसी चुंगी इन्सपेक्टर को अधीक्षक बनाकर कुछ विभागों का कार्य प्रभारी अधिकारी बना कर ले रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी और उस पर मण्डलायुक्त, वाराणसी द्वारा जांच कराई जा रही है।

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा भवन-कर का निर्धारण

*५२—श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा भवन-कर के लिये होने वाला एसेसमेन्ट जो काफी दिनों से स्थगित था वह राज्य सरकार के निर्देश से १ जुलाई, १९७४ से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा स्थगित करने का कारण क्या था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नगर महापालिका, लखनऊ में अगला पंचवर्षीय कर निर्धारण पहली अप्रैल, १९७५ से लागू होना है। नगर महापालिका द्वारा असेसमेंट का कार्य किया जा रहा था। इसी बीच शासन में यह विचार हुआ कि शहरी सम्पत्ति के मूल्यांकन कार्य का केन्द्रीयकरण किया जाय। शासन ने यह निर्णय लिया कि नगर महापालिकाओं में शहरी सम्पत्तियों के असेसमेंट के कार्य को सेट्रल वैल्यूएशन अथारिटी स्थापित होने के बाद कराया जाय। तद्नुसार, दिनांक १८ मई, १९७४ को महापालिकाओं द्वारा किये जा रहे असेसमेंट कार्य को रोक दिये जाने के आदेश जारी किये गये परन्तु सेन्ट्रल वैल्यूएशन अथारिटी की स्थापना में कुछ समय लगने की सम्भावना से तथा महापालिका के असेसमेंट कार्य में लगे कर्मचारियों को बेरोजगार करने से उत्पन्न समस्या के कारण शासन ने महापालिकाओं से अपना कार्य पुनः शुरू करने को कहा ताकि नया निर्धारण (असेसमेंट) नियत समय से लागू हो सके।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद के कम्पाउन्डरों का पेन्शन प्रावीडेन्ट फंड व ग्रेच्युटी

*५३—श्री विमल प्रसाद (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद, को राज्य सरकार ने कब नगरपालिका से अधिगृहण किया और उस समय कितने कम्पाउन्डर नगरपालिका सेवा से राजकीय सेवा में आये ? इनमें से कौन-कौन कम्पाउण्डर अब अवकाश प्राप्त कर चुके और क्या उन्हें प्राप्त होने वाली पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा प्रावीडेन्ट फण्ड दिये जा चुके हैं।

श्री राज मंगल पांडेय—

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद दिनांक १-४-१९६४ को प्रान्तीयकरण के उपरान्त राजकीय अधिकार में आया था। उस समय तीन कम्पाउण्डर राजकीय सेवा में आये थे। इनमें से दो श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सेना तथा श्री काशी प्रसाद सक्सेना दिनांक ११-४-७० तथा १०-१०-१९७१ को सेवा निवृत्त हो चुके हैं। श्री काशी प्रसाद सक्सेना को ग्रेच्यूटी तथा श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सेना का जी० पी० फण्ड का भुगतान किया जा चुका है। पेन्शन का मामला विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरैया, जिला आजमगढ़ के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

*५४—श्री शिव प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरैया जनपद, आजमगढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों को माह अप्रैल एवं मई, १९७४ के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो वेतन भुगतान न होने का क्या कारण है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जनपद, आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरैया में कार्यरत, निम्न को छोड़कर, समस्त कर्मचारियों को माह अप्रैल एवं मई, १९७४ के वेतन का भुगतान किया जा चुका है :—

१—परिवार नियोजन कर्मचारी ।

२—मलेरिया अनुरक्षण कर्मचारी के माह अप्रैल, १९७४

३—मातृ एवं शिशु कल्याण कर्मचारी के माह मई, १९७४ ।

उक्त तीनों विभागों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं एकाउन्टेन्ट के बीच मनमुटाव के कारण नहीं किया जा सका। कर्मचारियों का वेतन भुगतान तुरन्त किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं। आशा है कि भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायगा।

*५५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

एतमादपुर ब्लाक, जिला आगरा में अस्पताल की स्थापना की मांग

*५६—श्री शिव चरन लाल (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि ग्राम चावली, ब्लाक एतमादपुर, जिला आगरा में सिविल सर्जन जे० के० द्विवेदी ने सन् १९७३ में फरवरी माह से मई माह के बीच में सरकारी अस्पताल बनाने हेतु सर्वे किया था और उक्त ग्राम में अस्पताल मंजूर होने का भी एलान किया था ? यदि हां, तो अस्पताल अब तक न बनने का क्या कारण है और क्या सरकार पूरा ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां, २० अप्रैल, १९७३ को तत्कालीन सिविल सर्जन, आगरा ने एतमादपुर में अस्पताल की स्थापना के संबंध में क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल मंजूर होने का एलान नहीं किया था किन्तु इस सम्बन्ध में संस्तुति भेजने की घोषणा की थी। वर्ष १९७३–७४ में अस्पतालों की स्थापना हेतु स्थानों का चयन करते समय इस स्थान के बारे में भी विचार किया गया किन्तु इसे चुना नहीं गया। इस वर्ष ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना की योजना न होने के कारण एतमादपुर में अस्पताल की स्थापना संभव न हो सकेगी।

परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*५७—सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के इस निर्णय के अन्तर्गत जिसके अनुसार दिनांक १ जनवरी, १९७४ तक सरकारी नौकरी में ३ वर्ष पूर्ण होने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा, परिवार नियोजन विभाग १८, जनवरी, १९७४ तक सरकारी नौकरी में ३ वर्ष पूर्ण करने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा, परिवार नियोजन विभाग के १८,००० कर्मचारियों में से कितने लोगों को स्थायी किया गया है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

परिवार नियोजन विभाग के अन्तर्गत अभी तक किसी भी कर्मचारी को स्थायी नहीं किया गया है ।

प्राथमिक चिकित्सालय, गुरसहायगंज जिला फर्रुखाबाद में उपकरणों की कमी

*५८—श्री अनवार जमील—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के गुरसहायगंज कस्बे में प्राथमिक चिकित्सालय में उपकरणों तथा दवाइयां एवं कम्पाउण्डर को कमी है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने पर अविलम्ब विचार करेगी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जनपद फर्रुखाबाद के गुरसहायगंज कस्बे में प्राथमिक चिकित्सालय का प्रान्तीयकरण जनवरी, १९७४ में किया गया है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपकरणों तथा दवाइयों एवं कम्पाउण्डर की कमी अब नहीं है।

गांधी अस्पताल, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*५९—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गांधी अस्पताल, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अब तक ८ माह व्यतीत होने के बाद भी महंगाई भत्ते का एरियर नहीं दिया गया है यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त रिपोर्ट से विदित हुआ है कि गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ, के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के काफी एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है। फिर भी कुछ मद ऐसी हैं जिनका भुगतान शेष है। १ जनवरी, १९७४ से तथा १ फरवरी, १९७४ से बढ़ाये गये महंगाई भत्ते के एरियर्स के बिल बन चुके हैं और भुगतान के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइनेन्स आफिसर के पास भेजे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बिलों को शीघ्र तैयार किया जा रहा है।

चूंकि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाने क कई आदेश हुये हैं, अतः कार्य बढ़ जाने के कारण कुछ एरियर्स के भुगतान में कुछ देरी हो रही है।

कानपुर के मिल्क बोर्ड की निर्माण लागत और प्रति वर्ष का आय-व्यय

*६०—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, कानपुर में मिल्क बोर्ड का निर्माण कुल कितनी लागत से हुआ और प्रति वर्ष उसमें विभिन्न मदों में कुल कितनी-कितनी आय और कितना व्यय हुआ और उस प्लान्ट में दूध उपयोग करने की क्या क्षमता है और कितना दूध उपलब्ध हो पाता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नायब तहसीलदार गुन्नौर (बदायूं) द्वारा चोर बाजारी का खाद का पकड़ा जाना

*६१—श्री जुगल किशोर यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, बदायूं के नायब तहसीलदार, गन्नौर ने चोर-बाजारी का २०० कट्टा यूरिया खाद शिकायत के आधार पर ८/९ नवम्बर, १९७३ को कस्बा बबराला में पकड़ा और बगैर किसी कार्यवाही के छोड़ दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, श्री राधा मोहन सिंह, नायब तहसीलदार, गुन्नौर ने शिकायत के आधार पर जो खाद उक्त तिथि को पकड़ी थी, उन्होंने बाद में स्वयं जांच करने के पश्चात् उसे बिना किसी कार्यवाही के छोड़ दिया। नायब तहसीलदार ने इस जांच को करने में असावधानी वरती थी और उनके इस अनुत्तरदायित्व पूर्ण कार्य के लिये उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करके उनके इस कार्य की भर्त्सना की गयी। साथ ही श्री सरेश चन्द्र गोयल, निजी उर्वरक व्यापारी, जिनके यहां से उक्त उवरक अनियमित रूप से ले जाया जा रहा था, का उर्वरक लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया तथा श्री दीवान चन्द्र जनेजा, एग्रो बिक्री सहायक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि० को लिखा गया है। प्राप्त सूचना के अनसार अभी कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई है।

६२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[१०वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*६३—श्री अनवार जमील—

[१०वें मंगलवार में ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

शिक्षित बेरोजगारों को पीलीभीत तथा लखीमपुर में भूमि तथा कृषि उपकरण देकर बसाने की योजना

*६४—श्री रघुराज सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया सूचित करेगी कि शिक्षित बेरोजगारों की पीलीभीत तथा लखीमपुर में भूमि तथा कृषि उपकरण देकर बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका पूर्ण व्योरा क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

कृषि विभाग के ग्राम सेवकों की पदोन्नति

*६५—श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के वर्ग २ के कर्मचारी जिनकी पदोन्नति वर्ग ३ से वर्ग २ में की गई लगभग ७–८ साल हो गये उनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। क्योंकि शासनादेश सं० ३०८४/३५–ए–१२९–एन० ई० एस०/५८, दिनांक जून १५, १९६१ के अनसार ग्राम सेवकों की पदोन्नति भी अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–२ से संबद्ध कर दी गयी। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के फलस्वरूप उक्त शासनादेश विवादग्रस्त रहा। उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष १९७१ में दिये गये निर्णय के उपरान्त भी इस शासनादेश को वैधानिक घोषित किया गया। इन आदेशों के प्राप्त होने पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–३ तथा ग्राम सेवक जो वर्ग–२ में पदोन्नति के पात्र थे को निर्धारित कोटा के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित कराने हेतु चरित्र पंजिकायें संकलित की जा रही थीं। किन्तु इसी बीच उच्च न्यायालय ने पुनः अधीनस्थ कृषि सेवा संघ द्वारा दाखिल की गयी याचिका पर स्टे आर्डर देते हुये यह निश्चित आदेश पारित किये कि उक्त याचिका पर जब तक निर्णय न हो जाय, किसी भी ग्राम सेवक को अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–२ में पदोन्नति न किया जाय।

जनपद, गाजीपुर के संसद् सदस्यों, विधायकों, एवं ब्लाक प्रमुखों पर सहकारिता विभाग का बकाया धन

श्री काली चरन (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजीपुर जिले में वर्तमान तथा भूतपूर्व ब्लाक प्रमुखों, संसद सदस्यों एवं विधायिकों तथा उनके परिवार के लोगों के जिम्मे सहकारिता विभाग का कितना धन बकाया है, साथ ही साथ अन्य कितने और कौन-कौन लोग हैं जिनके यहां पांच हजार रुपये से अधिक धन बकाया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरमहापालिका कानपुर के कर्मचारियों की हड़ताल

*६७—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

विधान सभा के दिनांक २ जुलाई, १९७४ के तारांकित प्रश्न सं० २ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा २२ अक्तूबर से १२ नवम्बर, १९७३ तक की गई हड़ताल को जब कर्मचारियों में समाप्त किया था तब शासन की ओर से उन्हें कोई आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आश्वासन क्या था और उसका अब तक कहां तक पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*६८-६९—श्री सत्य प्रकाश—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गोरखपुर सहकारी दुग्धशाला का संचालन

*७०—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

दिनांक २ जुलाई, १९७४ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर सहकारी दुग्धशाला का कुल रुपया कितना किस बैंक में है तथा अन्य सामान कितने रुपये का शेष है और उसका प्रबन्ध किन-किन व्यक्तियों के पास कब से कब तक रहा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिय नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६४२ पर।)

*७१—श्री शारदा प्रसाद रावत तथा श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार उक्त दुग्धशाला को पुनः चालू करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दुग्धशाला के पुनः संचालन का मामला शासन के विचाराधीन है।

दुग्ध विकास निगम की स्थापना

*७२—श्री शारदा भक्त सिंह—

वित्त मंत्री के बजट अनुदानों पर (१९७४–७५) भाषण में पृष्ठ ११ के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि दुग्ध विकास बोर्ड स्थापित करने की पूरी योजना की रूप-रेखा क्या है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में किसी प्रान्तीय स्तर पर निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्या रूप रेखा होगी और वह क्या कार्य सम्पादित करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा—

शासन ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों के अन्तर्गत एक-एक जिला छांटा जाय जिसमें सघन दुग्ध योजना चलायी जाय, और वहां एक निगम दुग्ध विस्तार के लिए स्थापित की जाय। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एक समिति का गठन किया गया है जो विचार करके यह तै करेगी कि योजना को किस रूप में और किस तरह चलायी जाए।

स्थानीय निकायों से संबंधित श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता म गठित समिति

*७३—श्री रेवती शरण मौर्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शासन ने १ १/२ वर्ष पूर्व स्थानीय निकायों के विषय में एक उच्चस्तरीय समिति भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित की थी ? यदि हां, तो इस समिति का प्रत्यावेदन शासन को कब तक प्राप्त होना था और क्या उक्त समिति ने अपनी कोई अन्तरिम संस्तुति शासन को प्रस्तुत की है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां। समिति का गठन २८ दिसम्बर, १९७२ को ३ मास के लिये किया गया थां किन्तु अब इसका कार्यकाल ३१ अगस्त, १९७४ तक बढ़ा दिया गया है। समिति ने कोई अन्तरिम संस्तुति प्रस्तुत नहीं की है।

*७४—श्री लक्ष्मी नरायन—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।)

*७५—श्री श्रीशचन्द्र—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।)

मेरठ के सहकारी विभाग में गबन

*७६—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री प्रताप नारायण (जिला हमीरपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में सहकारी विभाग में गबन के सम्बन्ध में सन् १९७० से अब तक कितने मुकदमें दर्ज हुये और उनमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिला मेरठ में सहकारी विभाग में कथित अवधि में कोई गबन नहीं हुआ अपितु मेरठ जिले की सहकारी समितियों एवं सहकारी कुर्क अमीनों के संबंधित ११५ गबन के मुकदमें दर्ज हुये। इन ११५ मामले में से १ में अभियुक्त को करावास एवं जुर्माना की सजा हुई, ६ मामलों में फाइनल रिपोर्ट लग गई तथा २३ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और ८५ मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

*७७—श्री अब्दुल रहमान खाँ नशतर—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित]

मिर्जापुर में लिंक रोड़ के निर्माणार्थ स्वीकृत अनुदान

*७८—श्री अजीतसिंह सेठी (जिला मेरठ) तथा श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ व १९७१–७२ में मिर्जापुर जिले में १४ लाख रुपये लिंक रोड का निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि उसका उपयोग जिलाधिकारी ने टाट-पट्टी आदि के क्रय में किया और एक भी लिंक रोड का निर्माण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष १९७०–७१ में कोई ऐसा अनुदान नहीं दिया गया था, परन्तु वित्तीय वर्ष १९७१–७२ में जिला परिषद्, मिर्जापुर को १४,८१,४८१ रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया था।

यह सही नहीं है कि उपरोक्त पूर्ण धनराशि से टाट पट्टी आदि क्रय की गई और एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ।

*७९—श्री राम सुन्दर पांडेय तथा श्री अजीत सिंह—

(पुनर्विचार पर निरस्त।)

उद्योगिक सहकारी समितियों को जिला परिषद में प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग

*८०—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वे जिला परिषदों में गन्ना सहकारी समितियों और सघन सहकारी समितियों की तरह से उद्योगिक सहकारी समितियों का भी प्रतिनिधित्व दिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश कब तक कर दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। वर्तमान अधिनियम में इसका प्राविधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर में कुचेसर–स्याना रोड का निर्माण

१—श्री के०एस० मोहरिया तथा श्री रघुवीर सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में कुचेसर स्याना रोड के निर्माण हेतु शासकीय आदेश सं० ६३९३-ग–३५–३०१–सी-जी (३६), के अन्तर्गत जो अनुदान जिला परिषद् बुलन्दशहर को दिया गया था ? क्या उक्त धन इस सड़क के मिट्टी निर्माण कार्य में खर्च हो चुका है ? यदि हां, तो उसे पक्का करने के लिये शासन और कितनी अधिक धनराशि स्वीकृत कर चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रश्न में सन्दर्भित शासकीय आदेश दिनांक १७–७–७२ का है। इसके द्वारा जिला परिषद् बुलन्दशहर को कुचेसर–स्याना रोड के निर्माण हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया, किन्तु इस रोड के निर्माण के लिये मार्च १९६३ में दिये गये ३६,००० रु० को सड़क अनुदान के उपभोग की अवधि ३१–३–७३ तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था। तदुपरान्त जिला परिषद् के स्पष्टीकरण पर उपभोग की तिथि ३०–९–७३ तक बढ़ाई गई। दिये गये अनुदान की शर्त यह थी कि उतनी ही धनराशि जिला परिषद् अपने कोष से व्यय करें। प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला परिषद ने कुल ७२,००० रु० की लागत से इस मार्ग के ७ मील की लम्बाई में मिट्टी का कार्य ३०–९–७३ तक पूरा कर लिया है। वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में जिला परिषद् ने इस सड़क को पक्का करने के लिये इस शर्त पर अनुदान मांगा कि जिला परिषद को समतुल्य राशि अपने कोष में लगानी पड़े। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका। अतएव इस सड़क को पक्का करने के लिये कोई और धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

कृषि विभाग के अमीनों व चपरासियों की सेवा की समाप्ति

*२—श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७३–७४ में कृषि विभाग के कुछ अमीन और चपरासी सेवा मुक्त कर दिये गये थे, यदि हां तो, सेवा मुक्त अमीन व चपरासियों की अलग-अलग संख्या क्या है और क्या यह सही है कि उनमें से कुछ को या सबको पुनः सेवा में ले लिया गया है? यदि हां, तो कब?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

अमीन—१९६
चपरासी—१५२
जी हां, कुछ को।

दिसम्बर १९७३ से जून १९७४ के बीच विभिन्न तिथियों पर।

३—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

(१०वें मंगलावर के लिये स्थगित।)

पशु पालन फार्मों द्वारा की गयी खेती का क्षेत्रफल

४—श्री चन्दन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप निदेशक, पशु पालन आर्म्स के अधीनस्थ फार्मों पर वर्ष १९७१–७२ में सिंचित और असिंचित कुल कितने क्षेत्रफल में खेती की गई और कृषि सघनता कितने प्रतिशत थी? यदि कृषि सघनता कम रही तो उसके क्या कारण हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कुल ११,५२५ एकड़ क्षेत्रफल में खेती की गई। सघनता १३७ प्रतिशत थी जो कि प्रक्षेत्रों की परिस्थितियों तथा मौसम के अनुसार सामान्य है।

गंजरिया कृषि फार्म के उत्पादन में कमी

५—श्री चन्द्र भान आजाद (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंजरिया फार्म पर कृषि वर्ष १९७२–७३ के मुकाबले वर्ष १९७३–७४ में कुल कितना दुग्ध उत्पादन घटा व बढ़ा? यदि उत्पादन घट गया तो घटने के क्या कारण हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दुग्ध उत्पादन वर्ष १९७३–७४ में ३५८ कुन्टल घट गया। घटने के कारण संलग्न तालिका में दिये गये हैं।

(देखिय नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६४३ पर)

६—श्री दशरथ सिंह—

(७वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

बरेली में मडिकल कालेज खोलने की मांग

७—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने बरेली में मेडिकल कालेज बनाने का निश्चय किया है? यदि हां, तो कब तक?

श्री राज मंगल पांडेय—

पांचवीं आयोजना के प्रस्तावित सीलिंग में भारी कटौती हो जाने के कारण नये मेडिकल कालेजों के खोलने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गयी है।

गोंडा जिले में कालरे की रोकथाम

८—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में १ मई, १९७४ से ३१ मई, १९७४ तक कालरा फैल जाने के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? और इस सम्बन्ध में तुरन्त क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी नहीं। प्रश्न का यह भाग उठता ही नहीं।

उक्त रोग की रोकथाम के लिये निदेशालय से जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश पहले से ही दिये गये हैं तथा जिले में हैजा निरोधक टीके तथा अन्य औषधियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और कुओं में दवा छुड़वाई गई।

९—श्री इन्द्र पाल सिंह—

[१०वें मंगलावर के लिये स्थगित।]

कानपुर के तकावी अमीनों का सेवाकाल

१०—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के प्रत्येक विकास खंड के अन्तर्गत कौन-कौन से तकावी अमीन सेवा कार्य करते हैं? उनकी सेवा अवधि क्या है? उनमें से कौन-कौन स्थाई व कौन-कौन अस्थाई हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६४४–६४५ पर।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति का आरक्षण

११—श्री हुबराज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्राप्त है ? यदि हां, तो कितना ? और फैजाबाद जनपद के ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में कहां तक आरक्षण का स्थान दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां । अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान है परन्तु अभी तक १४८२ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से १०९ अनुसूचित जाति के उपलब्ध हुए हैं । फैजाबाद जनपद में ३५ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से केवल १ अनुसूचित जाति का कर्मचारी (तृतीय श्रेणी) उपलब्ध है ।

नानपारा नोटीफाइड एरिया, बहराइच को दिया गया अनुदान तथा ऋण

१२—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नानपारा नोटिफाइड एरिया, जनपद बहराइच को सन् १९७१–७२, १९७३–७४ में कितना अनुदान तथा कर्ज किन-किन मदों में दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नानपारा नोटीफाइड एरिया जनपद बहराइच के सन् १९७१–७२ में २०,००० रुपये का ऋण सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया । वर्ष १९७२–७३ में हवील बैरोज (मैला ढोने की छोटी गाड़ी) क्रय करने हेतु रुपये २,४०० का अनुदान भी स्वीकृत किया गया । वर्ष १९७३-७४ में न कोई ऋण और न कोई अनुदान ही स्वीकृत किया गया ।

विकास खण्ड बेड़ा जिला शाहजहांपुर में पशुचिकित्सालय का भवन

१३—श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि जिला शाहजहांपुर विकास खंड बेड़ा में लगभग ११ साल से पशु चिकित्सालय किराये के भवन में स्थापित है जिसकी दशा अत्यधिक जीर्ण है जब कि पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि लगभग ४ साल पूर्व स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हाँ, तो उक्त चिकित्सालय के भवन का अभी तक निर्माण न होने का क्या कारण है और सरकार उसका निर्माण कब तक करा देगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उक्त चिकित्सालय वर्ष १९६३–६४ से किराये के भवनों में चलाया जा रहा है, किन्तु उसके वर्तमान भवन की दशा जीर्ण नहीं है । यह भवन अगस्त, १९७० में किराये पर लिया गया था ।

चिकित्सालय भवन के निर्माण के लिये धनराशि सामूदायिक विकास विभाग द्वारा वर्ष १९७२–७३ में मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई थी परन्तु जो भूमि क्षेत्र समिति बेड़ा द्वारा इसके लिये दी गई थी वह उपयुक्त नहीं पाई गई ।

इसी भूमि पर, जो खंड विकास अधिकारी, बंडा द्वारा उपलब्ध की गई थी, भवन का निर्माण इस कारण नहीं कराया जा सका कि प्रधान, ग्राम सभा, बंडा द्वारा उसके विरुद्ध यह आपत्ति उठाई गई कि वह एक धार्मिक स्थान है और वहां पर मेला आदि भी लगता है ।

ग्राम बंडा में किसी अन्य स्थान पर अभी तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है जिसके लिये प्रयास जारी है ।

१४—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नगर महापालिका कानपुर के वार्ड नं० ३५ के विकास की मांग

१५—श्री सन्त सिंह युसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के वार्ड नं० ३५ में यातायात, रोशनी, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था जब से नगर महापालिका बनी है नहीं की जा रही है और नागरिकों से बराबर टैक्स वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पांडेय—

कानपुर नगर महापालिका के वार्ड नं० ३५ में ७१ ग्राम आते हैं जो शहर के इर्द गिर्द बसे हुए हैं । इन ग्रामों में पानी और रोशनी की व्यवस्था अभी नहीं की जा सकी है । यातायात, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था प्रमुख ग्रामों में की जा चकी है और इसे धीरे धीरे बढ़ाया, जा रहा है । इन ग्रामों में निर्मित मकानों पर सामान्य कर विधिवत लगाया गया है परन्त जलकर नहीं लगाया जाता है ।

जिला हरदोई के बेन्हदर ब्लाक में अनुदान के रूप में दिया गया बीज का उर्वरक

१६—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत बेन्दहर ब्लाक में से १९७२–७३ में कितना बीज व उर्वरक अनुदान के रूप में कितना-कितना किन-किन ग्राम सभाओं को दिया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हरदोई जिले के अन्तर्गत बेन्दहर ब्लाक में ७२–७३ में कोई भी बीज व उर्वरक किसी ग्राम सभा को अनुदान के रुप में नहीं दिया गया ।

जिला फैजाबाद की अकबरपुर टाउन एरिया को नगरपालिका बनाने की मांग

१७—श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री भगवती प्रसाद, श्री रेवती शरण मौर्य, श्री श्याम मिश्रा, श्री निसार अहमद अन्सारी, श्री धर्म चन्द मिश्र (जिला फैजाबाद), श्री राज बहादर चन्द, श्रीमती रामरती देवी तथा श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर टाउन एरिया, फैजाबाद के नगरपालिका बनानेका प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो आवश्यक आदेश कब तक जारी होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जी हां। आवश्यक आदेश शीघ्र जारी हो जायेंगे।

जिला आजमगढ़ के घोसी व अदरी कस्बों को टाउन एरिया बनाने की मांग

१८--श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले के घोसी तथा अदरी कस्बों को टाउन एरिया में परिवर्तित किया जा रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कस्बा घोसी को टाउन एरिया में परिवर्तित किये जाने के प्रश्न पर अभी जिला स्तर पर छानबीन हो रही है।

उपरोक्त मामलों में निर्णय लिये जाने में अभी समय लगेगा।

सीतापुर में सहकारी दुग्ध योजना की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि

१९--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में सहकारी दुग्ध योजना कब से लागू की गई और उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सीतापुर जनपद में ४,००० लीटर दैनिक क्षमता की एक दुग्ध शीतक केन्द्र की स्थापना किये जाने की योजना वर्ष १९७२-७३ में स्वीकृत की गयी थी। सहकारी दुग्ध संघ का निबन्धन एवं संघ के संचालक मंडल का गठन हो चुका है। दुग्ध शीतक केन्द्र के लिये भूमि क्रय कर ली गयी है और भवन निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही भी की गयी है। संयंत्रों के क्रयार्थ मानक भी भेजे जा चुके हैं।

२०--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त योजना सीतापुर मुख्यालय से प्रत्येक दिशा में कितने मील तक प्रभाव है और इसके लिये अब तक किसानों की उन्नति शील पशु लाने के लिये कितना रुपया एडवान्स दिया गया है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उपरोक्त योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण सीतापुर जनपद है। इस योजना में किसानों को उन्नतिशील दुधारू पशुओं के क्रय करने हेतु २७,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

बस्ती जिले में रबी की बोवाई हेतु वितरित गेहूं का बीज

२१--श्री राम रेखा यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियावां के अन्तर्गत वर्ष ७४ में रबी की बोआई हेतु सफल गेहूं का बीज कितने और किस-किस ग्रामों में बांटा गया, और ग्राम गोनरा, तथा आरिकपार, विकास क्षेत्र खुनियांवां में इस योजना के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों को गेहूं का बीज दिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बस्ती जिले के विकास खण्ड खुनियावां के अन्तर्गत वर्ष ७४ में रबी की बोवाई हेतु मुफ्त गेहूं का बीज ९३ वर्गों में बांटा गया और जिन-जिन ग्रामों में यह बीज बांटा गया उसकी सूची परिशिष्ट–१ में दी गयी है ।

ग्राम गोनरा तथा आरिकपुर, विकास खण्ड खुनियावां, में इस योजना के अन्तर्गत जिन-जिन व्यक्तियों को गेहूं का बीज दिया गया उसकी सूची परिशिष्ट–२ में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६४६–६४९ पर)

प्रदेश में बियर का उत्पादन और प्रतिबोतल उत्पादित लागत

२२—श्री सत्य पाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बियर का उत्पादन करने वाले प्रत्येक कारखाने ने अलग-अलग पिछले वर्ष कितनी बियर का उत्पादन किया और उत्पादन निश्चित सीमा से अधिक है या कम ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्रदेश में बियर का उत्पादन करने वाले तीन कारखानों ने अलग-अलग पिछले वर्ष निम्नलिखित मात्रा में बियर उत्पादित किया ।

(१) मोहन मीकिन ब्रिवरी, मोहन नगर, गाजियाबाद । (मेरठ) १५३–७८ लाख वल्क लीटर ।

(२) नारंग ब्रिवरी, नवाबगंज, गोंडा ३७–६१ लाख वल्क लीटर ।

(३) मोहन गोल्ड वाटर, ब्रिवरीज, लि०, लखनऊ । ३९–९८ लाख वल्क लीटर ।

मोहन मीकिन ब्रिवरी, गाजियाबाद व नारंग ब्रिवरीज, नवाबगंज में बियर का उत्पादन निश्चित सीमा से अधिक रहा तथा मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लखनऊ में उत्पादन निश्चित सीमा से कम रहा ।

श्री राजमंगल पांडेय—

ब्रिवरी की एक बोतल की लागत ३.७१ रु० से लेकर ४.९५ तक आती है । इस लागत में कच्चे माल के दाम तथा अन्य खर्चे सम्मिलित हैं । इस पर आबकारी ड्यूटी १ रु० प्रति बोतल व लाइसेन्स फीस ७० पैसे से ९० पैसे प्रति बोतल तक है । बाजार में वह इस समय ७.५० रु० से लेकर ९.०० रु० तक के भाव पर बिक रही है ।

उप विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय के कर्मचारियों का कार्य–काल

२४—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के डी० डी० सी० आफिस के कितने कर्मचारी सात वर्षों से अधिक से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं जो कि नियम विरुद्ध है और उनको स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

उप विकास आयुक्त, बरेली के कार्यालय में १० कर्मचारी सात वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं । लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के लिये कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है । अतः स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

टाउन एरिया बांसी, जिला बस्ती को स्वीकृत अनुदान तथा किये गये निर्माण कार्य

२५—श्री राम रेखा यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के टा० ए०, बांसी को वर्ष १९७० से लगायत ३० मार्च, १९७४ के बीच राज्य सरकार से कितना रुपया अनुदान के रूप में किन-किन तिथियों को प्राप्त हुआ और इस बीच टाउन एरिया, बांसी में कौन-कौन से निर्माण-कार्य हुए उनका ठीका किस-किस को दिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

टाउन एरिया कमेटी, बांसी जिला बस्ती को वर्ष १९७० से ३० मार्च, १९७४ तक राज्य सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों, विभिन्न निर्माण-कार्यों तथा सम्बन्धित ठेकेदारों के नाम इत्यादि की सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६५० पर)

जिला परिषद्, देवरिया द्वारा तारपीन के तेल के लिये स्वीकृत टेंडर

२६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिला परिषद् द्वारा सड़कों पर बिछाये जाने वाले तारपीन तेल (मैग्सफाल्ट) के लिये किन-किन तिथियों को टेन्डर आमन्त्रित किये गये हैं और किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस दर से टेन्डर दिये हैं और किसको मिला है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, देवरिया ने जिन-जिन तिथियों को जिन-जिन फर्मों तथा व्यक्तियों से टेंडर मांगे थे उसकी सूचना संलग्न सूची में दी गयी है।

श्री प्रभूनाथ पाण्डे का टेण्डर स्वीकार किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर का वर्ष १९७२-७३ का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन †

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के वर्ष १९७२-७३ के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अष्टम) आदेश, १९७४ †

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा (१०) अनुभाग की अधिसूचना संख्या शिक्षा (१०) ३२२९/१५-६०(१६)-७३, दिनांक १० जून, १९७४ द्वारा प्रख्यापित

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अष्टम) आदेश, १९७४ को, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ७३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार, निगम लखनऊ का स्थिति पत्रक और लाभ हानि का लेखा वर्ष १९७२–७३†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार, निगम लखनऊ का स्थिति पत्रक और लाभ-हानि का लेखा वर्ष १९७२–७३ को, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ की धारा ३१ की उपधारा (११) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के वर्ष १९६९–७० एवं वर्ष १९७१–७२ की वार्षिक रिपोर्ट ††

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम के वर्ष १९६९–७० एवं वर्ष १९७१–७२ की वार्षिक रिपोर्ट को उनके लेखा विवरण सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लि० के वर्ष १९७१–७२ की वार्षिक रिपोर्ट ††

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम, लि० के वर्ष १९७१–७२ की वार्षिक रिपोर्ट को लेखा विवरण सहित, सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लि० के वर्ष १९७०–७१, १९७१–७२ एवं १९७२–७३ के वार्षिक प्रतिवेदन †

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लि० के वर्ष १९७०–७१, १९७१–७२ एवं १९७२–७३ के वार्षिक प्रतिवेदनों को उनके लेखा विवरण सहित, कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९–ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७३†

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास अनुभाग–२ की अधिसूचना संख्या १७१८/३७–२–२८ (एच०बी०)–६५, दिनांक २९ नवम्बर, १९७३ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (ऋण लेने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७३ को, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ९४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६५२ पर)

इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में ये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६५३ पर)

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६५४ पर)

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये पर तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २६ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ५ जुलाई, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १८ जुलाई १९७४ को प्राप्त हो गई है, और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया ।

नेता विरोधी दल द्वारा उठाई गयी वैधानिक आपत्ति पर मुख्य मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर में तथा कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशी नाथ मिश्र ने कुछ सूचना दी है । वह कुछ तर्क अपना देना चाहते हैं । तो मैं उन्हें समय दे देता हूं कि वह अपना तर्क उपस्थित करें ।

दूसरे जो विशषाधिकार के सवाल हैं, माननीय राम सेवक यादव ने सूचना दी है कि २५ जुलाई, १९७४ को माननीय मुख्य मन्त्री ने नेता विरोधी दल द्वारा इस आपत्ति के उठाये जाने पर कि आय-व्ययक के लिए अनुदानों की जो मांग वे उपस्थित कर रहे हैं वह नहीं कर सकते क्योंकि जो धनराशि वह सदन से मांग रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, कहा कि—"हमने आदेश दिया है कि टेलीफून का खर्चा कम होना चाहिये कटौती के लिए नहीं कहा है बल्कि मितव्ययिता की बात कही है ।

माननीय राम सेवक यादव ने अपनी सूचना में आगे कहा है कि शासनादेश संख्या ६१६१९५/१/२०–ई–१–१९७४ दिनाक ५ जुलाई, १९७४, द्वारा, जो सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–१ से निर्गत हुआ है, बजट प्राविधानों में कटौती की जा रही है, न कि बचत

उनका आरोप है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने "कटाव" को "बचाव" कहकर जान बूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है जिससे सदन के विशेषाधिकार की अव हेलना हुई है ।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

श्रीमन्, कल जिस राजाज्ञा की चर्चा हुई थी, अगर हमारे परम मित्र माननीय राम सेवक यादव ने इसका प्रथम पृष्ठ पढ़ा होता, मुझ पर कृपा करके तो अधिक अच्छा होता । इसमें लिखा है कि :

"महोदय,

दिनांक २ जुलाई, १९७४ को कन्ट्रोल रूम में प्रशासन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित कतिपय सचिवों की बैठक की "कार्यवाही –विवरण" की एक प्रति आपके सूचनार्थ एवं प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है" ।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

वार्ता के आधार पर जो बात हुई है, उसमें उसकी चर्चा है। अन्तर उसमें है। जैसा कि आपने अपनी रूलिंग में कहा था कि सचिवालय में, ड्राफ्टिंग में कहा गया कि मितव्ययिता लाने के लिये कुछ खर्चे में कटौती करनी पड़ी है। कटौती का तात्पर्य विशेष महत्व रखता है। अब भी मैं कहता हूं कि हमारा अर्थ इस आज्ञा को भजने से यह नहीं है कि जो धनराशि इस सदन ने पास की है, उसको जैसे हम चाहे, वैसे खर्च कर लें। स्पष्ट बात है कि हमारी गवर्नमेन्ट जब बजट बनाती है तो इसे प्लानिंग और केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श इसलिये करना पड़ता है कि कितना धन हमें किस मद में मिलगा। बजट की तारीख आने पर हम को तो बजट प्रस्तुत करना पड़ता है चाहे अंतिम निर्णय केन्द्रीय सरकार न ले। उस अंतिम निर्णय लेने के साथ फिर हम एलोकेशन इधर का रुपया उधर और उधर का रुपया इधर कर लेते हैं, जैसा कि आपने अपनी रूलिंग में भी कहा था।

इस सदन में जो बहस चली थी सरकारी कर्मचारियों की संख्या पर, उसको ध्यान में रखते हुए जनरल डिबेट में भी सारी की सारी बात आयी तो हमने कहा कि हाथ रोक कर पदों का सृजन किया जाय। बजट में भी कहा है कि हम करेंगे। इससे न सदन का ही हमने अपमान किया है और न कोई गड़बड़ी की है।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, शब्द का सहज अर्थ एक ही अर्थ का मतलब निकला कि हमारी मंशा क्या थी। जिस दिन यह प्रश्न उठा था कटौती और मितव्ययिता, यह प्वाइन्ट आफ आर्डर के रूप में उठा था। कटौती और मितव्ययिता ये २ शब्द उठे थे। अगर यह प्रश्न उठता नहीं और साधारण तौर पर मुख्य मन्त्री जी कह गये होते तो कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना मतलब का कर्तव्य होता। न इसे इधर के बैठने वाले और न उधर के बैठने वाले उठाते। लेकिन उन्होंने किस संदर्भ में, जब कटौती के प्रस्ताव पर एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया, उस सन्दर्भ में मुख्य मन्त्री जी ने साफ कहा है। कहा था कि बजट में कटौती की गयी लेकिन टेलीफोन आदि के खर्चों में इधर कमी की गयी है। और फिर कटौती के लिए नहीं कहा बल्कि मितव्ययिता के लिए कहा। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं मितव्ययिता और कटौती में फर्क करते हैं और है भी। जैसे मान लो, कोई चीज हम बाजार में खरीदने चले कुछ पैसे लेकर लेकिन मन में निश्चय कर लिया कि इससे कम में मिलेगी तो खर्च नहीं करेंगे, यह मितव्ययिता है। और कटौती यह है कि इस खर्चे को करेंगे ही नहीं। तो मुख्यमन्त्री जी ने कटौती और मितव्ययिता का फर्क समझा और फर्क समझकर दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया और कहते हैं कि कटौती नहीं किया। हम मितव्ययिता कर रहे हैं। तो कटौती शब्द का इस्तेमाल करके, अगर इनका कोई मतलब भी न रहा हो तो कम से कम भ्रम में तो सदन को डाला, यह भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तो पूरी विवेचना में न जाते हुए, इन शब्दों के इस्तेमाल को ही ले लें। कटौती इनका ही शब्द है और चौधरी साहब के "कटौती" और "मितव्ययिता" के सन्दर्भ में उन्होंने यह कहा। तो यह बनता है। लेकिन अगर यह साधारणतया कोई बात कह कर कहे होते तो यह नहीं बनता। इसलिए यह विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न बनता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, "कटौती" और "मितव्ययिता" का अर्थ आप अर्थ-शास्त्र में देखिये। राम सेवक जी ने जो भाष्य किया वह अर्थ नहीं है। "कटौती" का अर्थ यह है कि अगर हम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को कलम खरीदनी है और कलम न खरीदकर कापी खरीदेंगे तो कटौती में आयेगा। यह कतई इसका मतलब नहीं है कि हम पैसा खर्च कर सकते हैं। इस पर नहीं बनता। ये "कटौती" और "मितव्ययिता" का स्वयं अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय रामसेवक जी से आग्रह करना चाहता हूं कि निरन्तर एक शब्द का प्रयोग किया गया कि यहां कोई शासकीय आदेश था। यह शासकीय आदेश नहीं था। आपके सामने है कि यह अर्ध-शासकीय पत्र था जिसमें बजट की मितव्ययिता के लिये कुछ सुझाव दिये गये थे। जैसा कि कल मैंने आग्रह किया था और आपने मेरे विचार को स्वीकार किया था कि "कटौती" का सीधा तात्पर्य है कि किसी योजना को काट देना—पुल के लिये ५ लाख रुपये पास किया और ३ लाख में ही इतना मजबूत पुल बना देते हैं, तो यह "मितव्ययिता" है, "कटौती" नहीं है। इन दोनों शब्दों के बारीक अन्तर को माननीय रामसेवक जी जरूर समझते होंगे, न जाने किन अज्ञात कारणों से यह दुराग्रह कर रहे हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सदन की शोभा बढ़ा रहे हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप किसी नतीजे पर पहुंचे, आपको स्वविवेक है, लेकिन जहां तक "कटौती" और "मितव्ययिता" का प्रश्न है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार रखता हूं। कटौती पर विश्वास एक निश्चित सम में से कुछ काट देना, जैसे ५ लाख का सम है, उसमें १५ परसेंट काट दिया जाय, १२ परसेंट काट दिया जाय.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

बिलकुल नहीं है यह अर्थ.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मन्त्री नहीं बोलने पायेंगे, मैं यह हंस के कहता हूं.....

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान और शोर बैठ जाओ, बैठो की आवाजें)

मान्यवर, मुझे तकलीफ इस बात की है कि मैं निरन्तर अपने मुख्य मन्त्री जी की तरफ देखता था। लेकिन जब आपने संकेत किया तब इन्होंने संकेत किया, तब ये बैठे। तो ये भी देखते थे कि इस प्रकार की हरकत हो रही है। मान्यवर, इसीलिए मैंने कहा था कि मुख्य मन्त्री जी खड़े होंगे तो बोलने नहीं पायेंगे—मेरा इसी तरफ इशारा था। जब सारा नाटक समाप्त हो जाता है तो आप हाथ उठाते हैं मुख्य मन्त्री जी।

तो मान्यवर, आप १८९ नियम को ध्यानपूर्वक देखें। सही अर्थ सामान्य है, निष्कर्ष कुछ भी निकलें। "कटौती" शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो एक निश्चित धनराशि हमारे मस्तिष्क में आती है, उसकी कल्पना होती है।

और जब हम मितव्ययिता कहते हैं तो एक रेगुलर प्रोसेस है, धीरे-धीरे करके हम खर्च कम करेंगे। प्रमाण में आप १८९ (क) पढ़ें। उसमें लिखा है, मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।" निश्चित धनराशि रख दी गयी कि १ रुपया कर दिया जाय। अब आप दूसरा खंड देखिए.....

(शोर)

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

माननीय काशीनाथ जी सदन के लिए यह ठीक बीज नहीं बो रहे हैं इतना ही मैं कहता हूं मैं पुनः दोहरा रहा हूं इसलिए कि बीच में व्यवधान पैदा कर दिया माननीय काशीनाथ जी ने। मैं यह कह रहा था कि इसको आप पढ़ेंगे तो इसी निश्चित राय पर पहुंचेंगे कि "कटौती" शब्द का प्रयोग तभी किया जायगा जब धनराशि निश्चित हो जैसा कि नियम १८९ (क) से स्पष्ट होता है। इसी प्रकार मितव्ययिता का भी अर्थ हम समझ सकते हैं जब १८९ (ख) को देखें, "मांग की राशि में उल्लिखित राशि को कम किया जाय।" अगर कटौती और मितव्ययिता में अन्तरन होता तो इन शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता। मैंने भी विचार किया। जो मैंने कहा उसके अलावा कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता।

श्री अध्यक्ष—

सदन के परिवेश में जो आप कह रहे हैं वह ठीक है।

(श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा बोलने की चेष्टा करने पर सदन में बहुत शोर होने लगा।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

अगर आप आज्ञा दें तो मैं कहूं। इनके शोर मचाने से तो मैं बैठूंगा नहीं लेकिन आप अगर आज्ञा दें तो मैं बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—

तो आप बैठ जायें।

श्री प्रभु नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माधव बाबू ने नियमावली का नियम १८९ पढ़ कर के एक प्रश्न उठाया कि कटौती शब्द मितव्ययिता के साथ जुड़ा हुआ है और उसका सीधा मतलब है कि जब मितव्ययिता होगी तो कटौती होगी और जब कटौती होगी तो मितव्ययिता होगी। दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। इस सरकार की मन्शा बहुत स्पष्ट है कि कटौती का मतलब मितव्ययित से है। और नियमावली में भी यह पोजीशन साफ है।

श्री अध्यक्ष—

इसके पूर्व कि मैं अपना निर्णय दूं मैं माननीय सदस्यों का ध्यान १९० (क) की ओर बिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि "उसका सम्बन्ध केवल एक मांग से होगा।" यह कटौती प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तों में से एक है। तो इस तथ्य को भी हमें दृष्टि में रखना होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री इस प्रकार खर्चे में कमी करने को "बचत" की संज्ञा या मितव्ययिता की संज्ञा देते हैं और माननीय नेता विरोधी दल इस कमी को "कटौती" मानते हैं, यह माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल के मध्य विचार वैभिन्य है और इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनता है।

मैंने कल माननीय नेता विरोधी दल द्वारा उठाई गयी वैधानिक आपति कि सरकार द्वारा अनुदानों में १५ प्रतिशत कटौती करने के आदेश दिये जाने के बाद अनुदान वास्तविक नहीं रह गये हैं और सदन में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं, पर व्यवस्था देते हुए कटौती और बचत के अन्तर के सम्बन्ध में यह कहा था कि "मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री रामायण राय से सहमत हूं कि "कटौती का तात्पर्य किसी योजना को काटने से है, जो नीति से सम्बन्ध

रखता है और बचत या मितव्ययिता का अभिप्राय यह है कि स्वीकृत योजना को चालू रखते हुए उसके व्यय में कमी की जाय। यह सही है कि उक्त आदेशों में बजट के प्राविधानों में कटौती की बात कही गयी है और कठिनाई इन्हीं शब्दों के कारण उत्पन्न हुई है। उचित होता यदि इन शब्दों का प्रयोग न करके यह कहा जाता कि बजट के प्राविधानों के अनुसार व्यय में कमी करके बचत की जाय परन्तु उक्त आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि उद्देश्य शासन के व्यय में मितव्ययिता लाने का ही है और उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग तकनीकी अभिप्राय से न होकर मितव्ययिता के ही अभिप्राय से है।"

इसलिए इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना और देना चाहता हूं.....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

एक मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे अभी देखा नहीं है। देख लूंगा तब कह लूंगा।

एक सूचना माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में देना है। यह निर्वाचन ८ अगस्त को होगा। ७ अगस्त को मध्यान्ह से पूर्व तक, १२ बजे तक नामजदगी के लिए समय रहेगा।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक ३० जुलाई, १९७४ की बैठक में ७ अगस्त १९७४ को ९ अगस्त १९७४ तक निम्नलिखित विधेयकों तथा असरकारी सदस्यों के कार्य को सदन में लिए जाने हेतु जो समय निर्धारण की सिफारिश की है वह इस प्रकार है:--

७ अगस्त, १९७४ के लिए तीन विधेयक हैं--(१) उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमने तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण। (२) उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण। (३) भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण।

८ अगस्त, १९७४ को असरकारी सदस्यों का कार्य।

९ अगस्त, १९७४ को --तीन विधेयक हैं--(१) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण, (२) उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) (संशोधन) विधेयक, १९७३ पर विचार एवं उसका पारण, (३) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य-क्रम को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को स्वीकार करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विभिन्न प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने यह जानना चाहा था कि कौन सा प्रतिवेदन यहां सदन के पटल पर रखा जाय और कौन सा प्रतिवेदन न रखा जाय, इसकी सूचना दे दी जाय ।

"दिनाक २२ जुलाई, १९७४ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा यह सूचना मांगी गयी थी कि अस्पतालों के कार्य-कलापों की जांच के लिए गठित डाक्टर डी० एन० शर्मा जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है तथा उसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनको लागू करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है । अनुपूरक प्रश्नोत्तर के दौरान सदस्यों द्वारा यह मांग की गयी कि उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाय ।

ऐसी समितियों की रिपोर्ट जिनको कि संविधान, किसी अधिनियम या प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक हो, उनको सदन के पटल पर अवश्य रखा जाता है । किन्तु ऐसी रिपोर्ट को जिसे सदन के पटल पर संविधान अथवा किसी अधिनियम के अन्तर्गत रखा जाना आवश्यक नहीं है उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री के स्वविवेक पर ही निर्भर करता है कि वह उसे सदन के पटल पर रखे अथवा नहीं, और यदि रखे तो कब । यदि किसी रिपोर्ट या अभिलेख को शासन द्वारा जनहित में सदन के पटल पर रखा जाना उचित नहीं समझा जाता तो उसके लिए किसी मन्त्री को बाध्य नहीं किया जा सकता । कौल---शखधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ ९६९ के अनुसार---

"सामान्यतया मन्त्रिमण्डल के अधिकार से मन्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे दस्तावेज को सदन के पटल पर रखें । अधिकतर दस्तावेज संविधियों या संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत रखने की आवश्यकता है या प्रक्रिया नियमावली तथा अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार उनका सभा पटल पर रखा जाना जरूरी है । अन्य दस्तावेजों के सम्बन्ध में मंत्रियों को स्वयं यह निर्णय करना पड़ता है कि किसी पत्र को सभा पटल पर रखना है या नहीं और यदि रखना चाहिए तो कब ।"

यहां पर जो मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में माननीय सदस्यों ने कहा कि उसको सदन के पटल पर रखा गया, तो वह इसलिये रखा गया कि उसके लिये ऐसा आश्वासन दिया गया था, इसीलिये उसका प्रतिवेदन आपके समक्ष रखा गया था ।

उक्त पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण "प्रैक्टिस ऐंड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ ८३१ पर यह भी कहा गया है कि यह निश्चय करना शासन का काम है कि किसी विभागीय समिति का प्रतिवेदन या कोई विशेष प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष ने जब भी सदस्यों द्वारा ऐसे किसी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग की गयी, कोई निदेश देने से इनकार कर दिया ।

ऐसी स्थिति में मैं शासन को वाध्य नहीं कर सकता कि वे उक्त प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखें । यदि शासन इस प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों से सदस्यों को अवगत कराना चाहता हो तो उसे स्वयं सदन के पटल पर रख सकता है।

प्रदेश की वर्तमान खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (डा०राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के समक्ष प्रदेश की खाद्य स्थिति के संबंध में ६ जून, १९७४ को निवेदन कर चुकी हूं और १८ जुलाई, १९७४ को खाद्य के बजट के समय भी उस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

२--हमारी सरकार सदैव इस बात के लिये प्रयत्नशील है और समाज के सभी वर्गों को, विशेषतः निर्बल वर्ग को, सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर सुलभ हों । इस संबंध में मैं गल्ला खरीदारी की ओर सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगी। इस वर्ष शासन के प्रयत्नों से अब तक ४-२३ लाख टन चावल खरीदा गया है जो इस राज्य को अगली फसल तक के लिये पर्याप्त होगा चावल की खरीदारी अभी जारी है । मोटे अनाज की खरीदारी भी बाकी संतोषजनक रही और पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है । इस वर्ष गेहूं की खरीदारी के लिये ७,४४,२५० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस लक्ष्य की पूर्ति में अब तक ३,०८,८३९ टन की खरीदारी हो चुकी है । केंद्रीय एवं पूर्वी प्रदेश के अधिकांश जिलों में खरीद का लक्ष्य पूर्ण हो जाने पर तथा कमी वाले जिलों में खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से ६-७-७४ को इन जिलों से सीधी खरीद बन्द कर दी गई तथा प्रदेश के सीमा क्षेत्र को छोड़कर इन जिलों से एक जिले दूसरे जिले तक गेहूं ले जाने पर लगाये गये सभी प्रतिबन्ध हटा दिया गये । बहुतायत वाले जिलों में सीधी खरीद अभी जारी है क्योंकि इन जिलों में अब तक खरीद लक्ष्य के अनुसार नहीं हुई है । शासन ने यह स्पष्ट आदेश दे दिये हैं कि उन किसानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, जो ६ १/४ (सवा छः एकड़) या इससे अधिक क्षेत्र में गेहूं बोये हों । छोटे किसानों के विरुद्ध कार्यवाही न करने और उनको सताये न जाने के लिये स्पष्ट आदेश हैं ।

३--हर्ष की बात है कि जुलाई महीने में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अच्छी वर्षा हो गई है और अब यह आशा है कि यदि वर्षा ने आगे भी साथ दिया तो खरीफ की फसल अच्छी होगी जिससे अन्न की समस्या सुलझ जायगी । नवम्बर के आस-पास अगली खरीफ की फसल बाजार में आ जायगी और खाद्य की समस्या उस समय पूरी तरह हल हो जायगी ।

४--खाद्यान्नों की खरीदारी और वितरण योजना को सुदृढ़ बनाने हेतु खाद्यान्न क्षेत्रों को मंडल स्तर पर कायम किया गया है । इस प्रकार ७ खाद्यान्न क्षेत्रों के स्थान पर ११ क्षेत्र बन गये हैं । राज्य के ५ महानगरियों के अतिरिक्त गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिविल सप्लाईज) के पदों का सृजन भी हो चुका है । खाद्यान्न की तस्करी रोकने के लिय तथा खरीदारी बढ़ाने के लिये मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर तथा झांसी मंडलों में प्रत्येक में एक-एक उप क्षेत्रीय हाट अधिकारी के अधीन सचल दस्ते कायम किये गये हैं जो तस्करी के स्थान पर तत्काल पहुंच कर कार्यवाही करेंगे।

५--आवश्यक वस्तुओं तथा खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था और सुधारने के लिये राज्य सरकार खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का निगम भी बनाने जा रही है जिसके संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी हो रही है।

[डा० राजेंद्र कुमारी बाजपेयी]

६—देश में इस समय गेहूं, चीनी, वनस्पति, मिट्टी का तेल तथा कोयले इत्यादि की कमी है किन्तु फिर भी इस प्रदेश के लिये इन वस्तुओं का अधिक आवंटन प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार ने कोई असर उठा नहीं रक्खी । चीनी तथा मिट्टी के तेल के वितरण के अध्ययन के लिये हाल में एक दल शासन की ओर से प्रदेश के कुछ जिलों में भेजा गया था इस दल के सुझावों के अनुसार वितरण में सुधार के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । अभी तक जिला स्तर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच इन वस्तुओं का जो विभाजन होता था, उसमें शहरी क्षेत्रों की आवश्यकता से जो मात्रा बच रहती थी । वह ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित कर दी जाती थी । अब यह स्पष्ट आदेश दे दिये गये हैं कि जनसंख्या के आधार पर वितरण हो और कोटा उठाने तथा वितरण करने हेतु तहसीलदार या ब्लाक स्तर पर तिथियां निर्धारित कर दी जायं । सस्ते गल्ले के दूकानदारों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाय ताकि उनके निलम्बन के बाद वैकल्पिक लागू हो सके और उपभोक्ताओं को असुविधा न हो । सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों का समय भी अन्य दूकानों के समान कर दिया गया है और पहली, दूसरी तथा तीसरी तारीख को दूकानों के खोलने की व्यवस्था भी की गई है ताकि सभी कर्मचारियों को महीने के प्रारम्भ में खाद्यान्न सुलभ हो सके । विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को दूकानों के निरीक्षण करने के लिये भी आदेश दे दिये गये हैं ।

७—विद्यार्थियों की सुविधा के लिये मिट्टी के तेल की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जो उनके प्रधानाचार्यों के डिस्पोजल पर रख दी गई है । छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिये खाद्यान्नों का विशेष प्रबन्ध किया गया है ।

८—शासन के विशेष प्रयत्नों से नियंत्रित कपड़े का कोटा भारत सरकार ने दुगुना कर दिया है । निर्बल वर्ग को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से अब यह आदेश दे दिये गये हैं कि नगर क्षेत्र में नियंत्रित कपड़ा उन्हीं को दिया जाय जिनकी मासिक आय ३५०रु० तक की हो और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास एक एकड़ या उससे कम भूमि हो । अधिक व्यक्तियों को कपड़ा सुलभ करने की दृष्टि से १० मीटर के स्थान पर अब केवल ७ १/२ मीटर कपड़ा देने के आदेश दिये गये हैं । टायरों के संबंध में भी भारत सरकार द्वारा टायर वितरण की जो योजना बनाई गई है, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन हो गया है ? इधर कुछ दिनों से साबुन तथा दियासलाई की कमी का अनुभव हो रहा है । इस संबंध में भी निर्माताओं से सम्पर्क स्थापित करके वितरण में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है ।

९—राज्य सरकार ने खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं से संबंधित अपराध को टेक्निकल दोष न मानकर समाज विरोधी एक कार्य माना है और चोर बाजारियों तथा मुनाफाखोरों को भलीभांति दंडित करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी उत्तर प्रदेश के लिये एक संशोधन किया है । इसके फलस्वरूप अब ऐसे व्यक्तियों को कठोर दंड दिया जाना सम्भव हो सकेगा । भारत सरकार ने भी इस संशोधन को स्वीकार किया है ।

१०—खाद्यान्न से संबंधित अब तक ५९४ मामले पकड़े गये जिसमें ४६ लाख रुपये की कीमत की खाद्यान्न सम्बद्ध था । तस्करी के अभियोग में १८६७ व्यापारियों को बन्द किया गया, उनमें से ६५४ को सजा दी गई । तस्करी में लगे हुए ५५२ विभिन्न प्रकार के वाहन पकड़े गये जिसमें से २६ जब्त कर लिये गये । खाद्यान्न लाइसेंस को आदेश उचित मूल्य प्रदर्शन एवं वितरण आदेश, शुगर डीलर लाइसेंसिंग आदेश तथा गुड़ व खांडसारी लाइसेंसिंग आदेश के अन्तर्गत ६१५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । १८८९ दूकानें निरस्त की गईं तथा १२३४ दूकानें निलम्बत की गईं । इन्हीं अभियोगों के अन्तर्गत ८२७ लाइसेंसधारियों की ७६,९०० रु० की जमानत जब्त की गई । कुल ७८ मुकदमें दायर किये गये और ६६९ रिपोर्ट पुलिस में दर्ज की गई ।

अन्य आवश्यक वस्तुओं की तस्करी, जमाखोरी तथा चोरबाजारी में २२११ मामले शासन की जानकारी में आये जिसमें २२२५ व्यक्ति पकड़े गये और १९.५० लाख का माल इससे संबंधित था। जांच के फलस्वरूप ११२९ लाइसेंस निलम्बित किये गये, ११५८ निरस्त किये गये और ३६,६९५ रु० की जमानत जब्त की गई। अब तक १०२४ प्रथम सूचना दर्ज की गई और ५१६ अभियोग न्यायालय में है।

११---खाद्य तथा रसद विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यकुशलता तथा सत्यनिष्ठा में सुधार करने के उद्देश्य से १० राजपत्रित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त किया गया, २ राजपत्रित अधिकारियों की सेवायें समाप्त की गईं, ८ राजपत्रित अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया गया, ८ राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया, २ राजपत्रित अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की तिथि के पूर्व ही अनिवार्य छुट्टी दी गई तथा ६० अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन और ५३ के विरुद्ध निष्काशन की कार्यवाही की गई। अधिकारियों को केवल दंडित ही नहीं किया गया, बल्कि सत्य-निष्ठापूर्वक काम करनवालों को पुरष्कृत करने की ओर भी कार्यवाही की गई। जनवरी, ७४ तक ३ वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे ८४९ पदों को स्थायी घोषित किया गया और अभी हाल में तस्करों से हुई मठभेड़ में जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने प्राण गंवाये, उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर शासन ने अपना आभार प्रगट किया है।

१२---शासन का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश में किसी प्रकार की भुखमरी न हो और इसके लिये जो भी आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी वह परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अवश्य की जायेगी। इसलिये किसी प्रकार की बेचैनी नहीं होनी चाहिये।

अन्त में, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि राजनैतिक दृष्टिकोण को त्यागकर शासन को अपना सक्रिय सहयोग खाद्य समस्या सुलझाने में प्रदान करें जिससे सामान्य व्यक्तियों को खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं अधिक सुगमतापूर्वक उचित मूल्य पर सुलभ हो सकें।

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मंत्री महोदय ने जो खाद्य स्थिति पर अपना विवरण दिया, तो मुख्यतः सदन को दिलचस्पी थी कि खाद्य की स्थिति क्या है? वितरण व्यवस्था, तस्करी को रोकने तथा इन कानून को तोड़ने में बहुत महत्व नहीं था। मैं आशा करता हूं कि जो खाद्य स्थिति के संबंध में प्रदेश में बेकरी का सवाल सदन में उठा था और नियम ५१ में आपने व्यवस्था भी की थी। तो जो अभी बेकरी के लोग बाहर बैठे हुये हैं, जो बेकारी के शिकार हो गये हैं। चूंकि मिलों को गेहूं न मिलने से बेकारी वालों को आटा नहीं मिल पा रहा है। इसलिये उसकी कुछ व्यवस्था नहीं किया है। ग्रामीण अंचलों में मिट्टी का तेल, सीमेन्ट, खाद और चीनी नहीं मिल पा रही है और साथ ही साथ बड़े शहरों को छोड़कर टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया व पूर्वी जिलों के ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब लोगों को अन्न नहीं मिल पा रहा है तो इसकी क्या व्यवस्था की गई है? सदन इस बात को जानने में इच्छुक है। आपने कितने गिरफ्तार किये, कितने नहीं यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मिट्टी का तेल का वितरण चीनी का वितरण और सीमेन्ट का वितरण जो है उसके बारे में सभी जगह खास तौर से मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत शिकायतें हैं और जो भूमिहीन हरिजन हैं उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, टाउन एरियाज जो २०, २० और ३०, ३० हजार की आबादी के हैं, वहां राशन की व्यवस्था नहीं है, इस बारे में क्या व्यवस्था की गई है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

श्रीमान अध्यक्ष जी, जहां तक मैदे का सवाल है, हमारे प्रदेश में जो आटा बनाने के कारखाने हैं उन्हें गेहूं नहीं दिया गया इसलिये यह स्थिति है। इसके बारे में मुझे बतलाना है कि हमने यह निश्चित किया था कि जब गेहूं की वसूली प्रारम्भ की जाय तो इन कारखानों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की इजाजत न दी जाय। जब हमारी गेहूं खरीदने की नीति आरम्भ हुई थी तो इनको ओपन मारकेट से खरीदने की इजाजत थी लेकिन रिपोर्ट्स आई कि उससे मारकेट में कीमतें बढ़ रही हैं तो ५ मई से शासन ने निर्णय लिया कि कीमतें नीचे रखने के लिये मिल वालों को खुले बाजार से गेहूं खरीदने की इजाजत न दी जाय। इससे उन्होंने जो अप्रैल व मई में खरीदा था उससे आटा बनाया गया लेकिन बाद में खरीदने की इजाजत न होने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार इसको समझते हुये यह प्रयत्न करती रही कि अतिरिक्त गेहूं भारत सरकार से मिल जाय जिससे हम मैदा बनवा लें। अब हमें केन्द्रीय सरकार की मदद से पंजाब और हरियाना से १०,००० टन गेहूं लाने की इजाजत मिल गई है और वह पी०सी०एफ० के माध्यम से आने जा रहा है। वह जब आ जावेगा तो मिल वालों को देकर इसमें मैदा बनवायेंगे और फिर प्रदेश में बेकरीज वगैरह को देंगे जिससे यह कठिनाई दूर हो जाय। इससे हम अगस्त महीना निकाल ले जावेंगे।

हमारी कोशिश यह है कि हम देखें कि कीमतें ओपेन मारकेट में बढ़ने न दें और इसी कारण यह किया गया है। खाद्यान्नों की कमी रही है इसको देखते हुये पूरे उत्तर प्रदेश में कीमतें अधिक न बढ़ें इस ख्याल से ऐसा किया गया है। भारत सरकार ने आवंटन के लिये हमें ३०,००० टन ही गेहू दिया है जिसको हम पहाड़ी तथा दूसरे जिले व जहां वितरण कर रहे हैं, वहां दे रहे हैं। तो अतिरिक्त १० हजार जो हैं, उससे यह मैदा बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। फिर आगे जैसे ही सहूलियत होगी, और अगर भारत सरकार से ज्यादा गेहूं ले सकते हैं, तो हमारी कोशिश इस बात की होगी कि प्रदेश अन्य जिलों और उन हिस्सों में, जहां पर बाजार में कम उपलब्धता है, वहां पर दूकानों को फिर से देने की व्यवस्था कर सकें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बाजार में पूरी उपलब्धता रहे। यही कारण है कि जिन २६ जिलों में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, फौरन ही हमने वहां पर हर प्रकार के रिस्ट्रेक्शन हटा दिये, जिससे संरचण में दिक्कत न हो और छोटी-छोटी मण्डियां जो हैं, उनमें पर चूनियों को गल्ला लाने में दिक्कत न हो और लोगों को वह आसनी से मिल सके। लेकिन फिर भी यह शासन की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रदेश के किसी कोने में अगर अब की दिक्कत है तो वहां पर फौरन ही अनाज पहुंचावें और हमारे माननीय सदस्य जो समय-समय पर इस प्रश्न को यहां पर लाते हैं तो जहां पर दिक्कत होती है, वहां पर अनाज पहुंचाने की सरकार कोशिश करती है।

श्री राम सेवक यादव—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि जो नोटीफाइड एरिया है जिनकी २० २२ हजार आबादी है, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसके बारे में मा० मंत्री जी ने क्या निर्णय लिया, खासतौर से जो स्केरसिटी एरियाज हैं, प्रदेश में, जैसे बाराबंकी में मवई परगना और रुदौली नोटीफाइड एरिया हैं दहां कि आबादी २२-२३ हजार है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमार बाजपेयी—

मान्यवर, अभी उन स्थानों पर जहां पर हमारी पूर्व व्यवस्था थी और जिन जिलों के म्युनिसपल एरियाज में हमने बन्द किया था, (करीब २४-२५ ऐसे स्थानों पर बंद कर रखा था) उन जिलों में दिक्कतों का अनुभव हो रहा है। इसके साथ अन्य हिस्सों में अगर कठिनाई आती है तो केवल नोटीफाइड की बात नहीं है, वहां पर स्थिति ऐसी है कि वहां कठिनाई है, तो वहां पर सरकार व्यवस्था कराने की बात करेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मंत्रीजी के वक्तव्य में लिखा है कि 'हमारी सरकार सदैव इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि समाज के सभी वर्गों को, विशेषतः निर्बल वर्ग को, सभी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर सुलभ हों।' तो मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि उचित मूल्य से उनका क्या तात्पर्य है और दूसरा प्रश्न यह है कि निर्बल वर्ग जो देहातों में रहते हैं और जिनके पास खेती नहीं, खुले मार्केट से वे गल्ला खरीद नहीं सकते, उनके लिये आवश्यक वस्तुयें पहुंचाने के लिये सरकार ने क्या सोच रखा है ? क्या हर गांव पंचायत के माध्यम से वे सस्ती वस्तुओं को उपलब्ध कराने के प्रश्न पर विचार करेंगीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय माधव बाबू जी ने जो प्रश्न उठाया है और जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही ठीक है, अपनी जगह पर। सरकार की पूरी कोशिश इस बात की है कि धीरे-धीरे हमारी वितरण प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेविल तक पहुंच सके। लेकिन अभी तक हम इस स्थिति में नहीं है कि हर गांव पंचायत में हम गल्ले की दूकान खोल सकें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

कितने में खोल सकी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह कहना तो इस वक्त कठिन है। लेकिन मैं यह आश्वासन सदन को देना चाहती हूं कि हमारी यह कोई सीमा नहीं रहेगी कि हम केवल शहरी क्षेत्रों तक चीजों के वितरण की व्यवस्था रखें या केवल एक क्षेत्र तक रखें। जहां कहीं भी जनता को परेशानी होगी, वहां पर व्यवस्था कराने की कोशिश कराई जायेगी। लेकिन आदर्श यह है कि हर गांव पंचायत के माध्यम से सब चीजों को वितरित किया जा सके।

दूसरी चीज, माधव बाबू ने उचित मूल्य और एसेन्शियल कमोडिटीज की बात की। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि जैसे मोटे कपड़े की व्यवस्था है या ग्रामीण अंचलों में मिट्टी तेल का सवाल है, हमने यह कहा कि भारत सरकार हमें जो तेल दे रही थी, उसकी कीमत निर्धारित है और उसी निर्धारित कीमत पर लोगों को दिया जाय। अगर निर्धारित कीमत से ज्यादा लेते हैं तो उनके खिलाफ ऐक्शन लेते हैं और कपड़े की कीमत भी उसी तरह से निर्धारित की है। हमने यह किया है कि नगर में मिट्टी का तेल ४० प्रतिशत तथा देहातों में ६० प्रतिशत दिया जाय। चीनी के लिये भी यह व्यवस्था की है कि ब्लाक स्तर पर सर्वे किया जाय उसके ठीक वितरण के लिये। आगे के लिये सूची तैयार कर देंगे ताकि ग्रामीणों को दिक्कत न हो।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

जून के महीने में नगरों में विवाह आदि के अवसर पर चीनी और वनस्पति की व्यवस्था की जाती थी वह बन्द कर दी गयी है। लेकिन जुलाई में भी कुछ समुदायों में विवाह होते हैं तो क्या सरकार उनके लिये भी चीनी तथा वनस्पति देने के लिये पुनः आदेश देने की व्यवस्था करेगी ? इसके अलावा वे वनस्पति का रेट १ रुपया प्रति किलो बढ़ जाने से बाजारों से वनस्पति गायब हो गया है और कीमत उसकी बढ़ रही है अभाव की पराकाष्ठा हो रही है और जिन मिलों से वनस्पति मिलता था वे नहीं दे रही हैं तो क्या माननीय मंत्री उनके खिलाफ कठोर कदम उठायेंगे ? इसके अलावा राशन की दूकानों पर जो चावल मिल रहा है उसको माननीय मंत्री देखने की कृपा करेंगे, उसे जानवर भी नहीं खा सकते ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

साधारणतया जून के महीने तक शादी ब्याह होते हैं इसलिये हमने भारत सरकार से शादी ब्याह में चीनी वितरित करने के लिये अतिरिक्त कोटा ले लिया था और जून तक के लिये आदेश जारी किये गये। लेकिन अग कुछ समुदायों में कुछ शादियां जुलाई आदि महीनों में होती हैं और माननीय जैसा कह रहे हैं तो इस प्रकार के आदेश दिये जा सकते हैं कि शादी ब्याह के लिये चीनी दे दी जाया करे।

श्री अध्यक्ष--

इस पर दो घंटे की बहस मांगी गयी है। आज वक्तव्य हो गया और कुछ बातें पूछली गयीं। अब दूसरा प्रश्न भी है, विधेयक भी हैं उनको पहले ले लिया जाय और इस पर बहस किसी और दिन हो जायगी।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)--

५० हजार आदमी बेकार हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिये जो वक्तव्य दिया गया है इसको आधार मान कर और उसका अध्ययन करके दो घंटे की बहस रखी गयी है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

लखनऊ में ही मैदा ५०० रुपये कुंटल पर मिल रही है।

श्री मधुकर दिघे--

बाहर के प्रदेशों में १७५ रुपये में बोरी बिक रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस समय बहस करने से क्या फायदा होगा? एक तरफ आप यह कहते हैं कि वक्तव्य समय से नहीं मिला। आपके बार बार कहने से मैंने उचित समझा कि एक वक्तव्य माननीय मंत्री जी की तरफ से दे दिया जाय और दो घंटे की बहस इस पर पहले ही स्वीकृत हो चुकी है।

अभी प्रारम्भिक चरण में बयान हो गया है इसलिये हम आगे चलते हैं... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

आप बहस तत्काल करा दीजिये...

(सदन में घोर व्यवधान हो गया और विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप चाहते हैं कि बहस तत्काल हो.....क्या आप यह चाहते है कि इस प्रश्न पर २/४ सवाल करके इसे समाप्त किया जाय?

एक सदस्य--

बहस चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष---

तो बहस के लिये यह मंजूर हो गया है ।

(मुख्य मंत्री को पुकारने पर श्रम-मंत्री व्यवधान के मध्य वक्तव्य पढ़ते रहे)

जिला मैनपुरी के ग्राम बदनपुर करखा, थाना शिकोहाबाद में श्री श्याम सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल के परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम, मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

दिनांक २० जुलाई, १९७४ को प्रातः ७ बजे वादी श्याम सिंह पुत्र श्री रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम बदनपुर करखा थाना शिकोहाबाद जिला मैनपुरी ने थाना शिकोहाबाद पर लिखित सूचना दी कि १९/२० जुलाई, १९७४ की दरमियानी रात में उसके पिता रामेश्वर दयाल घर के दरवाजे के पास की बैठक में सो रहे थे तथा उसका छोटा भाई इनाम सिंह घर के अन्दर बरामदे में सो रहा था । उसका चचा जात बाबा भीकम सिंह अपने मकान के पास झोपड़ी में सो रहा था । दूसरा चचा जात बाबा छबिराय व खानदानी नाथूराम अपने घर के दरवाजे पर छप्पर में सो रहे थे । लगभग ११ बजे रात में आठ नामांकित अभियुक्त उसके मकान पर राइफलें व बन्दूकें लेकर आये और वादी के पिता रामेश्वर दयाल, वादी के भाई इनाम सिंह, भीकम सिंह, नाथूराम व छबिराम को गोली से मार दिया ।

वादी दूसरा प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अभियुक्तगण वादी व उसके खानदान से रंजिश मानते थे तथा इसी कारण सबने मशविरा व राय करके उपरोक्त हत्या की ।

उक्त सूचना पर थाना शिकोहाबाद से धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना आरम्भ की गयी । थाना-ध्यक्ष मय आवश्यक फोर्स के तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे तथा दिनांक २० जुलाई, १९७४ को ही पुलिस अधीक्षक तथा वृत्ताधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । घटनास्थल पर खाली तथा भरे हुये कारतूस प्राप्त हुये जिन्हें पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया तथा मृतकों की लाशों का पंचायत नामा बनाकर उसी दिन पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । अभियुक्तों को बन्दी बनाये जाने का अथक प्रयास किया जा रहा है ।

दिनांक २० जुलाई, १९७४ से ही पी०ए०सी० तथा थाने की फोर्स बराबर ग्राम बदनपुर में लगी हुई है । आसपास के ग्रामों में भी पी०ए०सी० तथा सशस्त्र पुलिस की पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है । ग्राम जनता में पुलिस की व्यवस्था के प्रति पूर्ण संतोष है । यह सत्य नहीं है कि उक्त घटना से सारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो गया है या जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है ।

प्रदेश की वर्तमान खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

आज प्रदेश में भुखमरी फैली हुई है और मुख्य मंत्री जी ने जो बयान सदन में दिया है. . .

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलते रहे और कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष---

(क्रुद्ध स्वर में) क्या आप चाहते है कि दो घंटे की बहस खतम कर दी जाय. . .ऐसे सदन नहीं चल सकता है ।

एक सदस्य—

नहीं चल सकता...

श्री अध्यक्ष—

इस तरह से नहीं चलता तो आप बैठें... (व्यवधान)...अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं दो घंटे की बहस निरस्त कर दूंगा...

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप सुनने की कोशिश करें...

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दो घंटे की बहस आपने किस दिन के लिये नियत की है ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी इच्छानुसार ही दो घंटे की बहस का निश्चय हुआ । कब होगी, यह अभी नहीं बता सकता । सभी दलों के नेताओं से बात करके सोचना पड़ेगा । अगर कल ही के लिये रख दी जाय तो वह नहीं हो सकता क्यों कि कल सब लोग चला-चली में रहेगें । फिर ६ या ७ अगस्त, को दो घंटे की चर्चा होगी । उनकी इच्छा थी कि बहस हो, इसलिये मैंने समय दिया अब इस पर फिर आप बहस कर सकेंगे ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

आपने जो समय दिया है, वह ठीक है, किन्तु मुझे एक बात यह कहना है...

*श्री भीखा लाल जिला (उन्नाव)—

मेरा निवेदन यह है कि खाद्य स्थिति पर २ घंटे की बहस की आपने इजाजत दी है, वह ठीक है और होगी । लेकिन आज जो वक्तव्य आया, उस पर मालूम हुआ कि मंत्री जी कि इच्छा थी कि पहले ही वक्तव्य दे दिया जाय, वह आज दिया गया और आपके आदेश से मालूम हुआ कि इसको आधार बनाकर २ घंटे की बहस होगी । तो यदि आप पहले ही कह देते कि आज के वक्तव्य को आधार बनाकर इस पर फिर बहस होगी और आज प्रश्नों के लिये समय नहीं दिया जायगा, तो ठीक रहता । लेकिन आपने पहले तो कुछ लोगों को इस प्रश्न पर प्रश्न करने की आज्ञा दे दी, जब और लोगों ने इधर से इजाजत प्रश्न करने की मांगी तो आपने उसको समय न देकर कहा कि अब इस पर प्रश्न नहीं होंगे । तो आपको पहले ही कह देना चाहिये था और किसी को प्रश्न नहीं करने देना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर केवल वक्तव्य नहीं है । मैंने दो-तीन को समय दिया है, उसके दायरे को विस्तृत जो करना चाहते हैं—मैदे का सवाल, सीमेंट का सवाल, चीनी और तेल का सवाल जो है उसको लेकर, इसीलिये मैंने अवसर दिया कि इन पर माननीय मंत्री जी तैयार रहे ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

वक्तव्य हो गया, ५ दिन की छुट्टी होगी, ७ तारीख को फिर असेम्बली बैठेगी । किन्तु इसके पहले ही कुछ तत्कालिक चीजें हैं । इस वक्तव्य से सम्बन्धित ३४ आटा मिलें बन्द हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गई है, और उनके कर्मचारी परसों से विधान-भवन के सामने उपवास कर रहे है । आप इस पर वक्तव्य....

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री त्रिवेणी सहाय--

मैं चाहता हूं कि उठने से पहले माननीय मंत्री जी से यह कहला दें कि...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष--

आपने जो दिया है, उसको देखा जायगा । नियम ५२ या ५६ जिसमें हो सकेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, खाद्य-स्थिति के बारे में कल ही वक्तव्य दिला दीजिये । मंत्री जी तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कल रख दिया जायगा तो दों बजे के बाद बहुत से लोग कल शाम का नाश्ता घर पर करेंगे कल कोरम ही नहीं हो पायेगा, बहस कैसे चल पायेगी, ४ बजे के बाद यदि रखा जायगा ।

श्री मधुकर दिघे--

आज रात के लिये ही रख लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री शिवसम्पत्ति राम (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, मैंने जो इतने महत्व के विषय पर जिसमें हमारे यहां लोग भूखों मर रहे हैं, लिखकर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । घर जाने पर लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब उसका दूंगा । हम तो केवल आपसे मोटा गल्ला मांगते हैं, वही मिल जाए ।

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमान् जी, मैं और चीनी की बड़ी किल्लत है, सरकार रजवीं शरीफ और सनीनों के लिए मैदा दिलाने की विशेष व्यवस्था करने की कोशिश करे ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, आप नियम ५१ का (३) देखें--"ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिये प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे ।"

श्री अध्यक्ष--

यह नियम ५२ के अन्तर्गत है ।

श्री शफीकुर्रहमान--

अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि रजबी शरीफ और सलोनों के लिए मैदा, चीनी, घी की जरूरत है उसके लिए क्या इन्तजाम किया है ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी तो को....

श्री शफीकुल रहमान बर्क—

आपकी मार्फत से मैं अध्यक्ष महोदय, जानना चाहता हूं, इसका जवाब दिलवा दीजिय। सलीनों और रजबी शरीफ है। उसके लिये घी, मैदा, चीनी की जरूरत है। मन्त्री जी इस सिलसिले में बतला दें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज जो नियम ५६ की ६ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक है माननीय मोतीलाल देहलवी। यह जीवनोपयोगी अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत से उत्पन्न संकट से सम्बन्धित है। यह ५२ में जो विषय स्वीकार हुआ है माननीय मोतीलाल का नाम उसमें जोड़ दिया जायगा। यह पूर्व स्वीकृत है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

महंगाई पर दो घंटे.....

श्री अध्यक्ष—

आप का विषय ग्राह्य है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

हमको बोलने की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर तो नहीं। यह जो प्रश्न है, जीवनोपयोगी अनिवार्य वस्तुओं की बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न संकट, यही जो आपने दिया है, यह विषय पहले से स्वीकार किया गया है। आपका भी नाम जोड़ दिया जायगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मुझे आप बोलने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं। जो चीज स्वीकार होती है उसमें हठ करने की क्या बात है। और भी काम है।

माननीय जगन्नाथ सिंह परमार, माननीय लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, माननीय चन्द्रभान आजाद माननीय जमुना प्रसाद बोस का है सफाई मजदूरों का, जिसमें हमने पहले स्वीकार किया था। इस पर प्रश्न कर सकते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा और माननीय शिव कैलाश का पुलिस वालों का बिजनौर ग्राम का है। यह भी प्रश्न का विषय है। ५६ का विषय नहीं है। लखनऊ पुलिस लाइन के सशस्त्र सिपाहियों द्वारा ग्राम बिजनौर थाना कृष्णानगर जिला लखनऊ में कृष्णानगर थाने के गस्ती सिपाही श्री सहदेव प्रसाद और चौकीदार मन्ना को गोली मार कर हत्या कर दी गयी।"अल्पसूचित प्रश्न करें आप।

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय त्रिवेणी सहाय का है—मैदा क अभाव से उत्पन्न संकट।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

एक तरफ यह सशस्त्र पुलिस.....

श्री अध्यक्ष—

५६ का विषय कैसे होगा ? अल्पसूचित प्रश्न करें या ५१ में दें ।

श्री रामसेवक यादव—

इसमें एक अंग के दो हिस्से हैं । एक सशस्त्र पुलिस है और दूसरी सिविल पुलिस है, दोनों को लेकर कशमकश है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने जो प्रश्न दिया है वह बड़े महत्व का प्रश्न है । रोज-रोज उसकी अख्बार में चर्चा होती है । ७० हजार आदमी बेकार हो गये हैं । बेकरीज और मिल्स बन्द हैं । यह अत्यन्त आवश्यक है इसको स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष—

जो खाद्य पर बहस है उसी में शामिल कर देते हैं । मन्त्री जी, इसके बारे में ध्यान आकृष्ट करें, उस पर भी बयान दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

इसके बारे में ७० हजार आदमी बेकार बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं काउंसिल हाउस के सामने । यह बड़े महत्व का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने खुद भेज दिया है माननीय मन्त्री को । वह कहना चाहें तो हमें क्या ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, आप मुझ से क्यों नाराज हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप अपने से नाराज हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

आप हमारी सुन तो लें । यह दाम नीति का है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आपको पढ़ने दिया जाय तो उनको क्यों नहीं पढ़ने दिया जाय ? मैं इजाजत नहीं देता हूं । आप न बोलें तो अच्छा है । आपको नहीं बोलना चाहिये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, बजट के बाद से ही दाम बढ़ने शुरू हो गये हैं । (व्यवधान तथा शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय भगवत दयाल जी का है कि चिरगांव, जिला झांसी की राशन की दुकान से काले रंग की चीनी वितरित करने के सम्बन्ध में है । इसको कार्यवाही के लिये मंत्री जी के पास भेज रहा हूं . . . (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय सत्यप्रकाश जी मालवीय का है (व्यवधान) ।

(श्री मोतीलाल देहलवी के बराबर बोलते रहने पर, जो सदन में शोर के कारण सुनाई नहीं पड़ रहा था) ।

श्री अध्यक्ष---

आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं । जब आपका नाम जोड़ दिया जायगा तब भी आप कह रहे हैं । इसलिये मैं कह दूंगा कि आपके बारे में कोई चीज नहीं लिखी जायेगी जितना आपने कहा है वह कुछ नहीं लिखा जायेगा । इस तरह से आप कहेंगे तो मैं अमान्य करूंगा । इस तरह से आप बार-बार कहते हैं । मैं आप से कहूंगा कि आपको भर्त्सना देनी पड़ेगी । मैं आपके दल के नेता से कहुंगा कि वह आपके अशोभनीय कार्य पर इस तरह के व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

आप इसको पढ़ने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको स्वीकार करता हूं । आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मैं बोलूंगा, चाहे आप गोली चलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

हम गोली नहीं चलाते हैं । आप आक्षेप करते हैं । यह रुचि का परिचायक नहीं है । मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा । (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी---

आप हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं । (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको दिन भर के लिये निकालता हूं । आप निकल जाइये ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

मैं नहीं जाऊंगा ...(व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको डेढ़ बजे तक का टाइम देता हूं । इसके बाद मैं अन्यथा कार्यवाही करूंगा ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

हमारे प्रश्न का क्या हुआ ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट चाहती हूं । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि जहां तक बेकरों का सवाल है जिनकी वजह से मजदूर बेकार हो रहे हैं, आपकी इस चिन्ता के साथ अपने को सम्बद्ध करते हुये यह कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो सके । यह जो छोटे-छोटे बेकरों का सवाल है...

श्री अध्यक्ष---

(श्री मोतीलाल देहलवी के खड़े होने पर) मोतीलाल देहलवी को निकाला है । इनका कुछ नहीं लिखा जायेगा । अगर डेढ़ बजे तक नहीं निकलते हैं तो कार्यवाही करूंगा ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं प्रस्ताव करती हूं कि एक दिन के लिये माननीय सदस्य श्री मोतीलाल देहलवी...

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं । एक दिन के लिये मैं स्वयं निकाल सकता हूं । एक दिन के लिये किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम सेवक यादव—

मेरा विनम्र निवेदन यह था कि...

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह अध्यक्ष की सीमा में है ।

श्री राम सेवक यादव—

अभी माननीय नेता जनसंघ, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि अगर खाद्य मंत्री जी कुछ कह देंगी तो शायद यह मामला हल हो जायेगा । श्री मोतीलाल देहलवी दामों के बारे में प्रश्न उठा रहे थे कि उनको आगे बढ़ने न दिया जाये । उस पर वह कुछ कह देतीं तो खतम हो जाता । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप खतम कर दें और सारा मामला यहीं पर खतम हो जाये ।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, कई बार इस तरह की दुर्व्यवस्था श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा हो चुकी है । आपने इसको अनेक बार माफ किया है । अगर सदन में यही परम्परा रही तो सदन का कार्य किस तरह से होगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ)—

यह हमारा लखनऊ शहर है हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं । इस प्रकार की भाषा के आदी नहीं हैं । यह जरूर है कि लोगों को भाषा की स्वतन्त्रा है । मान्यवर भाषा तो कुत्ते की होती है और बिल्ली की होती है । तो मेरा अनुरोध है कि सुन्दर भाषा का प्रयोग होना चाहिये और हमको सदन का आदर करना चाहिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभी माननीय खाद्य मंत्री जी कुछ कह रहीं थीं कह नहीं पायीं ।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

आप ऐसा आचरण करते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने दल के लोगों से कहें कि आप हृदय से बोल रहे थे...

श्री राम सेवक यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय से मैंने अनुरोध किया और नहीं मानते हैं तो उनका निर्णय शिरोधार्य है और मैं आप से कहना चाहता हूं आग में घी डालने का काम न किया करें ।

मैदा की कमी से आटा मिल मजदूरों तथा बेकारी कर्मचारियों की समस्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मुझे अफसोस है कि सदन में इस तरह का वातावरण पैदा हुआ इसलिये आपसे यह कहना पड़ा, लेकिन माननीय उपनेता विरोधीदल ने जो सदन को आश्वासन दिया है उस पर विचार कर सकते हैं । जहां तक मेरा सवाल है, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि कीमत न बढ़न पाये इसीलिये हम यह व्यवस्था कर रही हैं जो हरियाणा और पंजाब से गेंहूं

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

आयेगा उसको एक निश्चित कीमत पर मिल मालिकों से बातचीत करके तब बाजार में बिक्री के लिये आयेगा । उनको मनमानी कीमतें बढ़ाने नहीं दिया जायगा ।

इसके पहले भी जब सरकार निश्चित कीमत पर उन्हें गेहूं देती थी तो मैदा की कीमत को हम निर्धारित करते थे । इधर हमने उनको मैदा दिया नहीं और इसलिये हमने उनके ऊपर कीमत निर्धारित नहीं की थी । जब हम अपनी तरफ से गेंहूं उन्हें देंगे तो वह निर्धारित करेंगे, साथ-साथ मजदूरों को इस तरह काम मिलेगा, क्योंकि मैदा उन्हें दिया जा सके तभी तो वह काम करेंगे । तो मैदा जल्दी से जल्दी मिले, तो इसीलिये मैंने प्रतिबन्ध लगाया है ।

मैं परसों दिल्ली जा रही हूं हमारे यहां की जो बेकरीज हैं, मैं खुद ऐसे शहर से आती हूं जहां से सेवइयां आती हैं, काफी बडी मात्रा में बेकरीज भी वहां पर बेकार हैं । लखनऊ के लोग भी हमसे कल मिले थे । जब इनके प्रतिनिधि मुझसे मिले, जब हमने उनसे पूरी स्थिति बताई तो मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहती हूं कि हमारी जो नियत है उस पर आप शक न करें । हम पूरी कोशिश कर रही हैं कि हमारे मजदूर बेकार न हों, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको डबल रोटी भी जल्दी से जल्दी खाने को मिल सके ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अब तो संतोष है मान्यवर, कि डबल रोटी जल्दी से जल्दी खाने को मिल सकेगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें—क्रमागत

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मोतीलाल देहलवी के व्यवहार से जो कष्ट हुआ है उसके प्रति मुझे अफसोस है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

[×××]

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा । मैंने माननीय सदस्य को दिन भर के लिये निकाला है । उसको अगर वह नहीं मानेंगे, तो डेढ़ बजे उनके खिलाफ दूसरी कार्यवाही होगी, उसको भी अगर वह नहीं मानेंगे तो तीसरी कार्यवाही होगी और उसको भी अगर नहीं मानेंगे तो चौथी कार्यवाही होगी ।

श्री वेद प्रकाश अग्रवाल (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, भूख हड़ताल यहां जो सदन के सामने बैठे हैं, कर रहे हैं, उस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, जो माननीया मंत्री जी ने कहा, मुझे बड़ा संतोष है ।

[×××] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न माननीय सत्यप्रकाश मालवीय, माननीय अठईराम, माननीय रेवती रमण सिंह, ने इलाहाबाद के महालेखाकार कार्यालय में पुलिस तथा पी०ए०सी० के तैनाती के सम्बन्ध में दिया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, इलाहाबाद के प्रादेशिक महालेखाकार कार्यालय में पुलिस तथा पी०ए०सी० बैठाल दी गई है, वहां पर लोगों को बड़ी असुविधा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न करें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, उसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें, वहां पर पुलिस, पी०ए०सी० जाकर बैठ जाती है ।

श्री अठईराम यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, पुलिस और पी०ए०सी० को तो वहां से कम से कम हटवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय अठईराम, माननीय रेवती रमण सिंह के प्रश्न को, जोकि उन्होंने इलाहाबाद के प्रादेशिक महालेखाकार कार्यालय में पुलिस तथा पी०ए०सी० के तैनाती से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कर्मचारियों में व्याप्त रोष, के सम्बन्ध में है, उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह बहुत अहम विषय है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप अल्प सूचित प्रश्न करें क्योंकि प्रवृत्ति यह है कि सब कार्य-स्थगन में दे देते हैं वह चाहे नियम के हिसाब से हो या न हो । आप अल्पसूचित प्रश्न करके पूछ सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, ए०जी० आफिस के अन्दर जितने अधिकारी हैं, उनको पुलिस की ड्यूटी लगा देने से बड़ी ही कठिनाई हो गई है मान्यवर, ए०जी० के कार्यालय, इलाहाबाद में, पुलिस बैठा दी गयी है, वहां के कर्मचारी अन्दर नहीं जा पाते हैं । चूंकि पुलिस का प्रदेशीय प्रशासन से सम्बन्ध है, अतः इसे आप वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

इसे आप नियम ५१ में दे दें ;

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नियम ५१ में तो मैं इसे कल ही दे दूंगा इसलिये इसे आप वक्तव्य के लिये स्वीकृत कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न के लिये तो मैं इसे अभी स्वीकृत कर सकता हूं लेकिन वक्तव्य के लिये आप इसे कल दें दें । अब अस्वीकार करता हूं ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, कार्य सूची के आइटम १५ पर जो वक्तव्य होने वाला था उसे नहीं लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष---

वह पढ़ा जा चुका है, आपने सुना नहीं है । अब १५ वाला कल होगा ।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश एवं कुछ अन्य सदस्य माननीय श्री मोतीलाल देहलवी को बाहर ले गये) ।

श्री राम सेवक यादव---

क्या माननीय काशी नाथ जी का जो प्रश्न है वह चौधरी राम पाल सिंह यादव जी से सम्बन्धित है ?

श्री अध्यक्ष---

आज इसको भी लेने का समय नहीं है । आज तो नहीं कल उठाइये ?

श्री राम सेवक यादव---

वह आप आज ले या न लें लेकिन माननीय मिश्रा जी से ही एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने इस प्रश्न को उठाया है । उनके मन में तुलसीदास जी के प्रति सम्मान है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

यह तो दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष---

यह मानें या न मानें...

श्री राम सेवक यादव---

श्रीमन्, जहां तक किताब फाड़ने का प्रश्न है उसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा । उस समय जो पीठासीन अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि यह अशोभनीय है लेकिन जहां तक इस सवाल को आप उठा रहे हैं, ऊंचे स्तर से, उसके प्रति सम्मान से प्रेरित होकर अगर आप इसको चलने देंगे तो इधर से और उधर से बहस होगी, तो मेरा अनुरोध है कि इसे आप सदन में विक्षिप्त वातावरण न बनने दें । तो मैं माननीय काशी नाथ मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसको यहां पर न उठायें क्योंकि इस पर निर्णय तो हो ही चुका है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४†

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जाफ्ता फौजदारी में कुछ संशोधन इसके माध्यम से किये गये हैं । इसका अभिप्राय यह था कि १ अप्रैल, १९७४ जब से नयी प्रक्रिया आरम्भ हुई उसकी वजह से हमारे सामने कुछ व्यवहारिक कठिनाई आयी । उनको दूर करने के लिये और कुछ सैक्शन २०६

---

†४ जुलाई, १९७४ की कार्यवाही में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिसकी परिधि में छोटे-छोटे जुर्म आते है, इसमें कर दिया गया है कि अब हमारे जो बहुत से मुल्जिमान होते है, उनको रजिस्टर्ड नोटिस दिया जायगा और जुर्मों के बारे में उनसे पूछेंगे और फिर अगर वे तस्लीम कर लेगा तो विचार करेंगे ।

दूसरा संशोधन सैक्शन २ की वजह से किया है । पहले जो अधिकार शासन को था पुलिस थाने को डिक्लेयर करने का, वह आई०जी० पुलिस को दे दिया है । इसी प्रकार से पुलिस स्टेशनों की जो लिमिटेशन का सवाल था वह हटाकर आई०जी० को दे दिया है । वे एक जिले और कई जिलों को इसमें बना सकते हैं । इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बिजली सामान चुराने के केसेज कई जोन्स में पड़ते थे । इससे पुलिस स्टेशन अब कई जिलों की सीमा पर हो जायेंगे तब हम इस प्रकार के कार्यों को रोक सकेंगे ।...

जहां तक कि शिनाख्त प्रोसीडिंग्स का संबंध है, डाइंग डिक्लेरेशन और वेरिफाइंग ऐप्लीकेशंस का संबंध है, तो एग्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को यह कार्य दे दिया है। इसकी वजह से बड़ी बड़ी दिक्कतें हो गयीं और बड़ी उलझनें बन रही थीं । अब इसको मुंसिफ मैजिस्ट्रेट या डिप्टी मैजिस्ट्रेट करेंगे । इसके माध्यम से असमानता को दूर कर दिया गया है। दूसरी ओर जो मेट्रोपोलिटन टाउन्स ५ लाख की आबादी के अबतक थे, उनको १० लाख कर दिया कि १० लाख से ऊपर आबादी वाले होंगे । अब उनके स्पेशल मैजिस्ट्रेट्स भी होंगे ।

सेक्शन १३ के माध्यम से जो जुडीशल मैजिस्ट्रेट हैं हम उनको फर्स्ट क्लास पावर्स भी दे सकेंगे, सेकेंड क्लास वालों को और कई जिलों के एरिया को जो हम डिलिमिट करेंगे, उस कार्य को देखेंगे ।

इसी तरीके से स्पेशल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट होंगे, उनको पावर भी फर्स्ट क्लास करने का सरकार को अधिकार होगा।

सेक्शन २० के माध्यम से जिलाधिकारी को अधिकार होगा कि जिस किसी एग्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को चाहे सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट बना सके । धारा २४ के माध्यम से हमने पहले ऐडवोकेट्स को रखा था, अब हमने उसमें "प्लीडर" कर दिया जो कि ७ साल की स्टैंडिंग का होगा पब्लिक प्रासीक्यूटर के लिये । स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर १० वर्ष के ऐडवोकेट के लिये था, उसमें "प्लीडर" शब्द भी जोड़ दिया । इसी तरीके से जो कहीं पब्लिक प्रासीक्यूटर या ऐडीशनल पब्लिक प्रासीक्यूटर नहीं है तो डी० एम० को अधिकार दे दिया कि ७ वर्ष की स्टैंडिंग के किसी ऐडवोकेट या प्लीडर को अप्वाइंट कर सकता है ।

सेक्शन २५ के जरिये सेशंस कोर्ट का पब्लिक प्रासीक्यूटर जिला कोर्ट के मुकदमों को करने के लिये जिला कोर्ट में भी भेजे जा सकते हैं।

सेक्शन १०७ में पहले यह था कि श्योरिटी या श्योरिटीज को फरनिश करना जरूरी है अपने बांड के साथ, अब उसको निकाल दिया गया है। नये सेक्शन १९९-ए के अनुसार यह प्रोसीजर उन लोगों के लिये था जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्वाइंटेड हों, लेकिन जो डपुटेशन पर अधिकारी थे उनके लिये नहीं था । इसके माध्यम से उनको भी छोड़ दिया इसमें डिफेमेशन केसेज आते हैं हाई डिग्नीटरीज के और पब्लिक सर्वेंट्स के संबंध में ।

सेक्शन २०६ के जरिये छोटे-छोटे जुरमों को इस परिधि में ला दिया है। जहां पहले १०० रुपया जुर्माना था वहां ५०० फाइन कर दिया । पहले १०० रुपये तक के मामले इसमें आते थे, अब छोटे छोटे जुर्मों को भी जोड़ दिया जो परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

एक सेक्शन २७६ में यह कर दिया कि एवीडेंस कैसे लेंगे । वह बजाय क्वेश्चन और आन्सर के रूप में लेने के नैरेटिव फार्म में लेंगे ।

[श्री राज मंगल पाण्डे]

सेक्शन ४३२ में, यह था अधिकार गवर्नमेंट को पहले कि जिस सेंटेंस को चाहे सस्पेन्ड कर दे या रेमिट कर दें । इसमें अब मुजरिम से गवर्नमेंट को बांड्स के बारे में यह अधिकार हो जायगा कि उस बांड को फोरफीट कर सकती है।

सेक्शन ४४६ बनाया जो कि कांसीक्वेंश्यल संशोधन है सेक्शन ४३२ का । इसके मातलत हमारे कोर्ट बांड्स को ठीक करेंगे । उनको जब चाहें रेमिट को दें या सस्पेंड कर दें यह अधिकार अब उनको होगा।

सेक्शन ४८४ में यह है कि जिस मामले में संदेह होंगे १-४-७४ के पहले के केसेज में वह जहां भी हमारे एग्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास होंगे वह फिर उन्हीं के पास वापस कर दिये जायेंगे ताकि ऐसी अनोमाली न हो सके और वह ट्रांस्फर होकर जो १-४-७४ के बाद वाले सेकेज है वह मुंसिफ के पास ले आयेंगे । इस प्रक्रिया को अब सीधा किया गया है।

हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी गरीब लोगों की कि उनको न्याय आसानी से मिल सके । इसी के वास्ते यह कदम उठाये गये। हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की छोटी-मोटी दफाओं में जहां २०-२०, २५-२५ और ३०-३० पेशियां पड़ने से मुल्जिम परेशान होता था अब यह कर दिया है कि एक रजिस्टर्ड समन्स के माध्यम से ५०० रुपये तक का जुर्माना कर सकते हैं और उसको आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी । हमने सदन की इच्छा का पालन करते हुए संशोधन किये हैं । इनको मानने में किसी को कोई आब्जेक्शन नहीं होना चाहिये।

श्री मोती लाल देहलवी के सदन निष्कासन की समाप्ति

श्री अध्यक्ष—

अभी जो मैंने माननीय मोतीलाल जी को दिन भर के लिये निकाला वह चले गये और माननीय भारतीय क्रांति दल के नेता निवेदन किया था तो ७ मिनट हो गये, अब मैं उस आदेश को निरस्त करता हूं, वह आ कर बैठ सकते हैं ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

(क्रमागत)

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर दे दें ।

(इस समय १ बजकर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए)

इस देश में बहुत से ऐसे ऐक्ट हैं जो अंग्रेजों ने बनाये थे और और जिनको बने बहुत काफी समय व्यतीत हो चुका । तब की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत सी भिन्नतायें हो चुकी है । आवश्यकता इस बात की है कि जिन पुराने ऐक्टों को अंग्रेजों ने आज से सौ, डेढ़ सौ साल पहले बनाया था उनमें आज की परिस्थितियों को देखते हुए परिवर्तन किया जाय । काफी दिनों बाद सी-आर० पी०सी० में परिवर्तन करने का निर्णय पार्लियामेंट ने लिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोगों को इससे खुशी हुई कि बदली हुई परिस्थितियों में कुछ अच्छे चेंजेज किये जायेंगे खासतौर से कुछ ऐसे सेक्शन्स हैं जैसे ११०, १०९, १०७, १५१, १४५, १४४ जिनके बारे में हमेशा संसद् और विधान सभाओं में माननीय सदस्यों के माध्यम से आब्जेक्शन्स होते रहे और यह मांग करते रहे कि इन धाराओं में आमूल परिवर्तन होना चाहिये ताकि राज्य की पुलिस को इन धाराओं के तहत निर्दोष लोगों को फंसाने की हिम्मत न पड़ सके । आज अगर कोई झगड़ा होता है या झगड़ा नहीं भी होता है और एक पार्टी जा कर थाने में रिपोर्ट लिखा आती है कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने हमें परेशान कर रखा है । फिर दूसरी पार्टी पहुंच जाती है । वह भी रिपोर्ट लिखाती है कि अमुक अमक व्यक्तियों ने हमें मारापीटा है । तो पुलिस उस बात का निर्णय न दे कर यह तय कर लेती है कि हमें १५१ में दोनों पार्टियों को बन्द कर देना है और बन्द कर देती है । १५१ की जमानत थाने में नहीं हो सकती । उसकी जमानत मैजिस्ट्रेट के सामने ही हो सकती है । तो इसमें परिवर्तन होना चाहिये ।

आज जो संशोधन रखा गया है उसमें फिर से वही बात है । धारा १०७ जैसी पहले थी वही आज भी रख दी गयी, कोई परिवर्तन नहीं । हम प्रवर समिति का प्रस्ताव इसीलिये दे रहे हैं कि इन धाराओं पर जिनके तहत पुलिस लोगों को बेजा तरीके से बन्द करती है कोई विचार होना चाहिये । संशोधन विधेयक का खंड २ पुलिस स्टेशन्स की डेफिनीशन से संबंधित है । इसके क्लाज (क) में तो आपने महा निरीक्षक को भी पावर दिया है कि किस स्थान के संबंध में कौन सा पुलिस स्टेशन लगेगा यह वह तय कर सकता है । क्या आवश्यकता थी उसकी ? जहां राज्य सरकार से उसका सीधा संबंध था वहां तो आप अधिकार ले सकते थे, लेकिन जहां पुलिस से संबंधित मामला था उसके लिये आई०जी० को अधिकार देना चाहिये था कहां चौकियां खोलना चाहिये, कहां थाने खोलना चाहिये, इसका अधिकार आई०जी० पुलिस को ही होना चाहिये । हमारे गोंडा जिले में अपराधों की संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है । हमारे यहां जब डी०आई०जी० दौरा करने गये थे, हमने कुछ चौकियां स्थापित करने के लिये कहा था । मगर वह खुलें कैसे ? राज्य सरकार जब कहेगी तभी खुलेंगे । देखा तो यहां तक गया है कि थाने खोलने के आदेश हो गये हैं, लेकिन वे बने अभी तक नहीं हैं । मेरा निवेदन है कि यह काम पुलिस के स्वविवेक पर ही छोड़ना चाहिये । बिजली की जो चोरियां आदि होती है, या अन्य मामले हैं, जिनके लिये आप कोई संगठन खड़ा करना चाहते हैं, या उनके लिये कुछ उपाय सोचते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह अधिकार आप अपने पास रखें ।

जहां तक तीसरे क्लाज के अन्दर जो चीज आपने की है वह ठीक है । लेकिन जो (ख) है जिसमें आपने कहा है "जो प्रसशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हों, जैसे कि अनुज्ञप्ति देना व्यक्ति या सम्पत्ति की परख शनाख्त कार्यवाहियों का संचालन करना, आदि आदि व यथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे ।" इसमें एक जगह आपत्ति है । अगर कोई ऐसा मुकदमा कायम हो जाय जो गलत हो, तो वह राज्य सरकार की अनुमति से ही वापस होना चाहिये । हमने देखा है कि जहां १०७ का मुकदमा दायर हो जाता है, ४–६ महीन चलता है, शांति कायम हो जाती है, फिर जोर दबाव पड़ता है, वह वापस ले लिया जाता है । नीचे के अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते है । एसे ऐसे मुकदमें होते हैं जो किसी कीमत पर वापस नहीं होना चाहिये, वापस हो जाते हैं ।

एक बात धारा ८ में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में कहना चाहता हूं । संसद् ने १० लाख से ऊपर की जन संख्या वाले शहरों को मैट्रोपोलिटन क्षेत्र करने की स्वीकृति दी है। अब इस उत्तर प्रदेश में १० लाख से ऊपर जनसंख्या वाला शहर केवल एक कानपुर की है । इसलिये आप इसको लाये हैं कि ५ लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनको मेट्रोपोलिटन शहर घोषित करने की बात कही ताकि उत्तर प्रदेश की जो ५ नगरियां

[श्री त्रिवेणी सहाय]

हैं उनमें भी यह लागू हो जाय । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति यह है कि जहां १० लाख की जनसंख्या वाले शहर की बात आपने सोची तो आपको यह भी सोचना चाहिये था कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनकी आबादी ५ लाख के करीब है उनके लिये भी आप इसको लागू कर देते तो अच्छा होता। जैसे फैजाबाद है जिसकी आबादी ५ लाख के करीब है, ५ लाख से ज्यादा नहीं हो पायी है । तो इस शहरों में भी इसको लागू करने पर विचार होना चाहिये था । इसीलिये मैं कहता हूं कि प्रवर समिति में यह जायेगा तो वहां पर इस पर विचार किया जायेगा और विचार करके फिर वहां इसको लागू किया जायेगा।

एक चीज अपनी जगह ठीक है कि जहां आबादी ज्यादा क न हो जाय, वहां पर जो मुकदमें चल रहे हों, वे मुकदमें इस प्रकार के माने जायं कि किसी न्यायालय या मैजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व लम्बित कोई जांच विचारण या अपील के संबंध में इस संहिता के अधीन इस प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी मानों ऐसी समाप्ति न हुई हो ।

धारा १३ में जो संशोधन किया गया है उसमें स्पेशल मैजिस्ट्रेट के अप्वायंटमेंट की बात भी है । और उनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है । इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । "उच्च न्यायालय, यदि केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिये अनुरोध किया जाय, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जो मेट्रोपोलियन क्षेत्र न हो विशिष्ट मामलों के, या मामलों के विशिष्ट वर्गों के या साधारणतः मामलों के बारे में वे सभी शक्तियां या उनमें से कोई जो इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रथम या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मैजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदेय है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा जो सरकार के अधीन कोई पद धारण किये हैं या धारण कर चुका है परन्तु ऐसी कोई शक्ति किसी को तब तक प्रदत्त न की जायेगी जब तक कि विधिक कार्यकलाओं के संबंध में वह ऐसी अर्हता या ऐसा अनुभव न रखता हो जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करें।"

इसका स्पष्ट मतलब यह है कि जिसने इस काम को किया हो, और सरकार की सर्विस से रिटायर हो गया हो, उनको इस प्रकार का अवसर दिया जा सकेगा। वे भी स्पेशल मैजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त हो सकेंगे और उनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का पावर दे दिया गया है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आपत्ति केवल यह है कि कल को इसका दुरुपयोग न किया जाय । जो न्याय विभाग में काम कर चुके हों और इसका अनुभव रखते हों उनको रखा जाय तो ठीक है इससे डेवलपमेंट ही होगा और न्यायपालिका को अच्छा सहारा मिलेगा।

पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में जो संशोधन किया गया है उस संबंध में अभी मुझे कुछ नहीं कहना है । धारा १०७ में जो संशोधन किया गया है उस पर मुझे आपत्ति है । आप देखें कि आज भी १०७ के मुकदमें जो चलते हैं उसमें दोनों पार्टी के लोग परेशान होते है । जहां पर मैजिस्ट्रेट इस बात की आवश्यकता समझेगा कि यहां शांति भंग होने की संभावना है या यहां अशांति हो सकती है तो वह झट पुलिस की रिपोर्ट के खिलाफ १०७ की कार्यवाही कर देगा। आज तो हालत यह है कि पुलिस को रिपोर्ट बनाकर भेजना पड़ता है और वहां कोतवाल या दारोगा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाकर प्रार्थना करता है कि १०७ चला दिया जाय अन्यथा अशांति हो जायेगी।

श्री हुक्म सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

२ बजे तक कोरम की कोई बात नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आज १०७ का दुरुपयोग हो रहा है । आये दिन रोजमर्रा देखने में आता है कि सबसे बड़ा दोष १०७ के मुकदमें का यह है कि अगर एक पार्टी के लोग १२ होते हैं तो दूसरी पार्टी के १३ होते हैं । अमूमन यह देखने में आता है कि अगर एक पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट हुई तो जब न्यायालय के सामने एक पार्टी जाती है तो न्यायालय के सामने वह पार्टी यही कोशिश करती है कि दूसरी पार्टी भी १०७ में इनवाल्व हो जाय, इसी पर वे ज्यादा जोर देते हैं । होता क्या है कि एक पार्टी मजिस्ट्रेट से मिलकर दूसरी पार्टी पर १०७ का मुकदमा चला देती हैं । परिणाम यह होता है कि तोनों तरफ के ४०—५० लोग महीनों नहीं 'सालों' एक साल डेढ़ साल—१०७ के मुकदमें दौड़ते हैं । सुबह से शाम तक उनको बैठाया जाता है और बैठाने के बाद कह दिया जाता है कि आपकी पेशी हो गयी । अगली पेशी को आइयेंगा । मान्यवर, यह नहीं होना चाहिये । इसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी तो वह नहीं किया गया है ।

इसी तरह से सेक्शन १०९-११० में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । आप तो जानते हैं कि १०९—११० में क्या किया जाता है । जो आदमी घूमता हुआ पाया जाता है, आवारा, उस को पकड़कर बन्द करदिया जाता है । उसके लिये सर्टीफिकेट दिया जाता है तो उसको छोड़ा जाता है । इसका असर क्या होता है कि पुलिस जिसको चाहती है बन्द कर देती है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको अंग्रेजों ने अपने प्रयोग के लिये बनाया था । उन लोगों के लिये जो आजादी के लड़ाई में लड़ते रहे हैं । क्योंकि उस समय उनके सामने कोई दफा नहीं थी तो उन्होंने अपने रास्ते को साफ रखने के लिये इस दफा को बनाया था कि जिसको चाहा १०९ में भर दो । तो मेरा कहना है कि इन सेक्शनों पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये ।

श्रीमन् सेक्शन १९९(क) धारा १९७ तथा धरा १९९ की उपधारा (२) तथा (४) के बारे में भी है । श्रीमन् १९९ में इसमें कुछ लोगों की इस बात की छूट दे दी गयी है, एक आवश्यकता समझी गयी है कि जो लोग ऐसे पदों पर हैं यदि उनके खिलाफ कोई सूट दाखिल होता है तो उसके लिये इसमें राज्य सरकार से विशेष परमीशन लेनी पड़ती है ।

आपने इसमें कुछ और जोड़ा है जो यह है कि राज्य सरकार को कोई अधिकारी जो किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कम्पनी अथवा अन्य ऐसे निगम या निकाय में जो पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा हो अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी उद्योग या शैक्षिक संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा हो, उस समय, जब, वह इस रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा हो अथवा उसका कार्य करना तात्पर्यित हो, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिये नियोजित समझा जायगा ।

मान्यवर, यह जोड़ा गया है । ऐसे जो जिम्मेदार होग हैं यदि वह किसी के साथ कोई अपराध कर देते है तो जो आपने व्यवस्था दी है एक्ट के अन्दर कि पहले राज्य सरकार से परमीशन ली जायगी तब उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो सकेगा । यह तो जहां तक उसके स्टेट्स या जो उसके पद की मर्यादा है, जिस जगह पर वह कार्य कर रहा है, सही निर्णय है । पर इसका दुरुपयोग होता है मान्यवर मैं वकील रह चुका हूं । और मैंने मुकदमें भी किये हैं । अफसरों की बात तो जाने दीजिये मैं बताता हूं कि थानेदार के खिलाफ जब इस्तगासा दायर हो जाता है, तो श्रीमन् सी०ओ०एस० इन्क्वारी के लिये भेजा जाता है और इसी तरह से काफी समय लगता है । श्रीमन् इसका परिणाम यह होता है कि स्टेट गवर्नमेंट से परमीशन मिलने में काफी समय गुजर जाता है और जिसने किसी अफसर या अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया है उसको राज्य सरकार तक दौड़ना पड़ता है ।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

परेशानी उठानी पड़ती है । इसका परिणाम यह होता है, कि अफसर या उस व्यक्ति के मन में यह धारणा हो जाती है कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है । मान्यवर इस पर विचार होना चाहिये।

मैं मान्यवर, एक मामला बताता हूं । मारपीट का मामला । एक लेबर अफसर ने एक दूध वाले से दूध लिया और पैसे देने के प्रश्न पर उससे और दूध वाले से झगड़ा हो गया । उन्होंने खुद और नौकर की सहायता से उसको मारा पीटा । केस चलाय गया । पुलिस में मुकदमा कायम हुआ । लेबर अफसर को जब यह पता लगा कि हमारे खिलाफ ऐसा हो गया है तो उन्होंने अपनी गल्ती को महसूस किया और तब उन्होंने कोशिश की कि मामला रफा-दफा हो जाय । तो ऐसे कुछ माले है जिनमें इस प्रकार की बंदिश नहीं होनी चाहिये । उन पर विचार करने की जरूरत है ।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)---

मान्यवर, ये बहुत बड़े वकील है । १९९ सेक्शन इस बात का है कि जो भी अधिकारी अपनी ड्यूटी करते समय ड्यूटी डिसचार्ज करेगा उसके लिये सैन्कशन की जरूरत पड़ेगी और ड्यूटी के बाहर करेगा जो सैन्कशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसमें कहा गया है कि इस तरह से नियुक्ति होंगी । उनके संबंध में भी राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति के खिलाफ या और बहुत से लोगों के खिलाफ सरकार की परमीशन के बगैर मुकदमा दायर न हो सकेंगे । लेकिन जहां ऐसी स्थिति आ जाती है कि उन पर परमीशन ली जा सके तो उनपर आपको विचार करना चाहिये था । क्या ऐसे कुछ सेक्शन हैं जिन पर हम उनको स्वीकृति दे सकते हैं ।

मान्यवर दूसरी चीज सेक्शन १२ में २०६ में जो संशोधन किया है वह ठीक है । इसके बारे में कहना था कि थोड़ी कमी रह गई । अगर ठीक से विचार किया होता तो कुछ और संशोधन आ जाते । परन्तु ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ देखने के लिये किया है ऐसी मेरी धारणा है । आप देखें कि धारा २७६ का संशोधन जो कि बड़ा है। इसमें साक्ष्य सामान्यतः वृतांत रूप में लिखा जायगा, किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकेगा अथवा लिखवा सकेगा । यह आपका नया संशोधन है और पुराना इसका उल्टा है । पहले यह था कि प्रश्नों को पहले ही तैयार किया जायेगा और उनपर फिर बयान लिये जायेंगे जो कि रिकार्ड किये जायेंगे । अब हो गया है कि साक्ष्य सामान्यतः वृतांत रूप में लिखा जायेगा, किन्तु पीठासीन न्यायधीश ऐसे भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकेगा अथवा लिखवा सकेगा । अब उसका उल्टा हो गया है । इसी प्रकार रेलवे में किया है । वहां थर्ड को सेकेंड किया गया है ।

इसके करने का क्या उद्देश्य था यह होता तो समझ में आता थर्ड क्लास एक पाई हटाने से सैकिन्ड क्लास हो गया, वही बात यहां पर भी है । तो जो आप विधेयक लाते है उसमें हमारा समर्थन मिल सकेगा, ऐसा करना चाहिये । आजतक जितने विधेयक आपने पेश किये हैं सभी अच्छी मन्शा से लाये है लेकिन कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिये हमें कहना पड़ेगा कि यह कमियां है ।

श्री राज मंगल पांडेय---

यह केवल एक परपज है । कभी-कभी ऐसा गंवार आदमी आता है जो प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता है, तो नैरेटिव फार्म में करते हैं । पहले एक प्रोसीजर था जब विवेक पर छोड़ दिया है , दो बातें है । यह आपके हित में है, गंवार के हित में है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

इसमें हित है लेकिन हित ज्यादा है । जिस आदमी से नैरेटिव में बयान लिया जाता है वह परेशान हो जाता है और वह समझ नहीं पाता है । आपको हर हालत में प्रश्न करने पड़ेंगे । दूसरी आपत्ति यह है कि आप लिखा सकेंगे । आजतक प्रोसीजर में यह है कि पेशकार बयान लिखता है । ऐसा भी देखने में आया है कि पेशकार ने कुछ बयान लिखा और गवाह ने कुछ कहा । इसलिये हाई कोर्ट ने कहा है कि जजेज को स्वयं कलम से लिखना चाहिये क्योंकि पेशकार चन्द पैसों में बिक जाते है और अपना बयान लिखकर जज से जब वह बिजी होता है दस्तखत करा लेते हैं । मैंने भी यह देखा है इसलिये इस क्लाज पर विचार होना चाहिये था कि इसको बदल सकते । इसी तरह से आगे चलकर जो यह फार फीचर वाली बात है वह ठीक है ।

अंत में मुझे कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता में आप जो संशोधन लाये है वह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये पुलिस को ज्यादा अधिकार न दें और जनता को जितनी राहत दे सकें, दें । इस पर विचार न कर जल्दबाजी में ऐसा किया गया है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को जाना चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, पुरानी सी०आर०पी०सी० समाप्त करने के पश्चात एक नया ऐक्ट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया और वह पास हुआ और वह प्रतिबिम्ब है आधुनिक विचारों का और उसमें जो परिवर्तन किये गये है वह होना चाहिये थे यह वर्तमान विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है । इसमें अधिकतर बातें प्रोसीड्यूरल है । इसमें कोई सबसटैन्शिअल चेन्ज नहीं किया गया है । किसी पुलिस स्टेशन की सीमा राज्य सरकार नियत करे या आई०जी० या डी० आई०जी० करे इसमें कोई खास बात नहीं है । यह तो सुविधानुसार किया गया है । इसी प्रकार आफिसर्स जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिये सभी चाहेंगे कि वह निर्भिक होकर अपनी ड्यूटी कर सकेंगे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जहां तक ये सभी संशोधन हैं, इनका स्वागत होना चाहिये । परन्तु एक संशोधन, जो धारा १०७ के सम्बन्ध में लाया गया है, उसके विषय में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं । मान्यवर, जो ओरिजनल ऐक्ट (नं०–२–१९७४) पार्लियामेंट से पास हुआ उसमें सिर्फ एक ही बात रखी गयी है कि पर्सनल बांड की आवश्यकता होगी और उसमें स्योरिटीज लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । जो पुरानी ऐक्ट सी०आर०पी०सी० का था, उसमें १०७ में जहां पर्सनल बांड की व्यवस्था थी, वहां पर मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रीशन पर छोड़ा गया था कि वह स्योरिटीज ले सकता है । जब ओरिजनल बिल लोक सभा में पेश हुआ, तो धारा १०७ उसी स्थिति में प्रस्तुत की गयी थी । परन्तु उसके ऊपर संशोधन प्रस्तुत किया गया और संशोधन नं० १२७ लोक सभा में जो प्रस्तुत किया, तो माननीय मिर्जा साहब, राज्य गृह मंत्री, ने उसकी विचार-विमर्श के बाद स्वीकार किया ।

संशोधन मुख्यतः इसी कारण था कि आज तक सी०आर०पी० सी० की धाराओं का, विशेषकर १०७ का, जो भी इस्तेमाल किया गया है, वह वास्तविक स्थिति को न समझते हुये, शांति भंग की स्थिति की बात को न देखते हुये, बल्कि तमाम राजनैतिक कारणों से इसका प्रयोग होता रहा जिसके कारण इस धारा की कठोरता में कमी करने की बात आवश्यकता समझी गयी ।

[श्री हुकुम सिंह]

मान्यवर, जिला अदालतों में देखा जाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार है। जिन अदालतों में १०७ की कार्यवाही की जा रही है, वहां एक तरफ अहलमद माल के मुकदमें और दूसरी तरफ पेशकार फौजदारी के मकदमें करता है और मैजिस्ट्रेट महोदय एक कोटा फिक्स कर देते हैं अहलकार उनके घरों का खर्च चलाते है आखिर में जब मुकदमें कम हो जाते हैं तो अहलमद और पेशकार मैजिस्ट्रेट से निवेदन करते है कि मान्यवर मुकदमें कम आ रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों से कहकर रिपोर्ट मांगी जाती है और एक-एक गांव से १००/१५० नोटिस इस धारा के अन्तर्गत भेज दिये जाते हैं।

जिस गांव में ४० आदमियों के नाम नोटिस भेजे जाते हैं तो उसमें ८० आदमी जमानती होकर कुल १२० आदमी आते हैं और उनका जो प्रोग्राम चलता है, जरा उसका अवलोकन करें। होता यह है कि ८० आदमी जमानत के लिये जाते हैं यदि वे शपथ पत्र (ओथ) कमिश्नर से बेरीफाई करायें तो बांड पर १० रुपये का खर्च आता है। तब पेशकार साहब करते हैं १० रुपये क्यों खर्च करते हो। ६ रुपये पर यहां तय कर लो। तो इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहां ८० आदमी जमानती और ४० मुल्जिम, १२० आते हैं, ८० आदमियों की जमानत के पैसे को अगर ६ रुपये के हिसाब से लगायें तो यह ४००/४५० रुपये के करीब खर्च पड़ता है। तो, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आवश्यकता इस बात की है। यदि हम स्योरिटीज के अलावा उन आदमियों के ऊपर जिनकी ओर से शांति भंग का अंदेशा है, क्या उनके ऊपर साइकोलोजिकल असर डालना चाहते हैं कि वे शांति भंग न करें।

यदि वह पर्सनल बांड का दाखिल कर देते हैं तो क्या वह साइकालिजिकल प्रभाव उन पर काफी नहीं कि वह शांति भंग करने से रुक सकेंगे ? क्या उनके लिये जमानती होना जरूरी है ? मधुलिमये के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया था कि १०७ के मुकदमें में हाजरी के लिये जमानत दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। सके बाद भी जिला लेबिल पर न्यायालयों ने उसको मानने से इंकार कर दिया। और हजारों की जमानते लीं और जमानत नहीं देते हैं तो जेल भेज दिये जाते हैं। मुलाहिजा कीजिये कितनी शक्ति एक मैजिस्ट्रेट के अन्दर निहित हो गयी है क्योंकि कि अगर वह जमानत भी दाखिल करता है तो उसको डिस्क्रिशन है माने न माने। वह वेरिफिकेशन के लिये तहसील भेज देता है और तहसील से वेरिफिकेशन होने में १०,१५ दिन लग जाते हैं और जमानत दाखिल होने के बाद १५ दिन तक मुलजिम जेल में रहता है बावजूद इसके कि उस स्टेज तक उसने कोई आफेन्स नहीं किया है।

जहां तक १०७ के औचित्य का प्रश्न है मैं यह स्वीकार करूंगा कि उसे रहना चाहिये लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस धारा में राज्य सरकार के द्वारा यह जो तरमीम पेश की जा रही है पसनल बांड के साथ साथ श्योरि, ीज पेश की जाय इसका मैं घोर विरोध करता हूं। जब लोक सभा में इसकी विवेचना हो चुकी है और वहां यह उचित समझा गया कि श्योरिटीज शब्द निकाल दिये जांय तो फिर हमारे लिये क्या आवश्यकता रह जाती है ? क्या उत्तर प्रदेश के लिये विशेष परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिससे श्योरिटीज वाली बात इस धारा में बढ़ाई जा रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसमें भी डिस्क्रिशन दिया हुआ है।

श्री हुकुम सिंह—

डिस्क्रिशन तो पहले से ही है।

श्री राज मंगल पांडेय—

मैं यह बतला दूं कि लोक सभा ने इस संशोधन को पास करने के बावजूद भी स्टेटस को यह अधिकार दिया है कि जहां उनको व्यवाहिक कठिनाइयां उत्पन्न हों उनको देखते हुये वे चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है । लिहाजा हम लोक सभा के मान लेने के बाद इसे "विथ आउट श्योरिटीज" कर सकते थे लेकिन अनुभव यह बतलाता है, रोजमर्रा यह कहा जाता है जब दोनों पार्टीज में इस तरह की बात थी तो १०७/११७ की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और हमने अनुभव किया कि जब भी १०७/११७ को लागू किया और विथआउट श्योरिटीज उसे लागू करे तो वह फोर्स हो जायगा । हम नहीं चाहते कि इसको रखे लेकिन परिस्थितियों का तकाजा है जिससे मजबूर हो कर हम इसे रखना पड़ रहा है । रोजमर्रा इसी सदन में सवाल होते हैं, उनको देखते हुये माननीय सदस्य इस पर पुनः विचार करेंगे और महसूस करेंगे कि जो रखा गया है वह ठीक है ।

श्री हुकुम सिंह—

जिस सक्षमता की बात माननीय मंत्री जी ने कही वह स्वीकार है और राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है अपना संशोधन लाने का । मैं लोक सभा की डिबेट ११ दिसम्बर, १९७३ को रेफर करना चाहता हूं जब ओरिजिनल बिल पेश किया गया तो उसमें ये शब्द लिखे "टु एक्जिक्यूट विथ आर विदआउट श्योरिटीज" इसमें अमेंडमेंट पेश किया गया अमेंडमेंट नं० १२७ डिलीट "विथ आर विथआउट श्योरिटीज" । डिबेट होने पर यह तय किया गया कि विथ आर विथआउट श्योरिटीज की जरूरत नहीं है ।

अब उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों से अधिक शान्तिप्रिय है । इस प्रदेश में कोई ज्यादा भयंकर स्थिति नहीं आ गयी है और न यहां और प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा झगड़े अथवा लड़ाई होती है । फिर केन्द्र द्वारा जो ऐक्ट पास किया गया है उस समय से लेकर अब तक कोई इतना लम्बा चौड़ा समय नहीं बीत गया है जिसमें हमने यह अनुभव कर लिया हो कि हमारी स्थिति इतनी विस्फोटक हो गयी है कि हम परसनल बोर्ड वाली बात से अपनी कार्य-प्रणाली नहीं चला पाते हैं ।

जहां तक राज्य सरकार के अधिकारों का प्रश्न है, राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह संशोधन लावे लेकिन हमें देखना यह है कि क्या वह संशोधन जस्टीफाई है या नहीं ? मान्यवर यदि हमको दो-चार साल का अनुभव हो गया होता कि हम "विद और विदाउट श्योरिटीज" अमेंडमेंट लावें और उसके बिना हमारी स्थिति विस्फोटक हो जाती तब तो उसका जस्टिफिकेशन हो जाता लेकिन अभी अप्रैल, १९७४ में यह पास हुआ और उसके तुरन्त पश्चात उसमें अमेंडमेंट लाया जाता है तो कौन सी ऐसी स्थिति आ गई थी कि ३/४ महीनें में ही अमंडमेंट लाने की आवश्यकता पड़ गई ?

मैं आपसे साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे केवल गरीब वर्ग का ही नुकसान होने वाला है । आप जरा इसके सेक्शन्स का इतिहास देखें कितने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को इस सेक्शन के अन्तर्गत बुलाया गया । इस सम्बन्ध में मुझे अपने जिले का अनभव है कि गत गांव सभाओं के निर्वाचन में मुजफ्फरनगर में कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां से कि ५०/६० काश्तकार अदालतों में न पड़े रहते हों । खुली लूट होती है । मैं वहां की स्थिति से भलीभांति अवगत हूं कि वहां पर इस काश्तकार वर्ग के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया ।

१०/१० दिन तक लोग हवालातों में पड़े रहे । लगता है कि गम्भीरता से इस सेक्शन के ऊपर विचार नहीं किया गया । किसी मजिस्ट्रेट ने आपके सामने कोई दिक्कत पेश की और आपने संशोधन प्रस्तत कर दिया । इससे केवल किसी व्यक्ति विशेष को फायदा होता होगा । उसके तहत खुली लूट होती है । तो माननीय मंत्री जी इसे देख लें कि कानून की आड़ में कितनी कानून की अवहेलना हो रही है । शेष संशोधनों का समर्थन करते हुये धारा १०७ के संशोधन का विरोध करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं आपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके मातहत कई दफायें संशोधन के रूप में यहां रखी गई हैं । लेकिन मैं मुख्य तौर से दफा १०७ पर अपने विचार रखना चाहता हूं । जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि कानून और व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिये दफा १०७ बहुत जरूरी है और अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिये भी यह दफा बहुत आवश्यक है । नई सी०आर०पी०सी० जब आयी तो उसमें भी संशोधन किया गया कि दफा १०७ के जो अभियुक्त हैं उनको सेक्योरिटी जमा करने की जरूरत नही पड़ेगी ।

इसके पहले कि मैं इस सम्बन्ध में अपनी कुछ राय रखूं, मैं साफ तौर से कह देन चाहता हूं कि जब भी कोई अच्छी और आदर्श जनतांत्रिक सरकार आयेगी तो वह दफा १०७ को हटा देगी क्योंकि ऐसी धारायें साधारण अपराधियों पर कम और राजनीतिक व्यक्तियों पर ज्यादा प्रयुक्त की जाती है । जितने भी अध्यक्ष अब्बल दर्जे के अपराधी होते है वे धारा १०७ के अन्तर्गत नहीं आते हैं बल्कि ज्यादातर धारा १०७ सामाजिक और आर्थिक मामलों से सम्बद्ध राजनीतिक व्यक्तियों पर लागू होती है । इससे ज्यादा जनतांत्रिक बात और कोई नहीं हो सकती है । राजनीति करने वालों, प्रदर्शन करने वालों या जो सत्याग्रहों पर विश्वास किया करते हैं उन पर भी इस प्रकार की अपराधी दफाओं को चलाया जाता है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार १०७ का इस्तेमाल आदमी के सियासी कार्य और उसके मौलिक कार्यों को रोकने के लिये किया करती है ।

यदि सरकार कोई काला नियम बना दे और उसके विरोध में जन अभिव्यक्ति होगी, तो उसको रोकने के लिये सरकार के पास एक ही अधिकार है--दफा १०७, जिसमें शान्ति भंग की आशंका हो जाया करती है । केवल नारा लगा देने से, प्रदर्शन कर देने से इनके यहां शान्ति भंग हो जाया करती है, किन्तु सरेआम जो कत्ल होते हैं, हत्यायें और लूट होती है, आगजनी होती है, उनको रोकने के लिये सरकार के पास कोई निदान नहीं है । उस तरफ से यह सरकार पूरी तरह उदासीन है । अपराधों को रोकने के लिये और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये सरकार के पास एक ही दफा है--दफा १०७ । उसमें भी इनके पास लचर दलील है कि गारेन्टी का प्राविधान नहीं करेंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ती चली जायगी । मंत्री जी पता नहीं मिल किस दिमाग से सोच रहे हैं, जो वह इतनी खोखली दलील देते हैं ।

अपराध करने की मनोवृत्ति तो पूरे सूबे के जिलों में बढ़ती चली जा रही है । मंत्री जी अपनी नीतियों को देखें, तो पता चलेगा कि ये क्यों बढ़ रहे हैं । इसको रोकने के लिये सरकार को अपनी बुनियादी नीतियों में तब्दीली करनी पड़ेगी । छोटे-मोटे संशोधन करने मात्र से ये अपराध रुकने वाले नहीं है । फिर भी १०७ के जरिये यह अधिकार थानों को दिया गया है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि दफा १०७ थानेदार की मर्जी पर है और इस धारा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ करता है । जब कोई खेत का मसला हो, वह किसी पक्ष से इन्ट्रेस्टेड हो तो यह धारा चला दिया करते हैं । तो जब एकतरफा निर्णय देना हों, किसी व्यक्ति को दबाने के लिये या किसी खास आदमी का हित करने के लिये, तो किसी भी आदमी के खिलाफ यह कार्यवाई हो सकती है । तो यह जो दफा है, इसके चलते आज कानून व्यवस्था नहीं संभल सकती है ।

जो नई सी०आर०पी०सी० है, उसमें जाती मुचलका देने का प्राविधान है, किन्तु जो उत्तर प्रदेश का यह जो अधिनियम पेश किया गया है, उसमें फिर संशोधन किया जा रहा है और उस कमी को पूरा करने के लिये कहा गया है कि जाती मुचलके पर नहीं सेक्योरिटी देनी पड़ेगी और उसका बेरीफिकेशन भी होगा । जब भी विद्यार्थी आन्दोलन हो या सियासी पार्टी का आन्दो-

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो, तो उसके कार्यकर्ताओं गको दफा १०७/११७ में गिरफ्तार कर लिया जाता है । तो उनकी जमानत के लिये जमानत की जब अर्जी डाली जाती है इजलाश में तो उसको बेरीफिकेशन के लिये टाल दिया जाता है और उनके बेरीफिकेशन के कार्य को १५–१५ दिन तक टाला जाता है । मैजिस्ट्रेट से तहसील में, तहसील से नीचे, इस तरह बराबर चढ़ चला करता है और इसमें बहुत भ्रष्टाचार भी जुड़ जाता है । जबतक रुपया-घूस न दी जाये, तब तक उसकी प्रोसीडिंग्स जल्दी नहीं पूरी हो पाती है ।

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इसकी दफा १०७ को तो यह सरकार हटा ही नहीं सकती है, वह दूसरे किस्म की सरकार होगी जो पूरी तरह से जनतान्त्रिक होगी, आर्थिक विकेन्द्रीकरण को पूरी तरह से चलाने वाली होगी, क्योंकि इस सरकार के चलते अपराध उत्तरोत्तर बढ़ते ही जायेंगे, लेकिन इसमें यह जो प्राविधान रखा गया है कि उसकी सिक्योरिटी या जमानत अवश्य ली जाये—

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने देखा है, जो व्यवस्था सी आर०पी०सी० में जाती मुचलके की है, कि १०७ में जाती मुचलके से अभियुक्त छूट जायगा..

श्री अधिष्ठाता—

यह आप्शनल है, कम्पलसरी नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जो मैजिस्ट्रेट है उनके आप्शन में कोई चीज नहीं है । आप भी १०७ की गिरफ्त में आ चुके हैं । मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि हमारा कोई विवेक नहीं है । ऊपर से राज्य सरकार का आदेश है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह जो प्राविधान रख दिया गया है यह विवेक पर निर्भर करता है । विवेक राज्य सरकार के या राज्य सरकार के आदेश के अधीन होगा । हो सकता है कि ऊपर से देखने में मेरा कथन वैसा हो, लेकिन व्यवहार में जब खुद पर पड़ती है तो असलियत मालूम होती है । १०७ की कार्यवाहियों में अभियुक्त जाती मुचलके से छूट सकता है लेकिन उस को जमानत देने के लिये मजबूर किया जाता है और फिर उसको नाहक परेशान किया जाता है, कि जमानतदारों का वेरिफिकेशन हो । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि कई माननीय सदस्य इस कानून के पंडित है वह इस पर दिलचस्पी रखते है । आपकी आज्ञा से मैं दस मिनट का समय इसके लिये निर्धारित करता हूं । अधिक से अधिक दस मिनट में अपनी बात कर लें ।

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने दंड प्रक्रिया संहिता का जो संशोधन उत्तर प्रदेश पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । संसद् द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता पास हुई है वह एक क्रांतिकारी कदम है, इस माने में कि यह पहले का कानून है इसमें बदलाव की बहुत

[शमरुद्ध प्रकाश]

आवश्यकता थी। हर वर्ष, बहुत दिनों से, इस सदन के सामने यह अवाज आती है कि "एग्जिक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग किया जाय। जो दंड प्रक्रिया संहिता संसद से पास हुई है उसकी भावना का मैं आदर करता हूं। हर जिले में एक चीफ जुडीशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसकी भावना यह है कि इससे न डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट, न किसी बाहरी आदमी का राजनीतिक दवाब पड़े। वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। यह क्रांतिकारी परिवर्तन है इस मकसद से हुआ है।

दूसरे, इस सदन में बार-बार कहा गया है कि न्याय को सुलभ सस्ता और जल्दी मिलना चाहिये। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के बजट में १५० स्पेशल जुडीशल मैजिस्ट्रेट्स का प्राविधान किया गया है। जो यह संशोधन आया है इसमें एक धारा है उसमें माननीय मंत्री ने संशोधन पेश किया है उसमें यह प्राविधान है कि हो सकता है कि हमारे प्रदेश में इतने ज्यादा केस हैं उसके लिये १५० मैजिस्ट्रेट्स रख दिये गये हैं, बहुत सारे केसेज हैं, उनका निपटारा करना है, जो काबिल आमी सरकारी नौकरी में रहे हैं जिनमें क्षमता है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का काम करने की, उनको भी कुछ की ताकत देने की व्यवस्था की गयी है। जो मकसद है कि न्याय जल्दी मिले, इससे बहुत से कैसेज में जल्दी निपटारा हो सकेगा।

दूसरी बात, कर्मिटिंग मैजिस्ट्रेट्स के यहां बहुत सारे कैसेज वर्षों तक लटके रहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है, दो दो तीन तीन साल तक वहां केसेज नहीं पड़े रहेंगे। कर्मिटिंग मैजिस्ट्रेट्स सेशन जज के यहां शीघ्र केसेज भेज देगा जिसमें न्याय मिलने में देर न हो। यह इसका मकसद है।

अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने की है। पेटी केसेज में मुलजिमान जाहिर नहीं रहते थे तो एक-एक केस में कभी-कभी २/३ साल तक ४/४ साल तक मुलजिमान नहीं मिलते हैं और जमीन कुर्क हो जाती है मंत्री जी ने दूसरा दायरा बढ़ा दिया है। १०० रुपया समन द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या वकील द्वारा देने की व्यवस्था जो की है—अब ५०० रुपये जुर्माना करेंगे तो मनीआर्डर द्वारा भी भेज सकेंगे। इससे जल्दी न्याय मिल सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं। उनमें बहुत सी बातें हैं जिनसे कोर्ट स में दिक्कत होती थीं उनको दूर किया गया है। जैसे पहले डी०जी० सी० की नियुक्ति होती थी, अब उसको पब्लिक प्रासीक्यूटर कहा जा रहा है, उसके लिये सात साल की वकालत होना आवश्यक था और उसमें एडवोकेट होना भी आवश्यक था। हमारे प्रदेश में बहुत सी पुराने तजुर्बेकार वकीलों ने एडवोकेट का सर्टीफिकेट नहीं लिया है। उनमें केसेज करने की क्षमता है, तजुर्बेकार हैं लेकिन एडवोकेट न होने से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मंत्री जी ने व्यावहारिक कदम उठाया है कि जो वकील सात साल तक वकालत कर चुके हैं उनकी नियुक्ति भी पब्लिक प्रासीक्यूटर की जगह पर हो सकती है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत सी हमारे वकील पब्लिक प्रोसीक्यूटर की जगह पर काम कर पायेंगे। इस प्रकार से न्याय जल्दी मिलेगा।

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन पेश किये गये हैं उनमें से मैं एक दो बात के ऊपर कहना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्रों में हालांकि धारा १२ में जुडीशियल मजिस्ट्रेट रखने का प्राविधान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैदान में तो जिला के हैड क्वार्टर पर सारे केसेज हो जाते हैं। लेकिन पहाड़ों की स्थिति मैदान से अलग है। पहाड़ों पर तीन दिन दूर के लोगों को हेडक्वार्टर में आने में लगते हैं और तीन दिन जाने में लगते हैं। इसलिये

अगर कोई छोटा केस भी दायर करना पड़ता है तो ६ दिन आने जाने में लगते हैं और जुडीशियल मजिस्ट्रेट १५ दिन की पेशी लगाते हैं । इसलिये प्रार्थना करूंगा कि स्थिति का अध्ययन करके सबडिवीजन में एडीशनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने की व्यवस्था करें जिससे लोगों को सुविधा हो ।

मैं बाकी बातें नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी के सैपरेशन के मकसद को पूरा करने के लिए यह संशोधन आया है और ऐसी व्यवस्था कर दी है जिससे समय पर दावा के Cognizance हेतु हो सके फायनल होने पर उसका दावा ६ महीने तक कर सकते हैं । एक साल की सजा हो तो एक साल तक दावा कर सकते हैं और तीन साल की सजा हो तीन साल तक दावा कर सकते हैं । कोई एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो मियाद के अन्दर चाराजोर्य कर सकती है । यह एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया गया है । मैं बाकी बातों पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं । जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, सर्व प्रथम मैं माननीय न्याय मंत्री का ध्यान, जो विधेयक पेश किया गया है उसके उद्देश्य और कारण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जो कारण और उद्देश्य दिये गये हैं । उनमें अंतिम पंक्ति से एक पंक्ति पहले जो रखा गया है कि, "कतिपय अन्य संशोधन' जो धारा ३ तथा ४८८ में किये जाते हैं केवल नई संहिता की भाषा से उत्पन्न होने वाली कतिपय शंकास्पद बातों को स्पष्ट करने के लिये है" लेकिन मैंने जो संशोधन विधेयक देखा है कि उसमें धारा ४८८ में कोई संशोधन दिखायी नहीं दिया । इसके अतिरिक्त इसके उद्देश्य और कारण के अन्दर धारा २७६ के संशोधन का भी कोई जिक्र नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें ४८८ का जिक्र नहीं है ।

श्री अवधेश कुमार—

उद्देश्य और कारण में आखिरी लाइन के ऊपर ४८८ भी लिखा है । उसी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और जो मैंने बताया कि २७६ के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि उसमें भी संशोधन किया गया है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा १०७ में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, जिसकी ओर माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है, के बारे में निवेदन करूंगा कि यह जो धारायें १०६, १०७, १०८, १०९ और ११० जो अंग्रेजों की बनायी हुई हैं, यह व्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर एक प्रतिरोध के प्रति लगायी गयी थीं और इन धाराओं को समय समय पर सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जाता रहा है, परन्तु जब नयी सी०आर०पी०सी० के बारे में पार्लियामेंट के अन्दर बहस हुई, उस समय एक कांग्रेसी सदस्य ने ही यह अमेंडमेंट मूव किया था कि यह "विथ आर विथ आउट सेउरटी" शब्द निकाल दिये जाने चाहिये और माननीय सदस्य श्री सी०डी०गौतम के इस संशोधन पर केंद्रीय सरकार ने इसको मान लिया और "विद आर विद आउट सेउरटी के शब्द निकाल दिये गये और परिणाम यह हुआ कि जो नयी सी०आर०पी० सी० के केंद्र ने पास की है उसमें केवल यह नहीं है, लेकिन अब जो संशोधन लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इससे ऐसा लगता है कि कुछ अंशों में यह विधेयक केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया गया है । केंद्र को मटियामेट करना है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश कुमार]

धारा १०७ का जो अमेंडमेंट है उसको देखने से और धारा २७६ का अमेंडमेंट देखने से मालूम होगा जो नयी सी०आर०पी०सी० में केवल मुचलिका पर छोड़ने का प्राविधान था उससे लोगों को बड़ी सुविधा थी। नयी सी०आर०पी०सी० पहली अप्रैल, १९७४ से लागू हुई थी और इतने ही दिनों में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गयी कि यह अनुभव हो रहा है कि "विद आर विदआउट सेउरटी" को जोड़ा जाना चाहिये। वास्तव में १०७ कचहरियों में ऐसे लोगों पर चलता है जो गरीब वर्ग के हैं और उनको जमानत और मुचिलका दोनों दाखिल करना पड़ता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि १०७ के एक-एक दो-दो साल तक मुकदमें चलते रहते हैं और परिणाम होता है कि वह प्रोसीडिंग्स ड्राप कर दी जाती हैं। वह प्रासीक्यूशन के लिये होता है प्रासीक्यूशन के लिये नहीं। अगर मुचलके का प्राविधान रहे तो जिनका चालान १०७ में किया जाता है वे लोग आकर मुचलका देकर अपने घर चले जायेंगे और यह जो मुकदमों की संख्या है १०७ के कारण बढ़ती है अदालतों में यह कम होगी। यह केवल मुचलके का प्राविधान जो है, यह बहुत सोच समझकर केंद्र ने बनाया था और मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई रिपोर्ट माननीय मंत्री जी के पास ऐसी आई है या कोई किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या पुलिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट किया हो कि केवल मुचलके के कारण शांति व्यवस्था पर बड़ा असंतोष पैदा हो गया है। मैं मा० मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में वह गरीबों के हितचिन्तक हैं, तो इस १०७ का जो यह संशोधन है इसके बारे में पुनर्विचार करेंगे।

दूसरी बात जो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह २७६ के बारे में है। जैसा माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने बताया कि यह जो संशोधित धारा २७६ की है यह पहले वाले २७६ की धारा से बिलकुल विपरीत है। २७६ में सेशन्स कोर्ट में सहादतों को लिखने का यह प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार सहादतों को लिखा जाय। २७६ की जो नई सी०आर०पी० सी० की धारा है उसको मैं पढ़ूंगा। २७६ की सब सेक्शन (२)–

(2) Such evidence shall be taken down in the form of question and answer: but the presiding Judge may, in his discretion, take down or cause to be taken down, the whole or any part of such evidence in the form of a narrative.

"लेकिन इसमें जो संशोधन लाया जा रहा है वह ठीक उससे उल्टा है।"

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह २७६ में जो केंद्र ने पारित किया है, अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। आवश्यकता इस माने में है कि जब भी डिफेंस कौंसिल बचाव पक्ष का कोई सवाल पूछता है तो सारी जिम्मेदारी उसक ऊपर होती है कि वह प्रश्न पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछे और वह प्रश्न जो है वह पार्ट आफ डिफेंस होता है। माननीय मंत्री जी एक सफल फौजदारी के वकील रहे हैं, इसलिये वह समझते हैं कि यह जो डिफेंस कौंसिल के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह पार्ट आफ डिफेंस होते हैं और उसका उत्तर भी जो गवाह के द्वारा दिया जाता है उसी के रूप में लिख दिया जाता है तो डिफेंस के और अदालत को यह एक सुविधा मिलती है। मुकदमा जब अपीलेट अदालत में जाता है तो जज साक्ष्य के आधार पर फैसला करता है। जज डिफेंस के और प्रासीक्यूशन के गवाहों के बयानों को देखता है तब उसके आधार पर फैसला देता है। इसके विपरीत जो नैरेटिव फार्म में लिखा जाता है उसमें अधिकांश में यह होता है कि उत्तर जो है वह तोड़मरोड़ करके लिख दिया जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिये जहां सेशन्स केस में व्यक्ति के जीवन और मरण का सवाल होता है लम्बी सजायें काटने का सवाल होता है, उसमें यह जो साक्ष्य सही रूप में

आता है प्रश्नोत्तर के रूप में, इससे सही स्थिति का पता लग जाता है । लेकिन नैरेटिव फार्म में आने से वह सही रूप में नहीं आता है । यह जो नई सी०आर०पी० सी० में लिखा गया है वह स्वागत के रूप में था लेकिन यह नैरेटिव रूप में परिवर्तित कर दिया गया है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ अंशों में यह संशोधन विधेयक ऐसा है कि जिसने नयी सी०आर० पी०सी० के ऊपर पानी फेर दिया ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में है । यह शंका उत्पन्न की गयी है कि जो पुराने या वर्तमान कर्मचारी हैं, सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के इच्छुक न हों, हीन भावना उनमें उत्पन्न होगी, इसलिये इनको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट बनाना चाहिये । मैं इस बात का विरोधी हूं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो रिटायर्ड हो गये हैं, उनको स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधिकार दिये जायं । अगर यह अमेंडमेंट लाया गया तो यह अधिकार उनको न दिया जाय । जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या जो अधिकारी कार्य कर रहे है क्योंकि उनमें इससे भ्रष्टाचार आने की संभावना है और जिस प्रकार से यह सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि हमारी जुडिशियरी कमिटेड हो, यह कदम भी उसी दिशा में है । अधिकार देने की जो बात है, इसको वापस लेना चाहिये ।

ऐसी स्थिति में इसे प्रवर समिति में भेजने का माननीय त्रिवेणी सहाय जी का जो प्रस्ताव है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

दफा १०७ जाब्ता फौजदारी का आमतौर से और विशेषकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध इस का प्रयोग होता है । मजदूरों में और पुलिस के अधिकारियों में इस दफा को दफा सरपट नाम से पुकारते है । शांति भंग का जब अन्देशा होता है और अगर कोई रिपोर्ट लिखित रूप से मैजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं तो वे पाबन्द करते हैं लेकिन हिन्दुस्तान की लोक सभा ने जो संशोधन स्वीकार किया है और नया जाब्ता फौजदारी कानून पास किया है, इसमें इस बात का प्राविधान है कि दफा १०७ के मुल्जिमान या जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, उन को जाती मुचलकों पर छोड़ा जायगा । जनता की तकलीफों को ध्यान में रख कर ही वहां पर किया गया था ।

दफा १०७ में अगर १०-१० और १५-१५ आदमी एक तरफ से और दूसरी तरफ से बांध दिये जाते है और हर एक आदमी को कहा जाता है कि २-२ जमानतें दाखिल करो तो वह जमानत दाखिल करने के लिये अगर एक एक तरफ से १५-१५ आदमी होते हैं, यानी कुल ३० तो कम से कम १२० आदमियों को जमानत के लिये लाना पड़ेगा । तो जैसा कि माननीय अवधेश कुमार जी ने कहा जो भी लोक सभा के कानून पास किया है कि जाती मुचलकों पर छोड़ दिया जायगा तो यह विधान सभा उसके विरुद्ध करने जा रही है ।

यह भी बात मेरी समझ में नहीं आयी कि जो हिन्दी में विधेयक होते हैं वे ही सर्वोपरि माने जाते हैं । दफा १०७ में अंग्रेजी में दिया हुआ है कि "

"Why he should not be ordered to execute a bond for keeping peace for such period not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit".

लेकिन हिन्दी में है कि "प्रशांति कायम रखने के लिये बंध पत्र, प्रतिभुवों ..., या रहित निष्पादित करने के लिए क्यों न आदिष्ट किया जाये ।" उसके अनुकूल जो है मुचल्के से या बंध पत्र से होता है । अंग्रेजी वाली में नहीं है अंग्रेजी में केवल लिखा गया है बांड फार कीपिंग पीस फार सच पीरियड । ये वही शब्द हैं जो कि नयी सी० आर० पी०सी० में हैं ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

प्रतिभूत तो मेरा निवेदन है इसमें जो प्राविधान हुआ था, जाती मुचलके के ऊपर इसको छोड़ा जाय, इसको बदलना है। इस धारा का इलाहाबाद में या तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हुआ करता है या छात्रों के विरुद्ध इसका प्रयोग हुआ करता है। बराबर इलाहाबाद में रहने के नाते वहां के विद्यार्थी अगर कोई भी आन्दोलन छेड़ते हैं, तो उनकी दफा १५१ में गिरफ्तारी होती है, उनके विरुद्ध दफा १०७/११७ की कार्य वाही की जाती है।

श्री राजमंगल पांडेय--

उन्हीं दफाओं १०७/१५१ की बदौलत आज हम और आप यहां आये हुए हैं, वह बहुत बड़ी चीज है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैजिस्ट्रेट ने जमानत मांगी। ५,००० बामुश्किल तमाम फिर तस्दीक करने भेजते हैं फिर डी०एम०आदेश देते हैं कि तस्दीक न मानी जाय। तो मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को वापस ले लें और देश की जो संसद् है, लोक सभा है, जहां कि सारी जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है, उसकी बात मान लें।

इसमें तीसरा जो मेरा विरोध है वह यह है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को, इसमें प्राविधान है कि मैजिस्टीरियल पावर दी जायगी। यह भी अनुचित है। क्योंकि जो मैजिस्ट्रेट का कार्य है वह बड़ा पवित्र कार्य है, लेकिन चूंकि आज इस देश में सर्वोच्च न्यायालय तक में कमिटेड जुडीशयरी का प्राविधान किया जा रहा है शायद इसी भावना से यह प्राविधान इस ऐक्ट में किया जा रहा है। तो इसलिये यह हटा दिया जाय तो ठीक है वरना जो श्री ओमप्रकाश जी का प्रस्ताव है और अन्य माननीय सदस्यों का कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूं कि यह सवाल नहीं है कि संशोधन दफा १०७, ४०६, ४३२ वगैरह में किया जा रहा है, बल्कि मौलिक प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आज किधर जा रहा है। वर्चुअली यह तो कंटेम्प्ट आफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट ने एक ऐसा विधान बनाया, आप उसकी यहां पर आलोचना ही नहीं उसमें अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के अन्दर १९५५ में जिस समय आदरणीय भीमराव अम्बेदकर ने कहा था कि इस विधान को हमने एक मंदिर की तरह से बनाया लेकिन इस मंदिर में देवताओं के प्रतिष्ठान के पहले शैतान बैठा है इसलिये जरूरत है कि इसको जला दिया जाय ताकि कम से कम जो देवताओं की मूर्तियां है वह तो सुरक्षित बनी रहे। मैं समझता हूं आप उसी संविधान को आग लगाने पर तुले हुए हैं जो आपके ही द्वारा बनाये गये हैं और मौलिक तरीके से जो धारायें गरीब जनता के हित में हैं उन पर कैसा कुठाराघात कर रहे हैं? आप समझते हैं कि श्योरिटीज का देना बहुत साधारण बात है। मैं समझता हूं कि परसनल बांड देने पर किसी गरीब का कोई नुक्सान नहीं होता था। जहां पर श्योरिटीज का सवाल आता है वहीं पर वकील, मैजिस्ट्रेट, अहलमद सब आ जाते है और उसका ५ की जगह पर ५० रुपया खर्च होता है।

जहां तक धारा १०७ का सवाल है, तो आप संविधान को देखें। हमारे देशवासियों ने समझा था कि हमारी जो विधान की ये हीन दफायें हैं १०७, १०९, ११०, १४४, १४३ ये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उड़ जायंगी और हमें अपने मौलिक अधिकारों की उपलब्धि होगी । वह न होकर हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और आप देखें कि पार्लियामेंट ने जो जनता के लिये क्लियर प्राविधान किया है १०७ में वह किस प्रकार है--

"107 (1) When an Executive Magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in the manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute a bond, for keeping the peace for such period, not exceeding one year, as the Magistrate thinks fit."

श्री अधिष्ठाता--

इसका अनुवाद कर दीजिये ।

बाबा रामनाथ--

अर्थ यह है कि अगर मैजिस्ट्रेट को यह आशंका है कि कोई सूचना मिली है कि किसी के द्वारा शांति भंग होने की संभावना है या अशांति होने कर डर है तो यह कहेगा सम्बन्धित व्यक्ति से कि आइये और कागज पर लिख दिया जायगा कि मैं इस कार्य को नहीं करूंगा । लेकिन आप हमारी इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो करने जा रहे है वह मैं कहूंगा कि वह इस हाउस का सदन का अपमान है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी हिफाजत आप नहीं कर पा रहे है और ९ करोड़ जनता को आप से अशांति की आशंका है और उनको आप मजबूर कर रहे हैं कि करोड़ों रुपया अदालतों में दें ।

तो मान्यवर, मंत्री इस पर विचार कर लें कि यह तो बहाना है मौलिक अधिकार छीनने का । हमने देखा है कि अदालतों के अन्दर सौ-सौ आदमी बंधे आ जाते है, मानों जानवर आ रहे हों । विश्व के किसी भी देश में इस तरह से वहां के नागरिक अपमानित नहीं होते हैं जिस प्रकार हमारा नागरिक अपमानित किया जाता है । जिस समय मैं वकालत करता था तो मुझे अनुभव है, एक औरत ने बताया कि हम तो चकिया पीस रही थीं, १०७ में पकड़ ले गये । दूसरी महिला ने कहा कि नहीं जी वह तो सब अपने रिश्तेदारों को भी पुलिस ले जा सकती है । ये है वहां की पुलिस के अधिकार फासिस्ट-रूपी, और हमारे मंत्री जी उनको और अधिकार देने जा रहे हैं और यहां की मैजिस्ट्रेसी जो बदनाम हो चुकी है उसको आप और फासिस्टी रूप देने जा रहे हैं और मैजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को व्यापक अधिकार देकर जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।

एक दफा मैं जवाहर लाल नेहरू की किताब पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जबतक आई०सी०एस० और आई०पी०एस० को नहीं बदलेंगे तब तक हिन्दुस्तान के लोगों को आजादी का मजा नहीं मिलेगा । एक तरफ तो हमको कहा जाता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा और दूसरी तरफ हमारे न्याय मंत्री कहते हैं कि आपको दो श्योरिटीज लानी पड़ेगी ।

आज हमारे सामने यह बिल आया है। ऐसा न हो कि कल बगैर कहे १५ दिन के लिये बन्द कर दिया जाय । यह विधान सभा का ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट का भी कन्टेन्ट है । मौलिक अधिकारों के बारे में साफ प्राविधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस विधेयक द्वारा किये गये अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो । हमारे यहां एक नेता जी आ रहे थे । बड़ी खुशी के साथ झंडे लगाये। बाद में दफा १४४ लागू कर दी गयी । यह एस०डी०एम० की खुशी पर है । वह कह दे कि बड़ा भारी आतंक है, पता नहीं क्या हो जाय । यहां के एस०डी०एम० और डी०एम० हमारी स्वतंत्रता का हनन करते हैं और उन्हीं

[बाबा रामनाथ]

को आप अधिकार देने जा रहे है कि उनके डिस्क्रीशन पर होगा और डिस्क्रीशन पर ही नहीं, आप उनको मैनडेटरी अधिकार देने जा रहे है कि आपको दो श्योरिटीज देनी ही पड़ेगी । और साधारण रूप में आपने यह कह दिया कि प्रतिभू की जरूरत है । गरीब आदमी कहां से श्योरिटी देगा । सौ-सौ, दो-दो सौ की तादाद में अदालतों में आप पेश करेंगे । यह ९ करोड़ जनता का अपमान है । मैं चाहूंगा कि इसे वापस लें और प्रवर समिति को भेजा जाय ताकि हमारी जनता के हितों की रक्षा हो सके । इतना ही मुझे कहना है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जो मंत्रीजी ने संशोधन विधेयक पेश किया है सचमुच में इससे जनता का मौलिक अधिकार छिन जायगा । अभी जो नया सी०आर०पी०सी० लागू हुआ है मैंने देखा आज भी १०७ के मुकदमें पर्सनल बांड के ऊपर चल रहे हैं । कोई पहाड़ हमको टूटता हुआ नजर नहीं आया कि जो लोग पर्सनल बांड पर हैं उन्होंने जा कर कोई कत्ल कर दिया है । अगर कोई ऐसी मिसाल हो तो मंत्री जी बतायें । अगर ऐसी बात नहीं है तो इस तरह का संशोधन विधेयक पेश करना मैं समझता हूं इस सदन और इस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय करना है ।

अभी जैसा कि हमारे माननीय बाबा रामनाथ जी ने कहा पुलिस को असीमित अधिकार देकर दफा ५१ में चालान कर के बन्द कर दें तो पर्सनल बांड तो पहले भी भरा जाता था लेकिन उसके साथ जो श्योरिटीज की बात है उसमें कितना रुपया खर्च होता है इसका अन्दाजा हम सभी को है । मालियत का इन्तजाम, मकान की रसीद, उस पर टिकट और फिर जो जमानत लिखता है उसको, फिर जो वकील तसदीक करता है वह भी फी जमानत पीछे ५–५ रुपये लेता है और आज यह देखने को मिलता है कि तहसीलों में इसको वेरिफिकेशन के लिये भेजा जाता है और एक-एक जमानत में ८–८, १०–१० दिन लग जाते हैं । लेखपाल से ले कर कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार, सब की पूजा करनी पड़ती है । तब जाकर उसकी मालियत ठीक तरह से लिखकर अदालत में पंहुचती है और इसमे ही १५-२० दिन लग जाते हैं और सम्बन्धित व्यक्ति को जेल में ही पड़े रहना पड़ता है । आखिर तमाम बातों पर विचार करने के बाद ही संसद् ने सी० आर० पी० सी० में नयी धारा को जोड़ने का फैसला लिया था ।

सन् १९७० में जब यह प्रश्न सामने आया था कि पार्लियामेंट बड़ी है या सप्रीम कोर्ट, और इसी को लेकर चुनाव भी हो गया, पार्लियामेंट को बड़ा माना गया, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में संसद् ने जो कानून बनाया है उसको आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं या अगर कहीं पर ऐसा कोई केस हुआ हो कि पर्सनल बांड पर रहते हुये किसी ने कत्ल कर दिया हो, तो उस घटना को वे बतायें ।

इस तरह के अधिकार मैजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को देकर मंत्री जी जनता की गाढ़ी कमाई को तहसीलदार और उनके अहलकारों आदि की जेबों में डालना चाहते है । जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है, धारा १०९, १०७, ११० आदि ऐसी धारायें हैं जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं । जब नयी सी०आर०पी०सी० लागू है तो इस तरह के संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं । यह संशोधन लाकर आप सर्व शक्तिमान संसत् का अपमान कर रहे हैं । इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं ।

(इस समय ३ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवई पीठासीन हुयीं ।)

श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । सबसे पहले मैं धारा १०७ जिसका यहां घोर विरोध किया जा रहा है, उस पर आता हूं । यह कहा जा रहा है कि जब केन्द्र ने जमानत की बात नहीं रखी है, केवल पर्सनल बांड पर छोडने की बात रखी है, तो यहां जमानत को क्यों बढ़ाया जा रहा है । महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई वास्तव में झगड़ालू व्यक्ति है और वह झगड़ा करना चाहता है तो केवल अपना पर्सनल बांड भर कर उससे मुक्त नहीं हो सकता है । क्योंकि कोई पर्सनल बांड भर कर एक धनराशि उसका बन्धक रहेगा । मैं समझता हूं कि इस तरह से पैसे के बल पर लोग हजार या पांच सौ का मुचलका भर कर बार-बार झगड़ा करते रहेगें और कहेंगे कि हमने तो इतने रुपये का मुचलका भर दिया है । इस तरह से किसी व्यक्ति के झगड़ालू मनोवृत्ति पर बन्धन नहीं लग सकेगा । उसके ऊपर बन्धन रहे इसके लिये आवश्यक है कि दूसरे व्यक्ति की सेक्योरिटी हो । यह जो संशोधन किया गया है वह ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये है ।

दूसरी बात यह है कि सेन्ट्रल ऐक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें, छोटे अपराधों की अलग से कोई व्याख्या नहीं की गयी है । उसमें जो विभिन्न धारायें हैं छोटे अपराधों को एक सीमा में लाकर एक अच्छा काम किया गया है । इस तरह से उनको सुनिश्चित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार के छोटे अपराध हों तो उसमें यह जुर्माना होगा । लोगों के ज्यादा हित में यह कार्य हुआ है । जैसे १०० रुपया अगर कोई दंड के रूप में दे देगा तो उसको अदालत में आने की इजरूरत नहीं होगी । इस धनराशि को बढ़ा कर उसका उचित विस्तार किया गया जिससे लोगों को बार-बार अदालत में जाकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । जो मुकदमा नहीं लडना चाहते है उनको सुविधा होगी, इस कारण से ही यह संशोधन इसमें रखा गया है । प्रवर समिति में भेजने की जो बात कहीं गयी है, इसके क्षेत्र के अधिक विस्तार के लिये मैं समझता हूं कि यह मुनासिब मांग नहीं है ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल ऐक्ट है उसमें केवल ७ वर्ष तक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट को सरकारी वकील बनाने का प्राविधान है लेकिन अब इस नये संशोधन के जरिये यह किया गया है कि जो प्लीडर योग्य हों, उनको भी सरकारी वकील मुकर्रर किया जा सके । क्योंकि पहले तो प्लीडर ही हुआ करते थे और अब भी प्लीडर्स की काफी संख्या है । तो यह एक अच्छा कदम है जो इस संशोधन द्वारा उठाया गया है । माननीय न्याय मंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसी आभार पर इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया जा सकता है । प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे और एक मर्तबा इस संशोधन विधेयक को पारित कर देंगे ।

*श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय---

श्री शत्रुघ्न प्रकाश---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने अभी आपको अधिष्ठाता महोदय कहा, तो आपको अधिष्ठाता कहा जायगा या अधिष्ठात्री कहा जाय, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अधिष्ठाता---

जो चाहे कह सकते है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लक्ष्मण सिंह---

आज से पहले अध्यक्ष महोदय की मौजूदगी में जब माननीय त्रिपाठी जी ने खाद्य मंत्री को मंत्राणी महोदया कहा तो उन्होंने कहा था कि उनको मंत्राणी न कह कर मंत्री महोदय ही कहा जाय । खैर, वह दूसरी प्रलग बात है । मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक न्याय मंत्री जी ने पेश किया है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने ऐक्टिव और योग्य न्याय मंत्री फिर उसी बात के शिकार हुये । मुझे ऐसा शक है कि ब्यूरोक्रेसी ने कोई कागज तैयार करके उनके सामने रख दिया ।

अपनी सरकार के कामों में वह अधिक बिजी है इसलिये इसको जल्दी में सदन के सामने पेश किया है । १०१/११७ का प्रयोग मैं समझता हूं रोजमर्रा होता है, जिलों में होता है । इसकी जानकारी आपको भी होगी ।

इसका क्या उद्देश्य है, इसका केवल यही उद्देश्य है कि जो लोग राज्य के विरोध में कहना चाहते है, अपनी जबान निकालना चाहते है, उन्हीं के लिये होता है । लड़ाई की बात आप छोड़िये । बल्कि राज के विरोध में जो लोग कहना चाहते हैं, उनके लिये इसका प्रयोग किया जा रहा है । उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, खानदानियों को पकड़ा जाता है । और फिर जमानतें होती है, जमानतों में ५-५ रुपये स्टाम्प लगाने पड़ते हैं । इसी तरह से उनको पचासों रुपये की सजा पहले हो जाती है । मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल पार्लियामेंट का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जमानत और बांड का प्रयोजन हटाया जाय ।

मेरा कहना है कि, और यह सर्वविदित है, कि इसका उद्देश्य क्या है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें क्या आवश्यकता पड़ गयी है कि इसको लाया गया है । इसमें पहले प्राविधान था कि २ श्योरिटीज भी ली जायेंगी और बांड भी लिया जायेगा । यानी की मैजिस्ट्रेट बांड भी लेगा और श्योरिटीज भी । पर अब यह किया जा रहा है कि मैजिस्ट्रेट चाहे तो जमानतें ले लें या चाहे बांड ही लें । तो क्या कारण था कि इस संशोधन को आपने पेश किया है ।

दूसरी बात और कहना चाहता हूं, अभी माननीय सदस्यों ने यही बात कही है । मैं भी अपने को इसी में शामिल करता हूं । आज १०७/११७ का इस्तेमाल लेजिस्लेटर्स के विरुद्ध भी किया जा रहा है । हमारे जिले में भी किया जा रहा है । उसमें भी जमानत की जरूरत पड़ेगी । क्रिमनल प्रोसीडिंग है परन्तु एग्जेम्पशन नहीं है । और इसका मिस यूज तो हो ही रहा है और आगे भी किया जायेगा । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय । यह पास तो आप करा ही लेंगे पर इस पर आप सोचें ।

श्री बालकृष्ण सनवाल---

अभी फाइनल स्टेज कहां आयी है...

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह पास तो हो जायेगा । पर मैं फिर कहता हूं इसमें जो संशोधन पेश हुआ है उसकी कोई जरूरत नहीं है । ऐसे ही यह बाहर चल रहा है । तो यू०पी० की कंडीशन, जैसा आप कहते हैं कि जरायम पर कंट्रोल है । न्याय प्रणाली ठीक चल रही है और शांति सुव्यवस्था है तो इसकी यहां क्या जरूरत है ।

तो मैं फिर कहता हूं कि इसको कम से कम सेलेक्ट कमेटी को तो भेज ही दें नहीं तो बेहतर यह होगा कि आप इसको विड्रा कर लीजिये । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, त्रिवेणी सहाय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अपने प्रदेश के अन्दर एक वर्ग ऐसा था जो बेगार लेता था । और जिनसे बेगार ली जाती थी उनके साथ न्याय नहीं होता था ।

बेगार की प्रथा १९६७ में चौधरी चरण सिंह के समय में खत्म कर दी गई थी । प्रदेश के अन्दर जो आनरेरे मजिस्ट्रेट होते थे वह एक दम उड़ा दिये गये थे और इस प्रकार प्रदेश को राहत मिली थी जिसको सभी लोगों ने अच्छा कहा था । किन्तु पड़रहा है कि दिखाई आनरेरी मजिस्ट्रेट की जगह स्पेशल मजिस्ट्रेट का नाम दिया जा रहा है । हम जानते हैं कि दूध का जला मट्ठे को फूंक फूंक कर पीता है । हम जानते हैं कि इस प्रदेश को कैसे लुटाई हुई है और दोनों तरफ से पैसे लिये गये हैं । आज मंत्री जी उसी प्रथा को लाना चाहते हैं । आज कहा जा रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक लेकुना रहा था और उसको खत्म करने के लिये स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त करेंगे । आज इस प्रदेश की जनता चाहती है कि उसे न्याय मिले । परन्तु मंत्री जी के अपने पिठ्ठुओं को स्पेशल मजिस्ट्रेट बनायेंगे वह चाहते हैं कि जनता हमसे दूर भागती है चली जा रही है । इसलिये पुरानी प्रथा आये ।

श्री अधिष्ठाता---

पिट्ठू शब्द मैं समझती हूं कि असंसदी है इसलिये इस शब्द का प्रयोग न तो मेहरबानी होगी ।

श्री हिम्मत सिंह---

आनरेरी मजिस्ट्रेट की प्रथा को संविद सरकार में समाप्त किया था । किन्तु वही प्रथ मंत्री जी फिर लाना चाहते हैं । वे अपने पिठ्ठुओं को लायेंगे । सरकारी कर्मचारी जी जो रह चुके हैं उनको फिर नियुक्त करेंगे जो कि हमारा काम करें । यह प्रथा दिखाई देती है ।

मान्यवर, जो सेकेन्ड क्लास के मजिस्ट्रेट हैं उनको फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट बनाया जा रहा है जिससे और अधिक बेईमानी करें आज यह आप देखे कि जो १०७ में हैं वहां कहा गया है कि जो केन्द्र में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया है उसमें लेकुना रह गया है कि जोस्योरेटीज नहीं रखीं । यदि उसमें लेटना रह गया तो क्या यह आप का बात हुआ है । यदि लेकुना है तो केन्द्र को लिखकर कर आप भेंज दे । इसमें स्योररिटीज लिये जायें कि नहीं उस पर वहां बहस हो चुकी है ।

आपको मालूम होना चाहिये कि जो छोटे-छोटे झगड़े होते हैं उनमें भी आदमी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है । दरोगा १०७ में यदि किसी आदमी को काम पर भेंज देता है तो गांव में उसके पक्ष तथा विपक्ष के लगभग १००-१५० आदमियों को गवाहियों आदि में जाना पड़ता है । इस प्रकार इस आदमी का काफी धन उसके ऊपर खर्चा होता है उसको आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है । यदि आप ला एण्ड आर्डर बनाना चाहते हैं तो उसको ठीक से सोचिये । दरोगा गांव में एक पार्टी में पूरे गाव के लोगों को बांधकर भेंज देता है इसलिये उसको १०० की जगह १००० स्योरेटीज चाहिये । तो यह ठीक नही है ।

उसको स्योरिटी बढ़ा दी जाय लेकिन दो स्योरिटलेना समझ में नहीं आता है, इसलिये इस पर विचार किया जाय । यदि आज सैकड़ों आदमी पूर्व में भूखों मर रहा है और पत्ते खा कर जीवन बिता रहा है । वह रोटी के लिये लड़ाई करे तो आप उसक बन्द करवाते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हिम्मत सिंह]

मान्यवर, आज ऐसा आदमी जो देश को लूटना चाहते हैं उनकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से लोग टिनोपाल की ड्रेस में जनता को लूट रहे हैं। कचेहरी और विधान सभा और विधान परिषद के बाहर सैकड़ों आदमी घूमता है और लोगों से कहता है कि फलां अधिकारी या मंत्री से वह काम करवा देंगे। ऐसे आदमी मंत्री के नाम पर पैसा लेता है, मैजिस्ट्रेट के नाम पर पैसा लेता है। जिसके पास जरिया मास नहीं है उसे आप १०९ में बन्द कर देते हैं और माचिस और आलानकब दिखला देते हैं। यदि कभी १०९ के मुकदमें कम आते हैं तो भी लोगों को बन्द कर दिया जाता है। लेकिन आपके चारों ओर जो लोग घूमते हैं उनके लिये कुछ क्यों नहीं किया गया है।

आपने कहा जो थाने हैं उनके क्षेत्र का अधिकार सरकार के पास रहने में विलम्ब होता है इसलिये आई० जी० को दे रहे हैं। अब थाने आबादी के अनुसार होना चाहिये। आज थाने में क्या हालत है? क्या उनके पास हथियार वैसे ही हैं जो डकैतों के पास हैं। डकैत स्टेन-गन, रिवाल्वर के साथ कार या मोटर साइकिल पर आता है। वह रेल के द्वारा भी आता है। गरीब जनता उससे पीड़ित हो रही है। आप का पुलिस विभाग तब पहुंचता है जब आदमी के सारे कर्म हो जाते हैं। फिर कहता है कि तुमने लूटा है और बन्द कर देते हैं।

अब थाने और चौकियां बढ़ाने में जत देरी होती थी वह नहीं होगी। इसी कारण यह संशोधन लाये हैं। ऐसा करने पर जुर्म में कमी होगी और प्रदेश का कल्याण होगा। मैट्रो पोलिटन शहर १० लाख पर माना जाता पर अब ५ लाख पर माना जावेगा। इससे प्रदेश में गुंडा गर्दी कम होगी। लेकिन जब आज संख्या के आकार पर होंगे तभी लाभ होगा दिक्कत यह है कि जो आपके संरक्षण प्रक्ष जो लोग हैं आप उनको पकड़वाते नहीं जो भले आदमी हैं उनको पकड़वाते हैं।

इसलिये आपको जो वोटिंग के वक्त मदद करते हैं, वे तो सरीफ और नेक आदमी हैं, बिल्कुल इन्नोसेंट हैं और उनके जो दश्मन हैं, उनको खतरे में डालते हैं, बन्द करते हैं। इसलिये आपको इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आपके सामने हो क्या रहा है, और बचाव के क्या साधन उठ रहे हैं।

मान्यवर, एक संशोधन और लाया गया है और वह यह है कि जो न्याय पहले जनता के हित में होता था, उसको अहित में कर रहे हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहता हूं कि उस संशोधन को वापस ले लें। मान्यवर, वह जो पहले क्वेश्चन अन्सर के शक्ल में था, उससे बड़ा भारी कल्याण था और जो अब नैरेटिव फार्म में कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। जब दूसरी पार्टी का वकील गवाह से जिरह करता है तो जज कहता है कि समझकर जवाब दो और जज गवाह को इस प्रकार धमकाता है। इससे गवाह घबड़ा जाता है और जो मैजिस्ट्रेट और सरकारी वकील चाहता है, वही कागज पर आ जाता है। इससे गरीब जनता को न्याय नहीं मिलने वाला।

आपके मुकदमें अदालत में जज की वजह से नहीं छूटते बल्कि छूटते इसलिये हैं कि गलत आदमी को फंसाते हैं। दरोगा और थानेदार मुल्जिम से पैसा लेकर गवाहों को बहकाते हैं। वह गलत है इसलिये इस ओर आपका ध्यान दिया जाना चाहिये। आज जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि न्यायप्रिय जनता को न्याय दिलाने में पूरे-पूरे बाधक बन रहे हैं। जो प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता में दी गयी है, उसमें कोई अमेंडमेंट न करें और उसे वापस ले लें।

मान्यवर, आपने जो जुर्माने की बात कही है, वह तो मेरी समझ में आती है कि जो छोटे छोटे जुर्म हैं, उनमें सजा, नोटिस जाय, लिख दिया जाय, वह चाहे लड़ें चाहे न लड़ें, क्योंकि ५०सों तारीखें पड़ती हैं। उतना तो अच्छा काम किया है और उसके लिये

धन्यबाद देता हूं । लेकिन इस समय जो दंड प्रक्रिया संहिता का आपने संशोधन किया है, उसके लिये मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की ९ करोड़ जनता क्षमा नहीं करेगी । इन शब्दों के साथ मैं भाई त्रिवेणी सहाय जी के संशोधन का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री त्रिवेणी सहाय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया है, उसके संबंध में इधर और उधर के, करीब-करीब सभी माननीय साथियों का हमारा जो प्रवर समिति का प्रस्ताव है, उसके लिये समर्थन मिला है। दिल से समर्थन मिला है। हम चाहते हुये भी ऐसा लोगों ने बोला है कि उससे यही परिलक्षित होता है कि हमारे संशोधन का समर्थन कर रहे हो । हमारा संशोधन जो है, वह यह है कि यह जो विधेयक लाया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा, थर्ड क्लास के एक "आई" को निकाल कर सेकेंड क्लास बनाने की जैसे बात है, वही यह हुआ है। आपने, मान्यवर, देखा कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो प्राविधान किया गया है, इसी विधान सभा में बैठकर आनरेरी मैजिस्ट्रेट को खत्म करने की बात हर माननीय सदस्य ने कही और यह मांग आई कि इसको खत्म किया जाय और वे खत्म कर दिये गये । लेकिन उसको फिर से परोक्ष रूप से इस तरह से लाया जा रहा है कि जो रिटायर्ड जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होंगे और जो ५-१० साल से कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे होंगे, उनको इनाम के तौर पर कहीं न कहीं स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनाने की बात का अक्सर माननीय राज मंगल पांडेय जी को या सरकार को दिया गया है ।

इसका विरोध होना चाहिये था जब उन्होंने नहीं किया । मेरा कहना यह था कि इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे और मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह १०७ में जमानत लेने के प्राविधान को हटायेंगे क्योंकि १०७ की जमानत में धन का बड़ा अपव्यय होता है।

*श्री राज मंगल पांडेय--

अधिष्ठाता महोदय, सारी डिबेट में केवल १०७ पर विशेष बल दिया गया कि जहां विथ और विथआउट श्योरिटीज है उसे निकाल दिया जाय । अगर निकालना ही होता तो लोक सभा के इस संशोधन के बाद फिर हमें रखने की आवश्यकता ही या पड़ती ? पहले ही मैं निवेदन कर चुका हूं कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां थीं उत्तर प्रदेश के शासन को और उनके फलस्वरूप मजबूर हो कर हमको इस संशोधन को फिर से ले आना पड़ा ।

एक बात जो बड़े जोर शोर से कही गयी शासन तंत्र किसी का भी हो और मजबूत से मजबूत होम मिनिस्टर भी हो उनमें किसी की हस्ती ऐसी नहीं है चाहे चौधरी साहब हों, माधव बाबू हों, राम सेवक यादव हों अथवा कोई एम०एल०ए० हो जिनके खिलाफ कांग्रेस सरकार ११७ की कार्यवाही कर के श्योरिटीज की बात उत्पन्न कर सके । कभी शासन तंत्र से ऐसी भूलें हुई तो उन भूलों का फल शासन तंत्र को भुगतना पड़ा । किसी कार्यकर्ता को शासन-तंत्र ने विक्टेमाइज करने की नीयत से गलत तरीका अख्तियार भी किया तो बजाय उसके कि हम उससे कोई और चीज हासिल कर सकते हमने उसे सम्मान ही दिलवाया।

१०७/११७ का प्रयोग हम में से बहुत से माननीय सदस्यों के खिलाफ करके पुलिस ने अगर हमको सताया न होता तो शायद इस सदन में हम आये भी न होते। यह बात हम लोगों के हक में है और इसे माननीय सदस्यों को स्वतः स्वीकार करना चाहिये कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं पुलिस के जोर मुल्म से कल वह सदन के सदस्य होंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह मैं इत्मीनान दिलाता हूं मंत्री महोदय को कि मेम्बर्स ब्रीच आफ पीस यहीं करते हैं, बाहर नहीं करते।

श्री राज मंगल पांडेय--

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह संशोधन करना पड़ा। जब ला एंड आर्डर पर बातचीत होती है तो इस सदन के माननीय सदस्य पूछते कि जब उसने जान-माल की सुरक्षा की बात लिखी थी तो क्या कार्यवाही की गयी और उसको अगर बुलवाया गया तो सिंगल बांड पर छोड़ दिया गया। लेकिन पर्सनल बांड इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह से १०९ सेक्शन की बात है। अंग्रेजो के जमाने से चला आ रहा है १०९/११० लेकिन आज तक डिलीट नहीं हुआ और आने वाले सैकड़ों वर्ष तक उसके डिलीट होने की संभावना नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी का यह सिद्धांत था, अंग्रेजों के जमाने से इस सिद्धांत की वह मानती चली आ रही है कि १०९/११० को ड्राप करना चाहिए।

(इस समय ३ बजकर ४८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, महसूस करने के बाद हम नहीं कर सके और माधो बाबू ने महसूस तक नहीं किया कि १०९/११० हटा देनी चाहिए। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यगण बड़े-बड़े वकील हैं और वे जानते हैं कि ३९५ में किस तरह से लाइट जलायी जाती है किन्तु हमारे जनमत के सामने कोई आल्टरनेटिव नहीं है कि उसमें क्या आल्टरनेटिव रखा जाय। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उस प्रक्रिया को कायम नहीं किया क्योंकि हमारे सामने बहुत सी मजबूरियां थीं। हम महसूस करते थे कि ऐसा होना चाहिए।

जब हम देखते हैं कि दो जिले आपस में लड़ते हैं, ला एन्ड आर्डर सीचुयेशन खराब होती है और एक थाना या कांस्टीबुल के लिए वह एरिया मुश्किल हो जाता है तो हमने उसको पावर ज्यादा दे दी। इसलिए नहीं कि वह उसका दुरुपयोग करे बल्कि इसलिए कि वह परिस्थितियों के अनुकूल वहां का काम कर सके। पुलिस के जुल्मों-सितम की कहानी यहां आये दिन कहीं जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन १० वर्षों में पुलिस के ऊपर चौगुना भार बढ़ गया। आज सन् ७४ में जो पावर्स पुलिस को हैं वह दस वर्ष पहले यानी सन् ६४ में नहीं थी, इसे कौन नहीं जानता है। लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। न चाहने के बाद भी, पार्लियामेंट के मान लेने के बावजूद भी तथा ओरीजिनल बिल आने के बावजूद भी हमें यह संशोधन लाना पड़ रहा है।

हमारे पुलिस महानिरीक्षक जो कि ला एन्ड आर्डर में लगे हुए हैं वे आज इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उन लोगों को इफेक्टिवली डील नहीं कर सकते हैं जो कि समाज में शांति व्यवस्था नहीं बनाये रखना चाहते हैं। इसलिए इस संशोधन को लाने के लिये। हम मजबूर हैं। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। डीलिमिटेशन के बारे में कहा कि थानों के जूरिस्डिक्शन को बढ़ाया गया है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड के ट्रांसफारमर्स चोरी होते थे। कई जिले ऐसे होते हैं जो कि बार्डर पर होते हैं और उसकी चोरी किसी एरिये में होती है और पकड़े किसी दूसरे एरिये में जाते हैं। तो हमने इस बात की कोशिश की है कि जो एरिया किसी जिले को मिला होता है उसकी सीमा बढ़ाई जाय और उसका अधिकार पुलिस महानिरीक्षक को दे दिया है।

इसी सदन में यह बात भी आई कि २९८ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भरती करने की बात क्या हुई। तो उसमें १०० लोगों का तो इंटरव्यू हो चुका है और १०० के बारे में कार्यवाही हो चुकी है। केसेज पेंडिग पड़े हैं इसलिए सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट को जो पावर्स हैं उनको इक्सपैंड करके उसे शक्ति प्रदत्त की गई है ताकि काम में सुगमता हो सके। इस उद्देश्य से हम यह संशोधन ला रहे हैं। आनरेरी मजिस्ट्रेट के लिए कहा जाता था कि वह राजनीतिक कारणों से करेप्ट हो जाता था और पैसा लेकर फैसला देता था। रिकमेन्डिंग अथौरिटी हम हैं और हाईकोर्ट फैसला देता है। हम तो केवल एक एडवाइजरी बाडी हैं।

१-४-७४ जब से यह अमेन्डमेन्ट आया मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कमी की वजह से हमारे केसेज डिस्पोज नहीं हो पाते थे, सालों तक पड़े रहते थे जब तक ये २९८ मुंसिफ मजिस्ट्रेट तैनात नहीं हो जाते तब तक केसेज पेंडिंग रह जाते। इसलिए यह महसूस किया गया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो १-४-७४ तक का जो वर्क लोड है उसका इस संशोधन के द्वारा निपटारा किया जा सके। और १-४-७४ के बाद तो किसी मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के यहां से केस हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह इसकी भावना को समझें, वह स्वतः परिचित भी हैं, क्योंकि जब वह बोल रहे थे तो मुस्करा रहे थे। वह महसूस करते रहे कि जो हम लाए हैं वह ठीक है, उनकी और जब जनकी आकांक्षाओं के अनुरूप है, किन्तु विरोध में बैठने के कारण उसके विरोध में कुछ न कुछ बोलना ही है, इसलिए वह बोलते रहे। जनमत को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए और यह देखते हुए कि हम जनता को सस्ता और सुगम न्याय दिला रहे हैं, जो हमारी और उनकी सदैव से आकांक्षा रही है, उसकी पूर्ति में यह एक महत्वपूर्ण कदम है--

श्री हिम्मत सिंह--

दृष्टिकोण में बड़ा फर्क है। चाहते हैं आप, लेकिन आपका यह प्रयास यह संशोधन विपरीत दिशा में जायगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

इन सब बातों को देखते हुए यह आवश्यक है और निवेदन है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस ले लें। और इसे पारित करें।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय--

क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इस धारा का दुरुपयोग राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध और छात्रों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

मैं इसके लिए तीन मर्तबा कहता हूं, 'नहीं होगा' नहीं होगा', 'नहीं होगा'।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट १५ दिन के अन्दर दे दे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से १६, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974)

(जैसा उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ को उत्तर प्रदेश में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) यह दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से प्रवृत्त समझा जायगा ।

१९७४ के अधिनियम संख्या २ की धारा २ का संशोधन

२—दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, की धारा २ में खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:—

"(घ) 'पुलिस थाना' से—

(क) कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है, जिसको राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, पुलिस थाना होना साधारणतया या विशेषतया घोषित किया गया हो, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है; या

(ख) कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसको राज्य सरकार द्वारा किसी वर्ग से अथवा किन्हीं वर्गों के मामलों के निमित्त किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए पुलिस थाना होना साधारणतया या विशेषतया घोषित किया गया हो;"

धारा ३ का संशोधन

३—उक्त संहिता की धारा ३ में, उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(४) जहां कि इस संहिता से भिन्न, किसी विधि के अधीन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य कोई कृत्य ऐसे विषयों के सम्बन्ध में हो—

(क) जिनमें साक्ष्य का अभिमूल्यन या उसकी छानबीन अथवा किसी ऐसे विनिश्चय का किया जाना जो किसी व्यक्ति को किसी दण्ड या शास्ति की या अन्वेषण, जांच या विचारण के लम्बित रहने के दौरान अभिरक्षा में निरोध की आशंका में डाले या जिसका प्रभाव यह हो कि वह किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेज दिया जायेगा, अंतर्वलित हो वहां के, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे, या

(ख) जो प्रशासनिक या कार्यकलाप प्रकार के हों, जैसे कि अनुज्ञप्ति देना, व्यक्ति या सम्पत्ति की परख, शिनाख्त कार्यवाहियों का संचालन करना, मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करना, शपथ-पत्र पर शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाना, कोई

अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करना, अभियोजन की स्वीकृति देना या अभियोजन प्रत्याहृत करना वे यथा पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य होंगे ।"

धारा ८ का संशोधन

४—उक्त संहिता की धारा ८ में,—

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, राज्य में कोई क्षेत्र जिसमें कोई ऐसा नगर या टाउन समाविष्ट हो जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, इस संहिता के प्रयोजन के लिये मैट्रोपोलिटन क्षेत्र होगा ।"

(ख) उपधारा (३) और (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:—

"(३) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी मैट्रोपोलिटन क्षेत्र की सीमा का विस्तार, उसमें कमी या परिवर्तन कर सकेगी किन्तु कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जायगा जिससे कि उस क्षेत्र की जनसंख्या पांच लाख से कम हो जाय ।

(४) जहां कि किसी क्षेत्र को मैट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित किए जाने अथवा घोषित किए गये समझे जाने के पश्चात् उस क्षेत्र की जनसंख्या पांच लाख से कम हो जाय, वहां ऐसा क्षेत्र उस तारीख से ही जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, मैट्रोपोलिटन क्षेत्र नहीं रह जायेगा, किन्तु ऐसी समाप्ति के होते हुए भी, ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व लम्बित कोई जांच, विचारण या अपील के सम्बन्ध में इस संहिता के अधीन इस प्रकार कार्यवाही की जाती रहेगी मानों ऐसी समाप्ति न हुई हो" ।

धारा १३ का संशोधन

५—उक्त संहिता की धारा १३ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(१) उच्च न्यायालय, यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाय, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में जो मैट्रोपोलिटन क्षेत्र न हो, विशिष्ट मामलों के, या मामलों के विशिष्ट वर्गों के या साधारणतः मामलों के बारे में वे सभी शक्तियां या उनमें से कोई जो इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रथम या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदेय है, किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान कर सकेगा जो सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए है या धारण कर चुका है परन्तु ऐसी कोई शक्ति व्यक्ति को तब तक प्रदत्त न की जायगी तब तक कि विधिक कार्यकलापों के सम्बन्ध में वह ऐसी अर्हता या ऐसा अनुभव न रखता हो जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।"

धारा १८ का संशोधन

६—उक्त संहिता की धारा १८ में, उपधारा (३) निकाल दी जाय।

[श्री अध्यक्ष]

धारा २० का संशोधन

७—उक्त संहिता की धारा २० में, उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(६) राज्य सरकार उपधारा (४) के अधीन की अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

धारा २४ का संशोधन

८—उक्त संहिता की धारा २४ में,—

(क) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(५) कोई व्यक्ति उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष से अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा हो।

(६) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग के लिये किसी अधिवक्ता या प्लीडर को, जो कम से कम दस वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो, अथवा धारा २५ के अधीन नियुक्त किसी सहायक लोक अभियोजन को विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्त कर सकेगी।"

(ख) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(७) जहां किसी विशिष्ट मामलों के प्रयोजनों के लिये कोई लोक अभियोजक अथवा अपर लोक अभियोजक उपलब्ध न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, किसी ऐसे अधिवक्ता अथवा प्लीडर को जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो, उस मामले का प्रभारी लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगा।"

धारा २५ का संशोधन

९—उक्त संहिता की धारा २५ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(४) धारा २४ की उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट कोई लोक अभियोजक, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये जाने पर, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी अभियोजन संचालित कर सकेगा।"

धारा १०७ का संशोधन

१०—उक्त संहिता की धारा १०७ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय:—

"जब किसी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को इत्तिला मिले कि वह संभाव्य है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक अशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसो सदोष कार्य करेगा जिससे अभिसंभाव्यतः प्रशांति भंग हो जायेगी और उसकी यह राय हो कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे व्यक्ति से एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि वह एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रशांति कायम रखने के लिये बंध-पत्र, प्रतिभूओं सहित या रहित, निष्पादित करने के लिये क्यों न आदिष्ट किया जाय।"

११—उक्त संहिता के अध्याय १४ में, धारा १९९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— नई धारा १९९—क का बढ़ाया जाना

"१९९—क—धारा १९७ तथा धारा १९९ की उपधारा (२) तथा (४) के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो किसी स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कम्पनी अथवा अन्य ऐसे निगम या निकाय में जो पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहा हो, अथवा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन किसी उद्योग या शैक्षिक संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा हो, उस समय जब वह इस रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा हो अथवा उसका कार्य करना तात्पर्यित हो, राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिये नियोजित समझा जायगा।" धारा १९७ तथा १९९ के कतिपय उपबन्धों का, लोक सेवकों के संबंध में, जब वे प्रतिनियुक्ति पर हों, निस्तारण

१२—उक्त संहिता की धारा २०६ में,— धारा २०६ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच सौ रुपये से अधिक न होगी।"

(ख) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(२) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, मामूली (अपराध पेटी आफेन्स) से भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं, अर्थात् धारा १६०, १७२, १७३, १७४, १७५, १७६, १७८, १७९, १८०, १८५, १८७, १८८, २०२, २७९, २९१, २९४, ३०९, ३२३, ३३४, ३३६, ३३७, ३५२ और ३५८ में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अथवा एक हजार रुपये से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मोटर वेहिकिल्स, ऐक्ट, १९३९ के अधीन अथवा किसी ऐसे अन्य विधि के अधीन, जिसमें दोष के अभिवाक पर अभियुक्त को उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध करने की व्यवस्था हो इस प्रकार दण्डनीय कोई अपराध नहीं है।"

१३—उक्त संहिता की धारा २७६ में, उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय अर्थात्:— धारा २७६ का संशोधन

"(२) ऐसा साक्ष्य सामान्यतः वृत्तांत रूप में लिखा जायगा, किन्तु पीठासीन न्यायाधीश स्वविवेकानुसार, ऐसे साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्नोत्तर के रूप में लिख सकेगा अथवा लिखवा सकेगा।

१४—उक्त संहिता की धारा ४३२ में, उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्— धारा ४३२ का संशोधन

"(४) वह शर्त, जिस पर दण्डादेश का निलम्बन या परिहार इस धारा के अधीन किया जाता है, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके पक्ष में दण्डादेश का निलम्बन या परिहार किया जाता है, पूरी की जाने वाली हो सकेगी या ऐसी हो सकेगी जो उसकी इच्छा के अधीन न हो और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा (ऐसे प्ररूप में जैसा सरकार विहित करे) प्रतिभूओं सहित या रहित किसी बन्ध-पत्र या निष्पादन भी आ सकेगा।"

[श्री अध्यक्ष]

धारा ४४६ का संशोधन

१५—उक्त संहिता की धारा ४४६ में, उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(३—क) जहां कि धारा ४३२ की उपधारा (४) के अधीन निष्पादित बन्ध-पत्र के सम्बन्ध में, ऐसे न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का जिसे इस निमित्त बन्ध-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह समाधान हो जाय कि बन्ध-पत्र को समपहृत किया गया है, तो न्यायालय या प्राधिकारी समाधान के आधारों को अभिलिखित करेगा, और ऐसे बन्ध-पत्र द्वारा आबद्ध किसी व्यक्ति से उसकी शास्ति का संदाय करने की अथवा यह कारण बताने की कि शास्ति का संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए, अपेक्षा कर सकेगा। यदि पर्याप्त कारण न बताया जाय और शास्ति का संदाय न किया जाय तो उक्त न्यायालय या प्राधिकारी वसूल की जाने वाली रकम तथा उस व्यक्ति को जिससे वह वसूल की जायगी, विनिर्दिष्ट करते हुए, कलेक्टर को प्रमाण-पत्र भेजेंगे, और ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसे वसूल करने की ऐसी कार्यवाही करेगा मानों वह रकम राजस्व का बकाया हो।"

धारा ४८४ का संशोधन

१६—उक्त संहिता की धारा ४८४ में, उपधारा (२) के खण्ड (क) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि इस संहिता के प्रारम्भ होने के समय उन न्यायालयों, जिनमें पुरानी संहिता के अधीन प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रटों के रूप में सशक्त अधिकारी जो इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गये हैं, पीठासीन अधिकारी थे, में लम्बित मामलों का विचारण और निपटारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा पारित किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों द्वारा किया जाता रहेगा जो पुरानी संहिता के उपबन्धों के अनुसार प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का ऐसे प्रयोग करते रहेंगे मानों वह संहिता प्रवृत्त न हुई हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६ तथा खण्ड १—प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४†

*श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए। मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ३० जून, १९७३ को हमारी ४ महापालिकाओं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी तथा आगरा, का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। फिर उनके परिसीमन की बात थी। तो इस संशोधन के माध्यम से हमने इस बात के लिए प्रक्रिया अपनाई कि जहां पर भी वह समय बीत चुका है महापालिकाओं या उनकी समितियों का या उनकी जगह पर किसी और तरीके से उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, हम वहां पर सरकार की तरफ से उन निर्दिष्ट व्यक्तियों को जिनको ऐडमिनिस्ट्रेटर कह लें, उनको नामिनेट करेंगे, उनका कार्यकाल एक वर्ष होगा और किसी परिस्थिति में यह कार्य काल एक वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ाया जायगा। हमने इसके माध्यम से यह रखा, हमने इस बीच में तय किया कि हम उनका परिसीमन भी करा सकें, परिसीमन के पत्र तैयार हो रहे हैं।

यह छोटा-सा संशोधन, मामूली-सा संशोधन है, इसलिए ३० जून, १९७३ को समाप्त हो रहा था, महापालिका भंग हो गई, ऐडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से जहां प्रशासन चल रहा है, एक साल ऐडमिनिस्ट्रेटर की परिधि और बढ़ाने का है, इसी बीच में जनगणना की बात है। आर्डिनेंस हो चुका था, अब बिल के रूप में लाये हैं, ताकि ऐक्ट के रूप में उसको रिप्लेस कर सकें। यह बहुत सीधा सा विधेयक है, ऐसी बात नहीं है जिसमें विवाद हो।

श्री ओमप्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में दे।

मान्यवर, यह संशोधन जो माननीय मन्त्री ने अभी प्रस्तुत किया है वह वाकई बहुत छोटा तो है, देखने में बहुत मासूम लगता है। लेकिन इस सदन द्वारा इस संशोधन को पारित किया जाना, इसका मतलब यह है कि हम भी या सदन भी इस मत का है कि इस सदन को भंग करके बहुत समय तक राज्यपाल का शासन करना या वहां प्रशासन का किया जाना जनहित में है। इस बात का समर्थन होगा इस संशोधन को पास करना है। मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है, इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी, कार्य-काल समाप्त हो रहा था इसलिए विधेयक की आवश्यकता पड़ी। मैं इसे मानता हूं। लेकिन सरकार को इस विधेयक को बिना लाये ही एक साल तक किसी भी मगरपालिका को भंग करके प्रशासक का शासन बनाये रखने का अधिकार पहले से है।

क्या कारण हुआ कि एक वर्ष के अन्दर उन नगर महापालिकाओं का शासन जन प्रति-निधियों के हाथ में नहीं दिया गया। परिसीमन एक बहाना मात्र है। इन नगर महापालिकाओं के भंग हो जाने के बाद जन गणना हुई, उसके आधार पर विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, लोक सभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ। विधान के चुनाव हुये। जहां बड़े सदन का चुनाव कराया जा सकता है, उस जन गणना के आधार पर चार नगर महापालिकाओं का परिसीमन करा कर चुनाव कराना सरकार क्या असंभव समझती है। यह परसीमन एक मात्र बहाना है जन प्रतिनिधियों के हाथ से शासन छीनने का।

---

†१८ जून, १९७४ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश सिंह]

सभी को पता है कि प्रधान मंत्री कहती थीं कि हम संसद् का अभी चुनाव नहीं करायेंगे लेकिन रातोरात संसद् के चुनाव की घोषणा हुई और दो महीने के अन्दर चुनाव हुये। जब देश का इतना बड़ा चुनाव यह सरकार सदन को भंग करके पुनः करा सकती है तो चार नगर-महापालिकाओं का परिसीमन क्यों नहीं हुआ, जब कि विधान सभा के क्षेत्रों का परिसीमन हो सकता है। लेकिन अपनी कार गुजारी इस क्षेत्र में प्रदर्शित कर रहे हैं इस विधेयक के द्वारा। जिसमें इस सरकार का स्वार्थ है जिसको यह चाहती है अपने हित में, जिसको चाहती है, जनहित में कहती रहती है। और जिस बात को यह अपने हित में नही मानते हैं उसमें जनहित का बहाना बनाकर रोक लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह संशोधन पारित होता है तो इसका मतलब यह है कि यह सदन इस मत का है कि प्रदेश में राज्यपाल का शासन हो और नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स का शासन हो। जन-प्रतिनिधियों का शासन अच्छा होता है। अगर इस संशोधन को पारित करते हैं तो जन-प्रतिनिधियों के शासन के प्रति अविश्वाश का प्रस्ताव पास करेंगे। परिसीमन के बहाने जनता को, अपने हित की रक्षा के लिये, गुमराह करने का तरीका है। इसमें कोई कारण नहीं है कि परिसीमन करा कर जून, १९७४ में चुनाव करा देते और इसके लाने की आवश्यकता नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि सरकार के ऊपर बिरोधी दलों का और जनता का लांछन है कि तानाशाही प्रवृति का सरकार परिचय दे रही है, आप जन प्रतिनिधियों के हाथ से शासन छीन कर एक साल तक और शासन को आप अपने नियुक्त किये एडमिनिस्ट्रेटर्स के हांथ में रखना चाहते हैं। जन प्रतिनिधियों के हांथ में इनका शासन नहीं रहने देना चाहते हैं। एक समय ऐसा था जब कि कई राज्यों में राष्ट्रपति का शासन था। तानाशाही एकदम नहीं आया करती है बल्कि वह धीरे-धीरे आती है। यह इसका परिचायक है कि आप किस तरह से तानाशाही लाना चाहते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर उनका यह मकसद था कि एक साल और बढ़ाया जाय या उनकी हिम्मत नहीं थी कि भंग करके चुनाव कराये जायें तो जन प्रतिनिधियों का कार्य काल क्यों नहीं बढ़ाया गया और क्यों एडमिनिस्ट्रेटर्स के हांथ में इनका शासन दिया गया। इसका परिणाम हर सदस्य जानता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के समय में नगरमहापालिकाओं का शासन कैसे चलता है। राष्ट्रपति के शासन में अधिकारियों के हांथ में शासन कैसे चलता है। इसका अनुभव हर एक को है। इसलिये हम लोग चुनकर जल्दी आये। हम मांग करते थे कि चुनाव जल्दी कराये जायं। आज क्या कारण है कि जो प्रतिनिधि मांग करते थे कि राष्ट्रपति का शासन जल्द समाप्त करके सदन के चुनाव कराये जायं वही सदन के सदस्य एक साल के लिये जन प्रतिनिधियों के हांथ से शासन छीनकर प्रशासकों को देना चाहते हैं।

यह सरकार की गलत नीति को उजागर करता है। इसलिये मैं कहूंगा कि अगर सदन इसको पारित करता है तो इस बात में विश्वास करता है कि जन प्रतिनिधियों का शासन प्रशासक के शासन की तुलना में किसी तरह से अच्छा नहीं है। इसमें जल्दी नहीं की जानी चाहिये। मैं कहूंगा कि सरकार ने जिला परिषद् के चुनावों को कितने दिनों तक टाला था और आज भी कोई वायदा नहीं किया गया है, उनका विश्वास नहीं है कि इस प्रकार का संशोधन विधेयक पुनः नहीं आयेगा। बहुमत आपका है इसलिये उसको आसानी से पास किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि परसीमन तो एक मात्र बहाना है। जन प्रतिनिधियों के हाथ से शासन छीन कर सरकारी अधिकारियों के हाथ में शासन यह सरकार देना चाहती है। जन प्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व को धीरे-धीरे समाप्त करने के तानाशाही के रास्ते पर यह एक कदम है।

इसके साथ ही इस सरकार ने कि किया कि जन प्रतिनिधियों का जो प्रशासन था वहां बड़ी गड़बड़ियां पायी गयीं। नगरपालिकाओं में भ्रष्टाचार बढ़ा। जिन नगर-पालिकाओं में जन प्रतिनिधियों का प्रशासन रहा है वहां अगर धन का दुरुपयोग हुआ है, गबन हुआ है तो यही आरोप इस सदन पर भी लगाया जा सकता है। दूसरी चीज अगर ज न प्रतिनिधियों का प्रशासन ठीक नहीं था, गबन होता है, भ्रष्टाचार होता है तो क्या कारण है कि उनका चुनाव जल्द नहीं कराया गया।

घोषणा करनी चाहिये थी कि २ महीने बाद या तीन महीने बाद चुनाव करा लेंगे इनकी घोषणाओं में कोई विश्वास नहीं है। मुख्य मन्त्री की बातों का जनता कितना विश्वास करती थी, अभी तक विश्वास था, लेकिन अब उसका विश्वास हटता जा रहा है। अब है कि जनवरी, फरवरी तक अवश्य करा लेंगे। आप चुनाव कब करायेंगे यह विधेयक नहीं जानता है विरोधी दल के सदस्य नहीं जानते हैं, सभी मंत्री भी नहीं जानते हैं और मैं तो समझता हूं कि २–३ मन्त्री ही जानते हैं।

श्री राजमंगल पाण्डेय––

घोषणायें करते हैं लेकिन आप लोगों के कारण मजबूर होकर तोड़ना पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश सिंह––

यह फिजूल का आरोप है। इसलिये मैं यह आग्रह करूंगा कि जो विधेयक है इसको प्रवर समिति को इसलिए भेजा जाये ताकि उसमें समय की सीमा रखी जाये। प्रशासक को वेतन देने की बात कही गयी है एक तो वह ऐसे ही खा रहा है। नगरपालिका उसको न दें। अगर पैसा देना है तो सरकार अपने जिम्मे ले। मैं कहूंगा कि इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता नहीं है। अगर यह प्रस्तुत किया गया है तो इसे प्रवर समिति को भेजा जाये। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ट्रिब्यनल बना दिया जाये। जो नगरपालिकाओं के भ्रष्टाचार जन प्रतिनिधियों के शासन के दौरान गबन आदि का आरोप लगाकर भंग किया जाता है। उसकी जांच यह ट्रिब्युनल कर ले अगर यह रिपोर्ट दे कि इसमें भ्रष्टाचार है या गबन है तो इनको भंग न करके तत्काल चुनाव कराया जाना चाहिये। तानाशाही को रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों का शासन अच्छा है। इसलिये प्रवर समिति को भेजने का जो संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)––

मान्यवर, मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई इरादा नहीं था। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और मैं समझता था कि यह बिना विरोध के पास हो जायगा। माननीय ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि यह बड़ा मासूम दिखायी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जनसंघ के भाई जो हैं खासतौर से उसका विश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। श्रीमन्, मैं बताऊं कि जब यह पिछले चुनाव होने जा रहे थे तो जो आरोप इस विधेयक के सिलसिले में लगाये गये मेरे पास अखबार की कटिंग नहीं मौजूद है अन्यथा मैं उसको पेश कर देता, इनके जो नेता थे और भी जो इनके दल के थे, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत है, खाद्यान की हालत खराब है रात को बिजली नहीं मिल रही है, इन सब बातों को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं कराया जायगा। मान्यवर, जिस वक्त यह कहा था, उस वक्त उनका यह विश्वास कायम था कि चुनाव नहीं होगा। परन्तु मान्यवर, चुनाव हुआ और अच्छी तरह से हुआ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपया इस अविश्वास को अपने मन से निकाल दें। संसद के चुनाव के समय भी यह कहा जाता था कि हमें संदेह है कि संसद का चुनाव कराया जायगा संसद समय से पूर्व भंग कर दी गई। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि संसद का चुनाव अच्छी तरीके से सम्पन्न हुआ। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र जनता में

[श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव]

जब विश्वास है तो जनता ही फैसले करे । यह हमारी मान्यता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस अविश्वास को अपने मन से निकाल दें और इसको निकाल देंगे तो जितनी शंकायें हैं वह सारी निर्मूल सिद्ध होंगी ।

दूसरी बात यह कहता हूं कि शायद यह प्रवर समिति का मर्ज जनसंघ के दल के लोगों के ही सिर पड़ा है । मैं समझता हूं कि इनको यह मर्ज इतना पकड़े है कि त्रिवेणी सहाय जी को तो मैंने प्रवर समिति नाम ही रख दिया है । अगर आपको कहीं एतराज है तो कोई, संशोधन एक लाइन वाले में भी चाहते हैं, तो वे अपना संशोधन पेश कर देते । लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जिसको एक फैड अंग्रेजी में कहते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजिये । दूसरी बात यह कही कि क्यों नहीं आपने परिसीमन करा लिया ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़ा चुनाव हो रहा था । पूरी ऐलेक्शन की मशीनरी चुनाव में लगी हुई थी और उसी के साथ यह भी चुनाव कराना सम्भव नहीं था कि इसका भी परिसीमन हो जाता । जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया इस बात का कि भाई एक साल का मौका चाहता हूं । उस बीच में चुनाव करा लिया जायगा । आप यह कहते हैं कि इस बात की क्या गारन्टी है कि आप चुनाव करा देंगे । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन की बड़ी गरिमा है । इस सदन में जो भी बातें कही जाती हैं, वे खुद ही काफी हैं । जब दुबारा कभी आपको इसका मौका आये तो आप कहें कि भाई आप अपना वचन भंग कर रहे हैं । तब शायद आपके तर्क में कोई दम रहता । लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो आधार आपके पास है उससे तो यह सही नहीं मालूम होता है ।

एक चौथी बात यह है कि आपका कहना यह है कि इस बिल को पास करने का मतलब यह होगा कि जन प्रतिनिधियों के शासन में आपको विश्वास नहीं है । मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधियों के शासन के बहुत से तरीके हैं । राष्ट्रपति का शासन जब लागू होता है तो उस वक्त संसद चलती रहती है । जो संसद में प्रतिनिधि चुने गये हैं, वे हमारे ही प्रतिनिधि हैं । हमने जनतंत्र की प्रक्रिया को नीचे तक चलाने के लिए प्रयास किया है । उस वक्त भी जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है जन प्रतिनिधि ही शासन करते हैं । यह सही है कि जिस ब्योरे से हम कोई बात उठाना चाहें, उतने ब्योरे से नहीं उठा पाते हैं । उसको ही समझकर जैसा कि हम समाजवादी आन्दोलन में कहा करते थे कि चौखंभा रूप हमारे शासन का हो, उसको मूर्त रूप देने के लिए अलग-अलग इकाइयां खड़ी की हैं । अगर आपत्तिकालीन स्थिति होने पर कोई इकाई भंग हो जाती है तो यह नहीं समझना चाहिये कि जन प्रतिनिधियों का शासन समाप्त हो गया । राष्ट्रपति शासन में भी आपकी बात संसद में भी उठायी जाती है ।

यदि नगरपालिकाओं में जन प्रतिनिधियों का प्रशासन समाप्त होता है तो आप यहां पर उनके बारे में प्रश्न उठा सकते हैं । आज ही सदन में देवरिया नगरपालिका के बारे में प्रश्न उठाया गया था । तो जन प्रतिनिधियों का शासन तो अपनी जगह पर बरकरार है लेकिन जो प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, उनको आप भी समझते हैं । तो जो आपको अविश्वास पैदा हो गया है, उसे अपने मन से निकाल दें । जैसा कि उन्होंने कहा कि यह बिल तो बड़ा ही मासूम दिखाई देता है, वास्तव में वह वैसा ही है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, को यदि स्वायत्त शासन गला घोंट विधेयक की संज्ञा दी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि चुनाव

कराना राज्य सरकार का कर्तव्य है। ३० जून, १९७३ को जिस समय प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन था, उस समय भी यहां पर चुनाव कराया जा सकता था लेकिन राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं कराया गया। नगर महापालिका अधिनियम की धारा ८ के अन्दर नगर महापालिकाओं का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता था लेकिन यह नहीं किया गया।

जिन ४ नगर महापालिकाओं के बारे में विधेयक लाया गया इनमें से ३ स्थानों पर गैर कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। आगरा और लखनऊ में संगठन कांग्रेस का और वाराणसी में गैर कांग्रेसी नगर प्रमुख था। अधिनियम की धारा ८ के अन्दर स्पष्टतया दिया हुआ है कि यदि किसी कारण से आवश्यक हो तो नगर महापालिकाओं का २ मर्तबा एक एक साल करके कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि नगर महापालिकाओं का चुनाव करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का वहन ठीक प्रकार से नहीं किया, इसलिए नगर महापालिकाओं को भंग नहीं करना चाहिये था। आज भी मैं कहता हूं कि जो वर्तमान नगर-महापालिका अधिनियम है उसमें इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संशोधन का मतलब तभी सार्थक होगा जब किसी कारण से जो नगर-महापालिका चल रही है जहां पर चुनाव फिर नहीं कर रहे हैं, अगर उनका कार्य-काल न बढ़ाया जा सका या किसी कारण से चुनाव नहीं कराया जा सका तभी वहां प्रशासक को बैठाया जा सकता है।

तो मेरा निवेदन है कि ऐसी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नगर-महापालिका अधिनियम अपने में सक्षम है, संपूर्ण है, उसमें इस बात का प्राविधान है कि नगर-महापालिका का चुनाव ५ वर्ष के लिए होगा और ५ वर्ष खत्म होने के पहले फिर राज्य सरकार को नगर महापालिकाओं के चुनाव करा देना चाहिये। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जो लोग सरकार में थे उन्होंने चुनाव नहीं कराया और लगभग एक साल एक महीना से अधिक हो गया है, इन चार नगरमहापालिकाओं में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। कहा भी गया है कि "देयर शुड बी नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन"—इस सिद्धांत का भी हनन इनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि जहां पर जनता के प्रतिनिधि न हों और न रहे हों तो चुनाव न कराकर आपने नौकरशाही को वहां पर बैठा दिया है, इस नीति की जितनी भी निन्दा और भर्त्सना की जाय वह कम होगी।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम में जैसा कि ओम प्रकाश जी ने कहा, इसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि यदि साल भर के अन्दर चुनाव कराया जा सके किसी भी कारण से तो एक साल के लिए प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। यह बात भी अत्यन्त ही अनुचित है और इसके उद्देश्य और कारण में जो यह कहा गया है कि परि-सीमन जिनका नहीं हो पाया है तो यह बहाना मात्र है। नगरमहापालिकाओं का चुनाव एक महीने, डेढ़ महीने के अन्दर कराया जा सकता है।

बराबर जब इस सदन में सवाल किये गये तो २९ विभागीय मुख्य मन्त्री जी ने, जिनके पास स्वायत्त शासन विभाग भी हैं, उत्तर दिया कि सितम्बर और अक्तूबर तक चुनाव करा दिया जायगा। बाद में लगता है कि उन्होंने इरादा बदल दिया और परिसीमन का बहाना लिया है और कहा है कि चुनाव फरवरी और मार्च, १९७५ में कराया जायगा। तो केवल यह बहाना मात्र है और इस संशोधन का और इस बिल का मेरा तो इस तरफ और उस तरफ के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इसका विरोध करना चाहिये, क्योंकि यह बिल और संशोधन समस्त जनतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

जहां एक ओर पिछले १३ महीने से नगरमहापालिकाओं का चुनाव नहीं कराया गया है, वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद नगरमहापालिका के संबंध में नगरमहापालिका अधिनियम को भी भंग किया जा रहा है और मुख्य मन्त्री जी जो स्वायत्त शासन मन्त्री भी हैं वहां किसी भी

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

मुख्य नगराधिकारी को नहीं भेज रहे हैं और जो उनकी पार्टी के नगर प्रमुख हैं उनको उन्होंने पूरी छूट दे रखी है, ८ महीने हो गये इलाहाबाद की नगर महापालिका में सरकार की ओर से कोई मुख्य नगराधिकारी भेजा नहीं गया है।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह तो इस बिल को वापस ले लें, यदि वापस नहीं लेते हैं तो मैं जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति के समक्ष भेज दिया जाय।

*श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, ओम प्रकाश जी का जो प्रवर समिति को इस संशोधन विधेयक को भेजने का प्रस्ताव है मैं उससे सहमत हूं।

मान्यवर, आप इस बात को मानेंगे कि प्रशासक काल में सरकार द्वारा तथा अधिकारियों द्वारा नगर महापालिकाओं में त्रुटियां पायी जाती हैं एवं जनता के प्रति परेशानियां करवायी जाती हैं। नगर महापालिका के प्रशासक काल में जो जो गांव सभा की जमीनें १९५७ में जब सीमाएं बनी थीं तो वह महापालिकाओं में आयी थीं। उस गांव समाज की जमीन को प्रशासक काल में मनमाने ढंग से प्रशासक महोदय या उनके अधिकारियों ने जनता को बांट दी और उसका आज तक कोई भी उल्लेख नगर महापालिका के रेकार्ड्स में नहीं है। आपने मेयो हाल कांड सुना होगा। जीप फ्लश लाइट के मालिकों ने गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया था और आज तक उनका कब्जा उस भूमि पर चला आ रहा है और नगरमहापालिका उनसे कब्जा लेने में बिल्कुल असमर्थ रही है।

नगर महापालिकाओं का जब से प्रशासक काल बढ़ा है तो दस साल पहले एक मास्टर प्लान लागू हुई थी जिसके अन्तर्गत नगर महापालिकाओं की सीमाओं के अन्दर से जो नेशनल हाई वे, जी० टी० रोड या ऐसा हैवी ट्राफिक पास होता था उसको महापालिकाओं की सीमा से बाहर से ले जाने का प्लान था। आज लगभग ८-१० वर्ष हो गये, किसी भी महापालिका ने बाई पास बनाने का प्रबन्ध नहीं किया। थोड़ा सा प्रबन्ध अगर कानपुर में हुआ भी तो उस बाई पास से ट्रैफिक पास न करवा कर शहर की सीमाओं के अन्दर से पास करवाया जा रहा है। इसके कारण नित्यप्रति दुर्घटनायें होती हैं और जानें जाती हैं।

इलाहाबाद में सारा ट्रैफिक शहर के अन्दर से पास होता है। इसी प्रकार से वाराणसी में भी है। वहां मास्टर प्लान लागू है लेकिन बाई पास बनाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। उस मास्टर प्लान में खराबी क्या है? मान लीजिये किसी लेन के अन्दर मास्टर प्लान में ३० फीट चौड़ी सड़क है। तो वहां तब तक नक्शा पास नहीं होगा जब तक वह ३० फीट चौड़ी न हो जाय और वह ३० फिट चौड़ी हो नहीं सकती क्योंकि उसके किनारे-किनारे दो-दो और तीन-तीन मंजिल मकान बने हुए हैं। उन मकानों को महापालिका गिरा नहीं पायेगी क्योंकि अगर गिरायेगी तो मुआविजा देना पड़ेगा। नतीजा यह होता है कि बगैर नक्शा पास कराये लोग मकान बनवा लेते हैं जिससे न तो महापालिका को टैक्स ही मिलता है और न नक्शा पास करने की फीस ही मिलती है।

इसी प्रकार शहरों में बहुत सी नजूल भूमि पड़ी हुई है। उसकी लीज जब एक्सपायर हो जाती है तो वह रेन्यू नहीं करते। आज इलाहाबाद सिविल लाइन्स में सैकड़ों बीघे जमीन और बंगले पड़े हुए हैं जिनकी लीज आज तक सरकार ने रेन्यू नहीं करवाई। जब एस० वी० डी० की सरकार थी तो उसने उसको फाइनलाइज किया था लेकिन दुर्भाग्य से वह सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं रही और आज तक वह वैसे ही फाइलों में बड़ा हुआ है। वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वह अपने अपने बंगलों की लीज यहां से रेन्यू करा कर ले गये हैं। अभी हाल ही में वहां के चीफ जस्टिस श्री वर्मा जी ने अपने बंगले का लीज यहां से रेन्यू करा कर ले गये हैं।

मैयो हाल कांड के जीप फ्लैश लाइट के मालिक ने अपने कई बंगलों की लीज रेन्यू करा ली परन्तु आम जनता के किसी भी बंगले की लीज रेन्यू नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन बंगलों के साथ जो खुली भूमि पड़ी हुई है उसको महापालिका लेना चाहती थी और जनता में उसका वितरण करना चाहती थी परन्तु सरकार ने आज तक उस लीज को रेन्यू नहीं किया। हुआ क्या है? लीज रेन्यू न होने के कारण उस पूंजीपति ने २३ बंगलों पर अपना कब्जा कर रखा है। मेरे पास उसकी लिस्ट है, मैं नम्बर बता सकता हूं। १३, स्ट्रेची रोड, २२क्वींस रोड, २६–ए––क्वींस रोड, ६–ए कालविन रोड, ९–ए म्यूर रोड, ८–स्ट्रेची रोड, २१–(ओल्ड ९–बी)–म्यूर रोड, ३४––सी साउथ रोड आदि आदि २३ बंगलों पर उसने कब्जा कर रखा है। वह भूमि नगर महापालिका को मिल सकती थी। मुझे संदेह है कि सरकार ने जानबूझ कर उस पूंजीपति को उन पर कब्जा दिलाने के लिये यह सब किया है।

अभी कुछ समय पूर्व एक बंगले में हाई कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट रहते थे, उनका सामान निकलवाकर फिंकवा दिया गया। उस बंगले को वापस दिलवाने का कार्य आज तक नहीं किया गया। एक विडो थी, उसका एक बंगले में देहान्त हो गया। उसके भी बंगले पर उस पूंजीपति का कब्जा हो गया।

टैक्सेशन के बारे में अधिनियम की धारा २३ के अधीन नगर महापालिका को पूरी पावर्स हैं, टैक्स को बढ़ाने की या घटाने की। किन्तु पिछले एक वर्ष से सरकार ने अपने एक आदेश से इलाहाबाद नगर महापालिका को इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के लिये मना कर दिया है। मुझे इसी सदन के अन्दर एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से यह बताया गया था कि सेन्ट्रल कैलकुलेशन कमेटी ने २१३ धारा के अधिकार को रुकवा दिया है। आज बताया गया कि चूंकि वह कमेटी बनी नहीं, इसलिये नये सिरे से लखनऊ नगर महापालिका धारा २१३ के अधीन नया टैक्सेशन लगाने जा रही है। लखनऊ नगरमहापालिका के प्रशासक को आज आप टैक्सेशन का यह अधिकार दे रहे हैं। क्यों नहीं आप चुनाव करा कर चुने हुए प्रतिनिधियों को यह अधिकार देते हैं कि वे आकर इस सम्बन्ध में निर्णय लें। माननीय मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि १९७५ से नया टक्सेशन लागू होगा। तो आप नवम्बर में चुनाव करा सकते हैं। उसके बाद काफी समय है जब कि आप यह कार्य करवा सकते हैं।

आज नगर महापालिकाओं के अन्दर प्रशासक होने के कारण वहां का विकास कार्य रुका हुआ है। अगर वहां चुने हुए प्रतिनिधि आये तो विकास कार्य तेजी के साथ हो सकता है। महापालिकाओं के लिये १० लाख रुपया केन्द्र ने दिया है स्लम्स एरिया की सफ़ाई के लिये। प्रशासक इस धन का दुरुपयोग करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि न होने के कारण सफाई का काम नहीं हो सकेगा। जहां-जहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहीं यह धन खर्च करने के लिये दिया जाय। इलाहाबाद नगर महापालिका को वह पैसा मिलेगा। और जो कानपुर, वाराणसी वगैरह में नगर महापालिकायें हैं वहां इसका एलाटमेंट न होना चाहिये वरना उसका दुरुपयोग होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा गांव समाज की जमीन का जो मैंने जिक्र किया, अगर नगर महापालिकाओं के पिछले रेकार्ड को निकाल कर देखा जाय तो आप पायेंगे कि प्रशासक काल में, गांव समाज से मिली जितनी भी जमीनें थीं, सन् ५७ में उन सब को भ्रष्ट अधिकारियों ने कब्जा करवा दिया और आज नगर महापालिकायें उन कब्जों को हटवाने में सक्षम नहीं हैं। ये कब्जे बदस्तूर कायम हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस अधिनियम के द्वारा आप अपने आफिसरों को विशेष अनुमति देंगे तो थोड़ी बहुत जमीन निकल सकती है। नगर महापालिकाओं में गांव समाज की जमीन पर नाजायज कब्जा करवा दिया गया है।

[श्री तीरथ राम कोहली]

इतना ही नहीं इलाहाबाद नगर महापालिका में पिछले ८ महीने से किसीभी मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति नहीं कर सके हैं। आज वहां की स्थिति क्या है, वहां होता क्या है? वहां पर एक असिस्टेंट इंजीनियर तो पूरी तरह से क्वालिफाइड इंजीनियर भी नहीं हैं केवल असिस्टेन्ट इंजीनियर है, कभी उसको नगर प्रमुख अधिकारी बना देते हैं, कभी किसी सेकेंड ग्रेड के अधिकारी को ही नगर प्रमुख अधिकारी बना देते हैं, कभी किसी को नगर प्रमुख अधिकारी बना देते हैं। लेकिन वहां आज तक कोई मुख्य नगर अधिकारी नहीं गया। बार-बार मुख्य मन्त्री जी से मिलते रहते हैं, तो वे कहते हैं कि बहुत जल्द भेज देंगे लेकिन अभी तक वहां कोई मुख्य नगर अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। हो क्या रहा है, वहां मनमाने ढंग से काम हो रहा है। नगर महापालिका की मीटिंग नहीं होती है लेकिन मनमाने ढंग से उसकी कार्यवाही लिखी जाती है।

मेरा निवेदन यह है कि नगर महापालिका के अन्दर तो विकास कार्य बिलकुल ठप है। मनमाने ढंग से जो भी योजना बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। आज वहां बहुत से नगर बन रहे हैं। कांग्रेस के शासन काल में नेहरू खानदान के नाम पर वहां बहुत से नगर बने हुए हैं। कहीं जवाहर लाल नेहरू नगर है, कहीं मोती लाल नेहरू नगर बने हुए हैं। कहीं और कोई नेहरू नगर है। जब सारे नेहरू नगर बन गये तो अब वहां बहुगुणा नगर बनने लगा है। हर मुहल्ले में, सिविल लाइन में जहां भी निकलिये, उन्हीं के नाम पर नगर बसे हुए हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर चुने हुए सभासदों द्वारा वहां इस प्रकार पैसों का दुरुपयोग होता है तो इस सदन के द्वारा, इस अधिनियम के जरिये सरकार को उसे रोकना चाहिये।

सेन्ट्रल वैलूएशन अथारिटी की जो बात आपने कही है, यह नगर महापालिकाओं के अधिकार पर स्वयं एक कुठाराघात है। नगर महापालिकाओं को २१३ के अन्दर एक्जीक्यूटिव कमेटी का पूरा पावर है। अगर आप सेन्ट्रल वैल्यूएशन अथारिटी को उनके ऊपर बैठा देंगे तो नगर महापालिकाओं के चुने हुए सभासदों का काम बिलकुल ठप हो जायगा। २१३ के अन्दर नगर महापालिकायें वैन्यूएशन स्वयं करती हैं, वहां जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे इस काम को करेंगे। मकानों के ट्रांसफर वगैरह की प्रक्रिया को हम स्वयं करेंगे। अगर सेंट्रल वैल्यूएशन अथारिटी ही इस काम को करेंगी तो चुने हुए सभासद क्या करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार से कहा जाय कि वह सेन्ट्रल वैल्यूएशन अथारिटी के काम को रोक दे। चुनाव के बाद जो उसके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही इस काम को करेंगे।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, यह विधेयक जो हमारे सामने है, इसको मैंने प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव किया है, गरचे कि माननीय सदस्यों ने मेरा नाम ही प्रवर समिति रख दिया है...

श्री अध्यक्ष---

और आपने इसको तसलीम कर लिया है? (हंसी)

*श्री त्रिवेणी सहाय---

लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे नाम का भूत उनके ऊपर सवार हो गया है। मान्यवर, यह सरकार गत वर्ष में और इसके पहले भी इस बात की आदी हो चुकी है कि कभी तो कहती है कि अल्पकालिक व्यवस्था के नाम पर, कभी कार्यकाल को बढ़ाने के नाम पर, और पेंडिंग चुनाव को कराने के नाम पर वह ताश के पत्ते खेल रही है। सन् ७३ में राष्ट्रपति ने यह व्यवस्था कर दी थी कि प्रशासक क्यों नियुक्त किया जाय श्रीमन् इस पर विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसी भी संस्थान में प्रशासक नियुक्त करने के पीछे कौन सी मुल भावना है। वह मूल भावना श्रीमन्, यह है कि कोई संस्थान जो चल रहा है, उसका कार्य यदि बिगड़ गया है तो हमारी थिंकिंग यह होनी चाहिये, हमारा यह सुझाव होना चाहिये कि उसमें नयी व्यवस्था करें, नये प्रशासक चुन कर नियुक्त किया जाय।

पर मान्यवर इनके दिमाग में एक भूत सवार है कि हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। यह भूत सवार हो गया है कि उसमें नौकरशाही लायी जाए, जो आई० ए० एस० हैं, और जो अन्य अफसर हैं वह उनमें बैठा दिये जायें। इनको बैठाने से वहां ठीक हो जायगा ऐसा यह समझते हैं। यह केवल इनके मन की कल्पना है। आपने तो देखा ही होगा कि इसके लिये, चाहे वह नगर पालिकायें हों, चाहे स्कूल कालेज हों, चाहे शुगर फैक्ट्रीज हों या चाहे कोई और जगह हो, सब जगहों पर नये नाम देकर, जैसे कहीं पर कंट्रोलर, कहीं पर एड-मिनिस्ट्रेटर, कहीं पर रिसीवर आदि तमाम नाम देकर इन्होंने लोगों को बैठा दिया है।

श्रीमन्, मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि जहां जहां सरकार के चरण पड़े हैं:—

जहं जहं चरण पड़े संतन के तंह तंह होवे बंटाधार।

जहां जहां इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है आप देख लीजिये वहां की हालत क्या है। जरवल मिल को देखिये, बरबाद हो गया है। विश्वविद्यालय को देखें क्या हाल हो गया है। मुस्तफी साहब को आपने बैठा दिया है। क्या हो रहा है —खूब नकल करो, पास हो जाओ। यह हालत हो गयी है। नगर महापालिकाओं में जहां आपने एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किये हैं।

मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से, वह बात कर रहे हैं, उनको बातों से फुरसत मिले तो वह देखें। मैं कहता हूं कि आप जवाब दें। जो यह कहते हैं कि त्रिवेणी सहाय के ऊपर प्रवर समिति का भूत सवार हो गया है इसलिए यह कहते हैं कि प्रवर समिति को भेजा जाय। मेरे ऊपर तो भूत सवार है ही। आपने क्या किया है जरा देखिये।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नगर पालिकाओं को देखिये, एक की बात नहीं है। २०—२२ नगरपालिकायें ऐसी हैं जिनके अंदर घोर अव्यवस्था है। भ्रष्टाचार है। वहां के डी० एम० ने लिखकर भेजा है कि तत्काल इसको सुपरसीड कर दिया जाय और प्रशासक नियुक्त किया जाय। गोंडा जिले की बात कह रहा हूं। वहां एक नगरपालिका में १९ सदस्य हैं। १० सदस्यों ने वहां के चेयरमैन के खिलाफ चार्ज लगाकर इस्तीफा दे दिया। रह गये ९ सदस्य। वह ९ सदस्य नगरपालिका को चला रहे हैं। वहां का फाइनेंस पास हो रहा है। बिल पास हो रहे हैं और डी० एम० बार बार लिख रहा है कि अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है अतः नगरपालिका को समाप्त किया जाय। लेकिन वहां अभी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त नहीं हुआ है। कहां होगा? जहां का कार्य काल समाप्त हो गया होगा या जहां आप चाहते हैं। अगर वहां का प्रशासक ठीक नहीं था तो वहां पर चुनाव कराये जाने चाहिये थे। नगरपालिका को चलाने वाला ठीक नहीं था तो चुनाव कराना चाहिये था।

१९७१ में चौधरी चरण सिंह ने जिला परिषदों को भंग कर दिया और जिला परिषदों में डी० एम० को नियुक्त किया। इसके बाद यह सरकार आयी और इसने कहा कि जल्दी ही चुनाव कराये जायेंगे पर ३-४ महीने की बात कौन कहे आज ४ साल हो गये हैं और जिला परिषदों का चुनाव नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आटोनामस बाडीज हैं जो जनता के हाथ में जानी चाहिये सनमें नौकर शाही को क्यों कायम किया जा रहा है। इनको नौकरशाही के हाथों में सौंप करके जनतंत्र के जड़ों में मट्ठा डाला जा रहा है।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

श्रीमन्, श्रीमती जी ने चुनाव करा दिया है आपका मामला होता तो विधान सभा के चुनाव भी टल जाते। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आटोनामस बाडीज हैं, जहां पर जनता का अधिकार है कि वह चुनी जाय और शासन करे, आपके मूल ऐक्ट में भी इस बात का प्राविधान है, अगर वह ठीक से न चला पायें, अगर उनमें कुरीतियां हैं तो हमारा यह फर्ज हो जाता है कि ऐसी नगर पालिकाओं को जब्त कर लिया जाय। इस प्राविधान के होने के बावजूद आप कहते हैं कि यह क्लास और लगा दिया जाय। यदि आपकी मंशा ठीक होती तो यह क्लाज न लगाते। इसमें लिखा हुआ है कि नई महापालिका के भंग होते ही आवश्यक निर्वाचन धारा १ के अनुसार प्रशासक की नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष के अवधि के भीतर किये जायेंगे। लेकिन इसमें एक परन्तु लगा दिया गया है, यह क्यों लगा दिया गया ?

मैं पूंछना चाहता हूं कि यदि आपकी मंशा ठीक थी तो चुनाव क्यों नहीं कराये ? आपने बहाना लगाया कि निर्वाचन विभाग ने परिसीमन की कार्यवाही नहीं की। मैं कहता हूं कि परिसीमन की कार्यवाही क्यों नहीं की ? आपको जब पर्याप्त समय मिला तो परिसीमन क्यों नहीं कराया ? परन्तु राज्य सरकार ने समय-समय पर सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उक्त अवधि को निस्तारित कर सकेगी अर्थात् उसको बढ़ा सकेगी। वह बढ़ा हुआ वर्ष एक से अधिक नहीं होगा। यह क्यों आपने किया ? आपकी मंशा है कि आप इसको बढ़ायेंगे और जब उपयुक्त समय आयेगा कि नगरमहापालिका में हमारी जीत हो जायेगी उसी समय आप चुनाव करा देंगे।

आवश्यकता इस बात की थी कि चुनाव होते। इसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी यहां खड़े होकर करते कि चुनाव होंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो इसके पीछे कोई दूसरा इरादा है। आप कहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करेंगे। प्रशासक की संज्ञा दी जायेगी नगरमहापालिका से। तो मजा लूटें काजी मियां, और धक्का खायं . . . . । नगरपालिका जो मेहतरों को भुगतान नहीं कर पाती है तो यदि प्रशासक को भी बिठा देंगे तो उनको किस प्रकार वेतन मिलेगा। इसलिये यदि प्रशासक को वेतन नहीं मिलेगा तो वह ठीक से काम नहीं करेगा। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को देना चाहिये।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर महापालिका संशोधन विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है वह अपने में मासूम जरूर लगता है। लेकिन उसके पीछे शासन की मंशा बड़ी घिनौनी है। सरकार की घोषणा रही है कि हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। लेकिन वह आर्थिक शक्तियों का, राजनीतिक नीतियों का और यहां तक कि सभी साधनों का केन्द्रीयकरण कुछ चन्द लोगों के हाथों में देना चाहती है। यह प्रवत्ति बड़ी तेजी से इस देश में बढ़ रही है। इस संशोधन के पीछे भी यही मंशा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने सीधे सादे एक बात पेश कर दी कि आवश्यकता इसलिये पड़ी चूंकि परिसीमन नहीं हुआ है। इसका दायित्व किस के ऊपर है। मेरी जानकारी है कि इलेक्शन आफ़िसेज को एक सूचना अर्जेन्ट तार द्वारा भेजी गई थी जिसमें कहा गया था कि आप चुनाव के लिये तैयार रहें। लेकिन जनरल चुनाव के पहले हवा बड़ी खिलाफ थी इसलिये चुनाव को टाला गया। यह बड़ी सही बात है। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में घोषणा की कि सितम्बर अक्टूबर तक महापालिका के चुनाव करा देंगे। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज क्या विशेष परिस्थिति आ गई जिसके कारण चुनाव टाले जा रहे हैं। जिला परिषद् के चुनाव टलते जा रहे हैं। वहां की सत्ता जिलाधीश के हाथ में है और वह जो चाहता है जिला परिषद् में करता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी निर्णय जन प्रतिनिधियों ने लिये उनको किस तरह से फ्लाउट किया जा रहा है। इसको मैंने एक प्रश्न करके ध्यान आकर्षित किया था। लखनऊ में एक पार्क का नाम डा० लोहिया के नाम पर रखा गया था.....

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

जिले के कलेक्टर को जिला परिषद् के अधिकार विरोधी दल ने दिये हैं जिनका गठबन्धन आल इन्डिया लेविल पर है....

श्री अध्यक्ष—

आपको समझकर बात करनी चाहिये। अगर इधर के लोग उधर बैठते हैं तो उनको जिम्मेदारी इधर भी होती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जनतंत्र की मान्यताओं पर हमला किसी ओर से हो, हम उसका विरोध करेंगे, यह समाजवादियों का परम कर्तव्य है। जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो जिला परिषदें भंग की गईं थीं। इसका सोशलिस्ट पार्टी ने विरोध किया था और प्रदर्शन किये थे। यह किसी ओर से हो इसका विरोध होगा और उसी कान्टेस्ट में हम इस बात को कह रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि किस प्रकार जन प्रतिनिधियों की बातों को फ्लाउट किया जाता है।

लखनऊ नगर पालिका ने एक पार्क का नाम डा० लोहिया के नाम पर रक्खा था। उसका पहले नाम विक्टोरिया पार्क था। नगरमहापालिका के भंग होते ही अधिकारियों ने इस पार्क को आल इन्डिया रेडियो और दूसरे पब्लिसिटी विभागों द्वारा विक्टोरिया पार्क कहना शुरू कर दिया है। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो भी प्रशासक आवेगा वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग अवश्य करेगा। आप देखिये कि एक साल की अवधि दी गई है लेकिन यह बढ़ेगी। इस बीच जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह अचल सम्पत्ति का दुरुपयोग कर सकता है। जब चुनाव का ड्रामा होगा और जन प्रतिनिधि चुनकर आवेंगे तो पाकेट खाली होगी।

यह राजनैतिक भेदभाव के कारण है। इसके उदाहरण में मैं नगर पालिका खुर्जा की मिसाल देना चाहता हूं। यहां से आर्डर जाता है कि नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाय। बाद में कुछ प्रतिनिधि आते हैं और कहते हैं कि अध्यक्ष कांग्रेसी हैं। इस पर कलेक्टर को दूसरा तार भेजा जाता है कि चेयरमैन को कान्टीन्यु करने दो। यह प्रवृत्त बड़ी घातक है। आज जो उत्तर प्रदेश में नगरपालिकायें सत्तारूढ़ दल की हैं वही कायम रहेंगी। श्रीमन्, यदि यहां की सरकार दिल्ली के प्रभाव में रहेगी तो रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, राज्यपाल बैठेगा।

एक सदस्य—

मान्यवर, माननीय ओझा जी खुर्जा नगरपालिका के बारे में गलत तथ्य रख रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जो प्रवृत्ति चल रही है, उसके प्रति निवेदन है कि इस प्रदेश में जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने के लिये सरकार को कटिबद्ध होना चाहिये और इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो यह विधेयक लाये हैं, जोकि जनतंत्र और सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के लिय एक प्रहार है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को वह वापस ले लें और अपने जनतंत्र-प्रेमी होने का परिचय देकर इस सदन को आश्वस्त करें।

*श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, इस संबंध में जो कुछ भी चर्चा की गयी, उसको मैं ध्यान से सुनता रहा हूं और उसका केवल एक ही सबब बताया गया कि राजनैतिक दलबंदी का कारण बनाकर उनको हमने अपने हाथ ले लिया।

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है यह सर्वविदित है कि प्रमुख कार्य साल भर का होता था और स्वतः उनमें ऐसी दलबंदी हो गयी कि कार्य करना उनके लिये मुश्किल हो गया था। इसलिये हम इस संबंध में नियम बनाने जा रहे हैं और इस बात की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने भी की है कि सरकारी अधिकारियों के ऐजिटेशन के कारण हम किसी कारपोरेशन को सुपरसीड नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की कोशिश करेंगे कि जन-भावनाओं का आदर करते हुये और जो इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनायें हैं, उनका आदर करते हुये जो निर्णय लें वह आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

एक समय निश्चित कर दें।

*श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, हम माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो टर्म है उसमें साल भर ऐडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकाल है और साल भर से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकते थे और राजनैतिक कारणों से बढ़ाने की जो बात है, वह निराधार है। हम तो कोशिश करेंगे कि सितम्बर और अक्टूबर या लेटेस्ट नवम्बर तक चुनाव करा सकें। लेकिन चूंकि परिसीम करा रहे हैं, कान्स्टीट्वेन्सीज का डिलिमिटेशन करा रहे हैं ताकि जो ८०/८५ मेम्बर होते थे परिसीमन के माध्यम से मेम्बरशिप कम कर दें ताकि जो बहुत से लोग वहां पर खड़े हो जाते थे और एक बड़ी भारी परिस्थिति हो जाती थी, वह न हो। इसमें कुछ देरी लग रही है।

लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई विधि कारण न हुआ तो नवम्बर तक हम चुनाव करा सकेंगे और मुख्य मंत्री जी ने तो सदन में घोषणा भी कर दी है कि जो चार्ज लगाया जा रहा है कि दलगत भावना से प्रेरित होकर ऐडमिनिस्ट्रेटर बिठायें हैं, हमने उससे ऊपर उठकर एक कमेटी बनाई है जो निर्णय करेगी कि किन-किन कारणों से सुपरसीड करें। मैं माननीय सदस्यों से पुनः कहना चाहूंगा कि प्रवर समिति की बात को छोड़ दें ताकि इसमें जल्दी हो सके। जो खामियां हैं, उनको दूर कर सकें और जो नियमावली बन रही है, कान्स्टीट्वेन्सी के डिलिमिटेशन की, वह भी जल्दी हो सके।

इसलिये माननीय सदस्यों से पुनः निवेदन है कि इसको पास करें। बड़ी सीधी सी चीज है। एक साल ऐडमिनिस्ट्रेटर बढ़ाने की बात है। ३० जून, ७३ को हुआ और ७५ से आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं। इसमें निराशा की बात नहीं है। दलगत राजनीति की बात नहीं है। न कहीं सुपरसेशन किया गया है दलगत के कारण। एक साल टर्म प्रमुखों के लिये था। एक साल में दलबंदी हुई और खुद कई जगह वे चला ही नहीं सके। अब इलाहाबाद में नहीं किया। हम करना चाहते तो कर लेते। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि दलगत राजनीति का चार्ज हम पर लगाया जा रहा है। कारण वहां के यह थे कि जो प्रमुख चुने गये वहां स्वतः जिन्होंने उनको प्रमुख चुना था वही अलग ही गये और कहीं अविश्वास का प्रस्ताव लाने लगे जिसके कारण प्रशासक नियुक्त करना पड़ा और जब प्रशासक नियुक्त करना पड़ा तो यह एक साल का टर्म विधेयक में रखना पड़ा। इसमें कोई आशंका की बात नहीं है। जितनी जल्दी हो सकेगा आपके सहयोग से चुनाव सम्पन्न कराये जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

चारों नगर महापालिकाओं के बारे में मेरा सवाल था। मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि जनवरी फरवरी तक चुनाव करा दिये जायेंगे लेकिन माननीय मंत्री का कहना है कि अक्तूबर नवम्बर तक ही चुनाव करा देंगे।

श्री राज मंगल पांडेय---

यह कहा है कि कोशिश करेंगे अगर विशेष कारण न हुये तो।

श्री ऊदल---

मुक्य मंत्री जी ने जो कहा है उससे आगे तो आप नहीं जायेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय---

कोई विशेष कारण न हुये तो जनवरी फरवरी की बात माननीय सदस्य कर रहें हैं उससे पहले ही अक्तूबर-नवम्बर में चुनाव कराने की हम कोशिश करेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

मंत्री महोदय ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर रहने के लिये उन्होंने आश्वस्त किया कि नगर महापालिकाओं का टाइम बढ़ा रहे हैं इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। हाउस के अन्दर कहने तथा बाहर की कार्यवाही में अन्तर है। २० मई को अभी खलीलाबाद में नामिनेशन हुए उसको २८ जुलाई तक के लिये पोस्टपोन किया। अिर ११ में से १० वोट पड़ गये फिर पोस्टपोनमेंट का वायरलेस पहुंच गया। आखिर क्या बात थी अगर दलगत राजनीति नहीं थी तो ?

श्री राज मंगल पांडेय---

इसकी जानकारी तो मुझ इस समय नहीं है लेकिन किन कारणों से पोस्टपोनमेंट किया गया संबंधित फ़ाइल में माननीय सदस्य तथा उसके नेता को दिखा सकता हूं और वह यह चीज पायेंगे कि दलगत राजनीति के कारण चुनाव की बात नहीं रोकी गयी।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मैं अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन विधेयक), १९७४ को सदन की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

१९५९ के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २ में नई धारा ८-क का अन्तः स्थापन।

२—उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

नई महापालिका के गठन तक महापालिका के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबंध

"८-क—(१) जहां महापालिका का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा नई महापालिका का संगठन नहीं हुआ है वहां धारा ९ के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से संगठन किये जाने तक—

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और धारा ९५ तथा ९७ के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समतियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जायेंगी ;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा ५ के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा ;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(i) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा ; अथवा

(ii) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उप खंड (i) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा ;

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ते, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे ।

(२) नई महापालिका के गठन के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन, उपधारा (१) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर किये जायेंगे :

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उक्त अवधि को विस्तारित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा विस्तार कुल, मिलाकर एक वर्ष से अनधिक हो ।"

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९७३ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १२, १९७३

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, १९७३ के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम १२ जून, १९७३ को प्रवृत्त हो गया था ।

१९७३ का उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ८—क (१) के भाग (घ) की जगह पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"प्रशासक का वेतन और भत्ता जो उस निमित्ति राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायं राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे ।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ८—क (१) के भाग (घ) की जगह पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"प्रशासक का वेतन और भत्ता जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायं राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ८—क (२) में शब्द "नियुक्ति के दिनांक से १ वर्ष की अवधि के भीतर किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "नियुक्ति के दिनांक से ६ मास की अवधि के भीतर किये जायेंगे" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ८-क (२) में शब्द "नियुक्ति के दिनांक से १ वर्ष की अवधि के भीतर किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "नियुक्ति के दिनांक से ६ मास की अवधि के भीतर किये जायेंगे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

अब यह जो तीसरा माननीय त्रिवेणी सहाय जी का है वह तो आउट आफ आर्डर हो गया...

श्री त्रिवेणी सहाय---

श्रीमन्, यह दूसरा ही है। हो सकता है कि फिर वह एक साल बढ़ा दें.....

श्री अध्यक्ष---

नहीं, यह मैं खारिज करता हूं क्योंकि वह आउट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २, खण्ड ३, खण्ड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९७४ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

आज नियम ५१ के अन्तर्गत १९ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। दो सूचनायें समय के बाद प्राप्त हुई हैं। इनमें क्रम-संख्या ८, ११ और १७ पर जो सूचना है कि बहराइच, गोरखपुर और गोंडा में नदियों में भीषण बाढ़ से संकट उत्पन्न हो गया है। चूंकि ये तीन जिलों से संबंधित है इसलिये यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

बस्ती के बारे में भी मान्यवर, दिया था ?

श्री अध्यक्ष---

बस्ती भी इसमें जोड़ दिया जायेगा। चूंकि आपकी सूचना देर में आयी थी किन्तु फिर भी हम जोड़ देते हैं। नियमानुसार हम एक ही एक दिन में स्वीकर कर सकते हैं।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३० जुलाई, १९७४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९७४ के आठवें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री असरार अहमद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४ की तालिका

ट्रैक्टरों का मेक	ट्रैक्टरों की संख्या, जो निम्नलिखित तिथियों में उपलब्ध थी			१ जुलाई, ७३ से २३ जून, १९७४ तक बिक्री हुये ट्रैक्टरों की संख्या	ट्रैक्टरों का मूल्य बिक्री एवं आबकारी कर अतिरिक्त
	१ जुलाई, १९७३	१ जनवरी, १९७४	२४ जून, १९७४		
					रु०
जीटर २५११ एच०एम०टी०	..	१०५	२	६२	८५७	२४,६६५.१७
जीटर ५५११	..	३	१	..	३	२७,४४७.८७
रशियन टी–२५	..	१	..	..	१	१८,७७४.२५
आर०एस० ०९	..	१२	..	..	१२	१४,२०६.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४२ पर।)

आठवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर का सलग्नक ।

(क) भवन तथा उसका विद्युतीकरण :

पिन्डरा अस्पताल के पुराने भवन में पोताई होनी है। दरवाजों की रंगाई होनी है तथा खिड़कियों में जाली लगनी है। दरवाजों में शीशे लगने हैं। इन कार्यों के लिये तथा बिजली लगवाने के लिये तखमीने मांगे जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बन रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहा गया है कि निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा करें तथा विद्युतीकरण के उपरान्त यथाशीघ्र भवन को हस्तान्तरित करें।

(ख) पानी की व्यवस्था :

पिन्डरा अस्पताल की सीमा में ही एक हैन्ड पम्प लगा है। एक अतिरिक्त हैन्ड पम्प लगाये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है। क्षेत्र में अभी नल की व्यवस्था नहीं है।

(ग) आपरेशन के औजार :

पिन्डरा अस्पताल को पर्याप्त आपरेशन के औजार भेजे जा चुके हैं। औजारों की कोई कमी नहीं है।

(घ) शय्यायें :

लोहे की चारपाइयां खराब हो गयी हैं अतः लकड़ी की चारपाई की व्यवस्था कर दी गयी है। लोहे की चारपाइयां तथा दूसरे सामान शीघ्र भेजे जायेंगे।

(त) दवाइयां तथा दूसरे सामान :

पिन्डरा अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं। रूई तथा पट्टी की कमी है जिसकी तुरन्त व्यवस्था की जा रही है।

(थ) ग्राम सिंधौरा में एलोपैथिक अस्पताल तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र की स्थापना :

ग्राम सिंधौरा में एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा एक जच्चा-बच्चा केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहा है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों की स्थापना की योजना न होने के कारण ग्रामीण अस्पताल की स्थापना सम्भव नहीं है।

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पृष्ठ ५४४ पर।)

क्रमांक	पर्यवेक्षक का नाम	सम्बन्धित संस्था का नाम	स्थानान्तरण की तिथि	कहां से	कहां को	स्थानान्तरण का कारण	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अन्य विवरण
	जिले के बाहर—							
१	श्री राम देव सिह ..	पी०सी०एफ०	११–७–७३	बलिया	वाराणसी	स्थानान्तरण	आदेश	निरस्त
२	श्री सुदामा सिंह ..	पी०सी०एफ०	२०–१०–७३	बलिया	गोरखपुर	प्रशासनिक	धरेलू परिस्थिति	
३	श्री जगदीश सिंह ..	पी०सी०एफ०	१९–२–७४	बलिया	वाराणसी	प्रशासनिक	..	कार्यमुक्त हो चुके हैं।
४	श्री राम वृक्ष राम..	क्षे० सह० समिति।	२–५–७३	बलिया	वाराणसी	प्रशासनिक	प्रतिस्थानी के अभाव में।	
५	श्री सिद्धि प्रसाद सिंह	जि०स० बैंक	४–६–७४	बलिया	आजमगढ़	प्रशासनिक	..	कार्यमुक्त हो चके हैं।
६	श्री शीतला प्रसाद तिवारी	जि०सं० बैंक	१६–११–७३	बलिया	बाराबंकी	निवेदन पर	..	कार्यमुक्त हो चुके हैं।
७	श्री घनश्याम राय	जि०सं० बैंक	१६–२–७३	बलिया	गाजीपुर	निवेदन पर	प्रतिस्थानी के अभाव में।	
	जिले के अन्दर—							
८	श्री सूर्यनाथ शर्मा ..	पी०सी०एफ०	२०–७–७३	क्रम० वि० बेल्थरा रोड	सराय भारती	प्रशासनिक	..	कार्यमुक्त हो चुके हैं।
९	श्री इकबाल नारायण	पी०सी०एफ०	२–३–७४	रतनपुरा	छाता	प्रशासनिक	..	कार्यमुक्त हो चुके हैं।

क्रमांक	पर्यवेक्षक का नाम	सम्बन्धित संस्था का नाम	स्थानान्तरण की तिथि	कहां से	कहाँ को	स्थानान्तरण का कारण	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अन्य विवरण
१०	श्री सुदामा सिंह ..	पी०सी०एफ०	१६–५–७४	सरयां	क्र० वि०, बलिया	प्रशासनिक	..	कार्यमुक्त हो चुके हैं।
११	श्री दीनबन्धु सिंह ..	पी०सी०एफ०	१६–७–७४	सरयां	रतनपुरा	प्रशासनिक	..	चार्ज लेने हेतु नियक्ति।

नोट :—(अ) श्री सुदामा सिंह का स्थानान्तरण २ बार हुआ है। पहला पी०सी०एफ० द्वारा बलिया जनपद से गोरखपुर एवं दूसरी बार जिले के अन्दर सरयां बीज भण्डार से क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बलिया पर हुआ है। इस कारण संख्या ११ हो रही है। वास्तव में १० पर्यवेक्षक का ही स्थानान्तरण हुआ है।

(ब) श्री दीनबन्धु सिंह का स्थानान्तरण तीन बार जनपद के अन्दर हुआ है। प्रथम छाता बीज भण्डार से सुखपुरा बीज भण्डार पर श्री हरिराम सिंह के स्थान पर परन्तु श्री हरिराम सिंह के स्थानान्तरण आदेश स्थगित पी०सी०एफ० द्वारा होने के कारण इन्हें दूसरी बार सरयां बीज भण्डार पर नियुक्त किया गया। सरयां बीज भण्डार पर कार्यरत प्रभारी श्री सुदामा सिंह द्वारा लगातार अनुपस्थिति रहने एवं चार्ज न देने के कारण तीसरी बार इन्हें रतनपुरा बीज भण्डार पर नियक्त किया गया है।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तरांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४७ पर।)

संख्या ५८५४/३८–३–१५–एक्यू०/७३

प्रेषक,

श्री मेवा राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अनु सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक ३०, अगस्त १९७३।

सामुदायिक विकास अनुभाग–३

विषय :—आश्वासन संख्या २२१/७३ ग्राम सेवक संघ उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया ज्ञापन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक एल०ए० (ए०सी०)/३३५ आश्वसान संख्या २२१/७३, दिनांक १४ जन, १९७३ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम सेवक को निदेशालय स्थापित करने की मांग पर विचार करने के उपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि उक्त मांग को स्वीकार करना ठीक नहीं है अर्थात् कोई भी निदेशालय स्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः आश्वासन की पूर्ति हो जाती है।

२—ग्राम सेवकों की अन्य मांग जिसके अन्तर्गत १९६१ के शासनादेश को वापस लेने के लिये अनुरोध किया गया है यह नीति अपनाई गई है कि ग्राम सेवकों की जो भी उचित मांगें हैं और सुविधायें देय हैं वह उनको दे दी जायेंगी।

कृपया आश्वासन की पूर्ति की सूचना इस विभाग को शीघ्र भेजें।

भवदीय,
मेवा राम,
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर ।)

तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर में उल्लिखित तालिका

(क) गोरखपुर सहकारी दुग्धशाला के रुपये का विवरण जो बैंक में जमा है :—

		रु०
(१) उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, गोरखपुर में	..	१,९०,२६४.००
(२) गोरखपुर जिला सहकारी बैंक लि०, गोरखपुर में	..	१,६७,९३५.४३
योग	..	३,५८,१९९.४३

(ख) दुग्धशाला के सामान की कीमत, .. १४,४९,५७०.७५

(ग) दुग्धशाला का प्रबन्ध :

दुग्धशाला नवम्बर १९७० से कार्यरत हुई । तब से संघ का संचालक मंडल निम्नवत् रहा :—

सर्वश्री—

(१) राम लाल भाई	.. .. ..	अध्यक्ष
(२) राम जादा सिंह	.. .. ..	सदस्य (३०—८—७२ से पूर्वनामित श्री राम लगन दुबे के स्थान पर)
(३) बहादुर सिंह मगहिया	.. ..	सदस्य
(४) बेचन सिंह	.. .. ..	"
(५) रघुवर यादव	.. .. ..	"
(६) भगौती सिंह	.. .. ..	"
(७) लाल बिहारी	.. .. ..	"
(८) लखपत सिंह	.. .. ..	"
(९) डा० गुरु चरन मल्ला	.. .. ..	"
(१०) जिला सहायक निबन्धक, गोरखपुर	.. ..	"

(घ) राजकीय कर्मचारी जो संघ के सचिव के पद पर रहे, उनका विवरण निम्नवत् है :—

(१) श्री राम चन्द्र मिश्र, दुग्धशाला, प्रबंधक तथा सचिव ।	दिनांक १७—१—६९ से २—६—७१ तक ।
(२) श्री राम दास सिंह, वरिष्ठ दुग्ध, निरीक्षक तथा सचिव ।	दिनांक १०—६—७१ से २—२—७२ तक ।
(३) श्री बी०पी० गुप्त, वरिष्ठ दुग्ध, निरीक्षक तथा सचिव ।	दिनांक ३—२—७२ से १९—६—७२ तक ।
(४) श्री सिया सरन सिंह, दुग्धशाला, प्रबन्धक तथा सचिव ।	दिनांक ४—८—७२ से वर्तमान समय तक ।

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ..५६१....पर)

विधान सभा के द्वितीय पत्र (१९७४) के ८वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री चन्द्रभान आजाद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर संबंधी तालिका ।

१—दूध देने वाली भैंसों में ४ भैंसे कम रहीं तथा २५ गायें वर्ष के अन्तिम माहों में ब्याईं ।

२—प्रथम तथा द्वितीय ब्यांत की गायों में दूध उत्पादन कम होता है । इनकी संख्या गत वर्ष की अपेक्षा ११ अधिक रही ।

३—प्रक्षेत्र के निचले भाग में अप्रत्याशित वर्षा से पानी भर गया जिससे बरसीम की बुआई पिछड़ गई तथा हरे चारे की उलब्धिता कम रही । चने तथा मूंगफली की खली भी अति महंगी हो जाने के कारण पशुओं के आहार में शामिल नहीं की जा सकी । इनका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

४—नये किस्म की थाइलेरेसिस नाम की बीमारी का प्रकोप प्रक्षेत्र पर हुआ जिससे २८ भैंसे तथा ३० गाय प्रभावित हुईं ।

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७४ के ८वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री शिव नाथ-सिंह कुशवाहा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर का संलग्नक।

सूचना

क्रम-संख्या	नाम विकास खण्ड	तकाबी अमीन का नाम	सेवा अवधि	स्थायी/अस्थायी
१	२	३	४	५
		सर्वश्री	वर्ष माह दिन	
१	कल्याणपुर	१—अतन्त राम यादव	५–१०–१५	अस्थायी
		२—बनारसी	२–०–१२	,,
		३—आर० के० त्रिपाठी	५–१०–२२	,,
		४—आर० पी० वर्मा	अप्राप्त	,,
		५—जे० सी० पाल	१–७–२९	,,
२	सखनखेड़ा	६—श्री नरायन मिश्र	१०–६–१०	,,
		७—देवी सहाय बाजपेयी	५–१०–८	,,
		८—विलेजन सिंह	५–१०–२०	,,
३	अकबरपुर	९—जानकी प्रसाद	१०–६–१०	,,
		१०—महादेव प्रसाद	५–१०–१४	,,
		११—जगदीश प्रसाद	४–६–७	,,
४	डेरापुर	१२—रघुनाथ प्रसाद	६–१–४	,,
		१३—ताराचन्द्र	४–५–२२	,,
५	राजपुर	१४—इन्द्र नारायण दीक्षित	१०–६–२	,,
		१५—कैलाश नरायन	२–३–२९	,,
		१६—हिरावन प्रसाद	५–०–०	,,
६	सत्सौल	१७—उमाशंकर शुक्ला	१०–५–८	,,
		१८—राजकिशोर वाजपेयी	५–१०–१४	,,
		१९—सोभ नाथ तिवारी	४–६–७	,,
		२०—भवानी प्रसाद मौर्य	४–६–६	,,
		२१—हरीश चन्द्र शर्मा	३–१०–४	,,
		२२—मोहम्द जफर सहीद	२०–०–२४	,,
७	संदलपुर	२३—अमरजीत सिंह	६–१–५	,,
		२४—राज किशोर त्रिपाठी	३–३–५	,,
८	ककवन	२५—हीरालाल पाल	५–१०–२३	,,
		२६—शंकर लाल गुप्ता	३–३–१४	,,
		२७—मुन्नी लाल दोहरे	३–१०–२३	,,
९	झींझक	२८—गिरीश नाथ त्रिपाठी	१०–६–२५	,,
		२९—उमा शंकर लाल श्रीवास्तव	१–१–३	,,
१०	मैधा	३०—सूर्य प्रसाद शुक्ला	६–१–५	,,
		३१—गिरेन्द्र सिंह	५–१०–२२	,,
		३२—मकमूल अहमद	४–६–८	,,

१	२		३		४	५
११	रसूलाबाद	..	३३—मुन्शी लाल तिवारी	..	१०–६–२३	अस्थायी
			३४—चन्दन सिंह	..	५–१०–२४	,,
			३५—अयोध्या प्रसाद यादव	..	३–११–१	,,
			३६—बाला प्रसाद	..	४–६–७	,,
			३७—होरी लाल	..	४–६–७	,,
			३८—राम आसरे चौरसिया	..	२–०–२२	,,
१२	घाटमपुर	..	३९—पुतन लाल	..	२–०–१४	,,
			४०—ब्रज मोहन सिंह	..	३–५–३	,,
१३	बिल्लौर	..	४१—दया शंकर	..	१०–६–२८	,,
			४२—प्रेम सिंह यादव	..	१–११–२१	,,
			४३—कालिका प्रसाद दुबे	..	१०–२–६	,,
			४४—सोबी मिश्रा	..	४–६–८	,,
			४५—चेत राम वर्मा	..	४–६–८	,,
			४६—शिव चरण पांडे	..	३–६–१८	,,
			४७—राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव	..	१२–६–३०	,,
			४८—जगत नारायण कटियार	..	१०–६–२८	,,
१४	विथनू	..	४९—रा : चन्द्र यादव	..	४–६–५६	,,
			५०—राम स्वरूप पांडे	..	१०–६–२८	,,
			५१—गिरिजा शंकर राय	..	२–८–१२	,,
१५	चौबेपुर	..	५२—भगत सिंह	..	२–८–१७	,,
			५३—चन्द्र किशोर दीक्षित	..	५–१०–१४	,,
			५४—शिव सत्य अग्निहोत्री	..	५–१०–२१	,,
			५५—आत्माराम द्विवेदी	..	१०–६–२५	,,
१६	अमरोधा	..	५६—कृष्ण कुमार मिश्रा	..	४–६–६	,,
			५७—गिरिजा शंकर पांडे	..	३–६–१६	,,
			५८—भगौती प्रसाद सचन	..	५–१३–०	,,
१७	शिवराजपुर	..	५९—शिव बहादुर दीक्षित	..	१०–६–२८	,,
			६०—शिव मोहन त्रिपाठी	..	५–१०–२२	,,
			६१—चन्द्र कुमार सिंह	..	२–०–२	,,
			६२—श्रीकृष्ण कटियार	..	५–१०–१५	,,
			६३—राम स्वरूप कटियार	..	१–११–१८	,,
१८	पतारा	..	६४—विजय कुमार सिंह	..	५–२–१७	,,
			६५—शिव राज	..	४–६–७	,,
			६६—तेज प्रताप दीक्षित	..	२–०–२०	,,
१९	मलासा	..	६७—श्री राम सेनी	..	६–०–२५	,,
			६८—चन्द्र पाल साहू	..	२–०–२४	,,
२०	भीतरगांव	..	६९—बजरंग सिंह	..	४–६–८	,,
			७०—प्रेम नारायण मिश्रा	..	२–०–१४	,,

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

परिशिष्ट १

विकास खण्ड, खुनियावां के उन ९३ ग्रामों की सूची जिनमें वर्ष १९७४ में रबी की बुआई हेतु मुफ्त गेहूं का बीज बांटा गया।

नाम ग्राम—

१—परखपुर
२—बेलवनवा
३—बगहवा
४—हरीजोत
५—कटिया मुस्तहकम
६—धोबहा एहत माली
७—गुल हरिया
८—जलकरी उर्फ खजुहा
९—राजपुर
१०—बहादुरपुर
११—खड़रिया गनेश
१२—खड़रिया दुगी
१३—बेलवार जोत
१४—मिर्जापुर
१५—गोरा पंचगोती
१६—बिड़रा
१७—मौरा
१८—पलटा
१९—दुफेड़िया
२०—एक बुंगवा
२१—पलटी
२२—लोहटा
२३—जगजीवनापुर
२४—कलबारी
२५—कलबारी नानकार
२६—होलियापुर
२७—गजवापुर अकाली
२८—अमानानका
२९—बहुआ खुर्द
३०—सुलेहथा
३१—नरायनपुर
३२—तीपरा
३३—करही
३४—पंचमोहनी
३५—खुरखुदी

नाम ग्राम—

३६—बागदजा
३७—महुआ
३८—खाखरा खाखरी
३९—खेरा
४०—सेमरी
४१—हिलगी नानकार
४२—बनकटा
४३—नागापार
४४—तेलियाडीह
४५—बढ़या
४६—खारदऊरी
४७—बभनी माफी
४८—सेबुई खुर्द
४९—मुड़िला नानकार
५०—मंगवल
५१—नेजुहवा
५२—सोनोली नानकार
५३—नवेल
५४—कुयी डीहा
५५—रतनपुर
५६—मिखोलिया
५७—हौलिपुर
५८—मोरडीह
५९—मधवापुर खुर्द
६०—मधवा कला
६१—बरगदवा
६२—कनवर
६३—नमेल
६४—हरैया
६५—पटियापार
६६—गोनरा
६७—उड़वलिया
६८—नागचोरी
६९—सोहुनीया
७०—धनघड़वा

नाम ग्राम--

७१--जमालजोत
७२--मरथटिया
७३--रामपुर
७४--मटेहना
७५--बेतवा
७६--सेमारा
७७--बढ़या
७८--कोल्हई
७९--बनकटी
८०--बारिकधार
८१--जोकहला
८२--अगया

नाम ग्राम--

८३--मनकर
८४--ग्रमवरी
८५--फोल्हई
८६--जगजई माकी
८७--गैंसेडा
८८--भलुही
८९--ओखाजोत
९०--ओझाजोत
९१--दुर्गा जोत
९२--गुल्हरिया
९३--रमयापुर गिर

विधान सभा मुदेश

परिशिष्ट ११

विकास खंण्ड दुनियावाँ के ग्राम योनरा तथा आदिक भार के उन व्यक्तियों की सूची जिनको वर्ष 1974 में रबी की बुआई हेतु मुफ्त गेहूं का बीज बांटा गया ।

ग्राम—गौनरा	———
कृषक का नाम/पिता का नाम	कृषक का नाम/पिता का नाम
१—भागीरथी/औरी	२३—श्रीमती सियिराजोजै/बासदेव
२—मंगल/यूथी	२४—गन्नू/गंगाराम
३—मुक्खी/औरी	२५—बेलावन/हरिचरन
४—श्यामलाल/औरी	२६—नरपत/नारायन
५—रामलखन/औरी	२७—बरसाती/हरिचरन
६—मिट्ठू/बदरी	२८—बदाऊं/नरायन
७—सुन्दर/आसरे	२९—धनई/रामदत्त
८—रामलखन/लुटई	३०—भरोसे/रामदत्त
९—श्रीराम/आसरे	३१—डुनभुन/मिसियावन
१०—पंचम/आसरे	३२—दुलारे/हरिचरन
११—रामलाल/आसरे	३३—रामकुमार/नगेसर
१२—भरोसे/मंगल	३४—बदरी/कलषनाथ
१३—चैतू/दीना	३५—कीतल/घसीटे
१४—पदारथ/असरफी	३६—नगेसर/आयोध्या
१५—कल्लू/मंजा	३७—झींगुर/हरिचरन
१६—धनई/लक्ष्मन	३८—नरंग/झगेरु
१७—दुनभुन/मिसियावन	३९—नगीना/कामता
१८—द्वारिका/नखई	४०—हृदय/कलषनाथ
१९—धनपत/मड़ई	४१—दुलई/लालसा
२०—बालकेसर/सम्पत	४२—हरिहर/दृगपाल
२१—सूर्यनाथ/कौदई	४३—बाबूराम/लालमन
२२—नंगा/लल्ला	४४—श्रीमती दुनया भैया/श्रीपत

उत्तर प्रदेश सभा

११—ग्राम आदिकार—

कृषक का नाम/पिता का नाम	कृषक का नाम/पिता का नाम
१—बुधई/शिवराम	२६—दूलम/तुलसी
२—पारस/नगेसर	२७—बद्री/रामपाल
३—विधई/परभादीन	२८—बुद्धू/कल्लू
४—भिनक/परभादीन	२९—पृथी/रजियन
५—औतार/परभादीन	३०—रामलाल/बदाम
६—हरद्वार/परभादीन	३१—बैजनाथ/सरजू
७—असगर अली/भोलह	३२—बुद्धू/खिलावन
८—कोदई/पूरबदीन	३३—मार्ग/बैकारा
९—मु० अली/मौल्ह	३४—अदापन्त/बेकारा
१०—अब्बासअली/सलीम	३५—हनीफ/हांसीय
११—मगैरऊ/आलिमनगेसर	३६—जब्बार/हाशिम
१२—खेलावन/शिघोड़	३७—हीरामनि/औतार
१३—रामलाल/गोपी	३८—डुनभुन/औतार
१४—मुस्तफा/इलाही	३९—जटीर/नीगमदार
१५—सलीम/दलवीर	४०—सलीम/इरहाल
१६—अमीन/फिल्लू	४१—कल्लू/गिरधारी
१७—आपतार/अहमद शेहरात	४२—पिथई/बिरजू
१८—मिसियावन/उमराव	४३—जगई/मथुरा
१९—राजिगन/उमराव	४४—एल्दू/शिवराम
२०—पूरे/गया	४५—मौ० मटुरी/पत्नी/पिसऊ
२१—सूर्यबली/गया	४६—जैगरन/बस्सीं
२२—हूरी/गया	४७—भिन्नू/खाली
२३—चेतू/गया	४८—रघुनाथ/बदल
२४—जगलाल/गया	४९—भुनेशर/जगन्नाथ
२५—विश्वनाथ/तुलसी	

उत्तर प्रदेश संपदा

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर।)

विधान सभा के वर्तमान वित्तीय सत्र १९७४ के ८वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री राम रेखा यादव के द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर से सम्बन्धित टाउन एरिया बांडी का विवरण पत्र।

क्रम-संख्या	धनराशि अनुदान जो प्राप्त हुआ	तिथि जब अनुदान प्राप्त हुआ	निर्माण कार्य का प्रकार	नाम ठेकेदार जिसको ठेका दिया गया
१	२	३	४	५
	६०००.००	३१-३-७०	मुख्य सड़क नरकटहा का निर्माण पार्ट ए ९०७२ वर्गफुट	श्री शब्बीर अहमद पुत्र अजीमुल्लाह, ग्राम—बारिकमार, पोस्ट—धनगढ़ुआ, जिला—बस्ती ठेकेदार, जिला परिषद्, बस्ती।
	६०००.००	१५-१-७२	मुख्य सड़क नरकटहा के बने हुये भाग का निर्माण १४१६६ वर्गफुट	श्री नियाज अहमद पुत्र सुलेमान, ग्रा० नरकटहा, पोस्ट—नरकटहा, जिला बस्ती, ठेकेदार पी० डब्लू० डी०।

नत्थी 'ञ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर।)

सूची

अतारांकित प्रश्न संख्या २६

जिला परिषद् देवरिया को तारपीन तेल (मैग्स्पाल्ट) की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित कोटेशन की सूचना।

कोटेशन मांगने की तिथि	फर्म/व्यक्ति का नाम	दर प्रति मीट्रिक टन
		रु०
(क) १४-९-७२	१—मेसर्स एसी० इस्टर्न इंस, लखनऊ	६०६.७३
	२—कृष्ण कैमिकल, लखनऊ ..	७९५.००
	३—बिटुमन प्राडक्ट, लखनऊ	८१०.००
	४—इंडियन टैक्स इंडस्ट्रीज, लखनऊ	६२५.००
	५—भगवान सेल्स कारपोरेशन, कानपुर	८१०.००
	६—वर्मा सेल, लखनऊ	६०६.७३
	७—श्री आर० बी० सिंह, देवरिया	६०१.१५
(ख) २२-६-७३	१—बर्मा सेल, लखनऊ	६०६.७३
	२—श्री प्रभुनाथ पाण्डेय	५९५.००
(ग) मार्च, १९७४	१—बर्मा सेल, लखनऊ ..	१,३२४.००
	२—एसो० इस्टर्न इंक, लखनऊ ..	१,३२४.००
	३—कृष्णा कैमिकल, लखनऊ ..	१,३३०.००
	४—डिजिन पैक्टो कैमिकल, लखनऊ ..	१,१७६.८७
	५—देलही बिटुमन ऐजेन्सी, लखनऊ ..	१,१००.००
	६—श्री प्रभुनाथ पाण्डे ..	१,०७५.००

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६८ पर)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

(१) खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "खंड" के स्थान पर शब्द "खण्ड" रख दिया गया है ।

(२) खण्ड ३ की मद (ग) (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "मानव" के स्थान पर शब्द "मानों" कर दिया गया है ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ठ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६८ पर)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम १४७ के अन्तर्गत दिये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

(१) खण्ड २ में मूल अधिनियम की धारा २ के प्रस्तावित खण्ड (१५) की प्रथम पंक्ति में शब्द "लिखित" के स्थान पर शब्द "लिखत" कर दिया गया है।

(२) खण्ड ६ की मद (१६) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रविष्ट" के स्थान पर शब्द "प्रविष्टि" कर दिया गया है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५६८ पर)

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची:—

(१) खण्ड २ के उपान्तिक शीर्षक में से अंक तथा अक्षर "२-छ" निकाल दिया गया है और शब्द "और" को अंक तथा अक्षर "२-च" के पूर्व रख दिया गया है।

(२) विधेयक के खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा [illegible]क के उपान्तिक शीर्षक की तीसरी पंक्ति में शब्द "तथा" के स्थान पर शब्द "अथवा" रख दिया गया है।

(३) खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा २-ग के खण्ड (१) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "शता" के स्थान पर शब्द "शर्तों" कर दिया है और इसी पंक्ति में शब्द "यथास्थित" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति" रख दिया गया है।

(४) खण्ड २ में मूल अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा २-घ की प्रथम पंक्ति में शब्द "उद्गहीत" के स्थान पर शब्द "उद्गृहीत" तथा इसी पंक्ति में शब्द "बसल" के स्थान पर शब्द "वसूल" रख दिया गया है।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १२८ वि० सभा—(१५९४)—१९७५—८४५।